लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 34, बुधवार, 20 जुलाई, 1977 29 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 34, Wednesday, July 20, 1977/Asadha 29, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
सदस्य द्वारा शपथ	Member Sworn	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 545 से 547, 554 और 555	Starred Questions Nos. 545 to 547, 554 and 555	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 22	Short Notice Question No. 22	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 548 से 553 और 556 से 564	Starred Questions Nos. 548 to 553 and 556 to 564	17—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 4054 से 4133, 4135, 4137 से 4154, 4156 से 4197, 4199 से 4206 और 4208 से 4253	Unstarred Questions Nos. 4054 to 4133, 4135, 4137 to 4154, 4156 to 4197, 4199 to 4206 and 4208 to 4253	25—129
दिनांक 20-6-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2240 के उत्तर में वृद्धि करने सम्बन्धी वक्तव्य	Statement correcting Answer to USQ 2240 dated 20-6-1977	129—30
तथा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	130—32
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	132
विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Bills as passed by Rajya Sabha—	
(एक) मोटरयान (संशोधन) विधेयक	(i) Motor Vehicles (Amendment) Bill	133
(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	(ii) Oil & Natural Gas Commission (Amendment) Bill	133

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारतीय कपड़े के आयात पर लगाए गए कथित प्रतिबन्ध	Reported curbs on import of Indian Textiles imposed by European Economic Community	133—137
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	133—134
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	133—134
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	134—35 135—136
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy	136—137
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	138
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377—	
(एक) दिल्ली में विभिन्न कालेजों में प्रवेश पाने में छात्रोंको हो रही कठिनाइयां	(i) Reported difficulties of Students for admission in Delhi Colleges	138
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	138
(दो) पटसन मिल मालिकों द्वारा की गई तालाबन्दी से हजारों पटसन मजदूरों की कथित जबरी छटटी	(ii) Reported lay off Jute workers due to lock out by Jute Mills	138
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	138
पुर:स्थापित विधेयक	Bills introduced—	
(एक) चाय (संशोधन) विधेयक	(i) Tea (Amendment) Bill	139
(दो) पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक	(ii) Petroleum (Amendment) Bill	139-40
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* Report of University Grants Commission for 1975-76	140—45, 152—55
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	140
श्री बी० राचैया	Shri B. Rachaiah	140—41
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	141—43
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	143—44
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	144—45
श्री हरि केश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	152
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	152—5

विषय	SUBJECT	PAGE
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami . .	153—54
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh . . .	154
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	155
मारुति समूह के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग से न्यायाधीश डी० सी० माथुर के त्याग पत्र के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Resignation of Justice D. S. Mathur from the Commission of Inquiry into the Maruti affairs	145—52
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	146—52

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 20 जुलाई, 1977/29 आषाढ़, 1899 (शक)

Wednesday, July 20, 1977/Asadha 29, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्रीमती पार्वती देवी (लद्दाख)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बी०ई०एल० द्वारा रेडियो नेवीगेशनल साधन का विकास

***545. डा० हेनरी आस्टिन :**

श्री के० लकप्पा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने रेड़ियो नेवीगेशनल साधन विकसित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश के लिए यह कंहा तक उपयोगी होगा ; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ). भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने भू-संस्थापन के लिए दो प्रकार के रेड़ियो कार्य-निर्देश साधन (रेड़ियो नेवीगेशन एडस) विकसित किए हैं इनमें से एक इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा समर्थित है । ये साधन उड़ान के दौरान विमान चालक की विमान दिशा निर्देशन करने में सहायता करेंगे । इस उपस्कर के स्वदेशी विकास तथा उत्पादन से आत्म-निर्भरता बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलेगी इससे पहले इस उपस्कर का आयात किया जाता था ।

(घ) 23.50 लाख रुपए ।

डा० हेनरी आस्टिन : मैं देश के बड़े सरकारी उपक्रम भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा इलैक्ट्रानिक्स आयोग के विशेषज्ञों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने देश में अधुनातन रेडियो मार्ग-निर्देश साधन विकसित किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें हवाई अड्डों पर संस्थापन के लिए सप्लाई किया जा सके ? नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा है कि ये मार्ग-निर्देश साधन विमान-यात्रा के लिए आधारभूत तथा आवश्यक हैं। क्या भारतीय वायु सेना को इन साधनों से लैस किया जाएगा ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, यह एक बहुत बड़ी सफलता है और नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने इसका मूल्यांकन किया है और इसे संतोषजनक बताया है। अब इसका उत्पादन नागरिक उड्डयन तथा वायु सेना की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाएगा।

डा० हेनरी आस्टिन : पता चला है कि एंटीना, जो कि इस साधन का महत्वपूर्ण भाग है, आयात करना पड़ेगा तभी इस साधन को वायु सेना तथा एयरलाइन्स के विमानों में लगाया जा सकेगा। क्या सरकार एंटीना को देश में बनाने की योजना बना रही है ? इस खोज के बारे में, जो उतनी ही आधुनिक तथा अधुनातन है जितनी विदेश में उपलब्ध है, इलैक्ट्रानिक्स आयोग के विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एंटीना को देश में बनाने और इसका निर्यात करने की योजना बना रही है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, इलैक्ट्रानिक्स आयोग ऐसे अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रहा है और हवाई अड्डों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विमानों में लगने वाले अपेक्षित साधन का निर्माण करने के लिए अनुसंधान करने हेतु कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इलैक्ट्रानिक्स आयोग भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को अनुदान तथा ऋण दे रहा है ताकि इन परियोजनाओं में अनुसंधान जारी रखा जा सके।

श्री के० लकप्पा : मैं उन कुशल इंजीनियरों को सराहना करता हूं जिन्होंने इस साधन का विकास किया है। पहले इन साधनों का आयात किया जाता था। क्या सरकार ने इसकी निर्माण लागत का अनुमान लगाया है ? क्या इसके निर्यात से विदेशी मुद्रा मिल सकेगी? क्या इसका निर्यात संवर्द्धन सम्भव है ? क्या इस दिशा में प्रयास किए गए हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रत्येक हवाई अड्डे को पड़ती है ?

श्री जगजीवन राम : सबसे पहले तो इसका आयात बन्द कर दिया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो। इससे हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निर्यात के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने प्रशंसनीय कार्य किया है; ये लोग अन्य दिशाओं में भी सराहनीय कार्य कर रहे है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या पूरे तैयार एकक का प्रदर्शन इलैक्ट्रानिक्स प्रभाग के हैदराबाद एकक में किया गया था लेकिन इन्डियन एयरलाइन्स या रक्षा विभाग या एयर इन्डिया ने इसे इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी ? एक दुःखद विमान दुर्घटना में जिसमें मोहन कुमारामंगलम जैसे बड़े नेता मारे गए थे, इन्हें सजग किया। क्या सरकार बम्बई हवाई अड्डे के लिए मशीन खरीदेगी और अन्य हवाई अड्डों में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी ?

श्री जगजीवन राम : मुझे सही जानकारी नहीं है कि क्या इसका हैदराबाद में विकास किया जाएगा और क्या इसकी लागत बहुत अधिक है। लेकिन जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, इसका विकास किया जा चुका है और नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने इसे देख लिया है और परीक्षण में इसे संतोषजनक पाया गया है। अब इसे नागरिक उड्डयन तथा वायु सेना में लगाया जाएगा।

News-Item "Naga Battles will Flare up" in "The Observer", London

*546. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Wlil the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether he has read the despatch of Mr. Gavin Young published in Sunday, the 19th June, 1977 issue of the London newspaper "The Observer" in which Mr. Young, while referring to the Prime Minister's meeting with the rebel Naga leader Mr. Phizo some days back, has expressed apprehensions of renewed struggle by Mr. Phizo with India;

(b) whether any correspondence has been entered into with Mr. Phizo after the London meeting of the Prime Minister with him and if so, the facts thereof; and

(c) waether there has been any favourable outcome of the London meeting and if so, the details thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) (a) Yes, Sir.

(b) & (c). No Sir. A statement on the recent developments in Nagaland is placed on the Table of the House.

Statement

It will be recalled that some prominent leaders of the underground in Nagaland entered into an agreement in November, 1975,which is generally referred to as "The Shillong Agreement". In the agreement, they had clearly stated that they accepted of their own volition and unconditionally the Constitution of India; that they agreed to abjure violence as a means of achieving political ends. Thereafter, the ex-underground leaders have been making attempts to bring Mr. Phizo into the picture. Some of them proceeded to London in February this years to meet Mr. Phizo. While in London, they wrote to the then Prime Minister, requesting her to meet Phizo at the earliest possible date and expressing the confidence that a solution acceptable and honourable to both sides would emerge in the course of such a high-level meeting.

Soon after the new Government assumed office, some of the leaders of the ex-underground came and met me and the Prime Minister and again requested that the Prime Minister should agree to meet Mr. Phizo. The Prime Minister informed them that should Mr. Phizo ask for any such meeting, he would agree. The Prime Minister also made it absolutely clear to them that he could discuss problems of Nagaland, which relate to the internal affairs of the country, only if Mr. Phizo accepted the Indian Constitution and wished to discuss such problems as an Indian citizen. On receiving a request from Mr. Phizo, the Prime Minister's willingness to meet him in London was conveyed to him and the date of meeting was also fixed. Meanwhile, Mr. Phizo gave interviews to some journalists in the course of which he reiterated his earlier stand and made observations which indicated clearly that he had a closed mind on the subject and was not willing to take into account the developments in Nagaland ending with the Shillong Agreement and the progress Nagaland had made during all these years. Even so, the Prime Minister did not change his decision to meet Mr. Phizo. Two ex-underground leaders and two members of the Liaison Committee of the Nagaland Peace Council were also provided facilities, at their request, to visit London before Mr. Phizo was due to meet the Prime Minister.

In the course of his meeting with the Prime Minister, Mr. Phizo did not indicate any change in his earlier, totally unacceptable, position. When he raised subjects relating to the internal affairs of the country, the Prime Minister told Mr. Phizo that he could discuss such matters only if Mr. Phizo was talking to him as an Indian citizen and had accepted the Constitution. When Mr. Phizo referred to sufferings of the Naga people, the Prime Minister pointed out that

the Naga people were not suffering and only those who rebelled against the Government would be given no quarters. He was clearly informed that it was in the interest of Nagaland that no illusory aims or false hopes were allowed to be entertained.

Since then there had not been any correspoendence either with Mr. Phizo or any of the ex-underground leaders. Phizo's apprehensions, reported in his interview with a London newspaper, "The Observer", would appear to be attempts to misdead some sections of the Nagas into the futile path of conflict and suffering. The people of Nagaland and all the different political parties as well as the ex-underground leaders are fully aware of the unlimited scope the Constitution and constitutional methods offer for the rapid progress and development of Nagaland. They have seen for themselves what peace and constitutional methods can achieve. I am confident that the people and the political parties of Nagaland as well as the ex-underground would be in no mood to tolerate any recrudescence of violence. I may also add that those who had erroneously adopted violent methods in the past will not only be forgiven but also generously treated if they become peaceful and loyal citizens.

We are fully aware that a small number of persons, who had gone to a foreign country to secure arms, are still hiding outside the country near our borders. All possible precautions have been taken against any attempts by such persons to create any trouble.

We have age-old ties and friendly relations with Burma but it is unfortunate that for some 15 years hostile gangs from Nagaland and Manipur and later from Mizoram have been making use of Burmese territory for hostile activities against us. It is our firm policy not to allow our territory to be used for any hostile activity against any neighbouring country. We have every hope that the Government of Burma will take effective measures to prevent such activities by Naga or Mizo hostiles on their territory. On our part we have extended full cooperation to Burma as and when Burmese insurgent elements have intruded into our territory and we shall continue to do so.

Shri Nawab Singh Chauhan : In the Statement, laid on the Table, it has been stated that in the course of his meeting with the Prime Minister, Mr. Phizo did not indicate any change in his earlier position and he raised subjects relating to the internal affairs of the country. I would like to know what was the earlier position and what subjects were raised relating to internal affairs?

I would like to know the reaction of Mr. Phizo when Prime Minister said that he should become Indian citizen and accept the Constitution?

श्री मोरारजी देसाई : चूंकि बातचीत मेरे साथ हुई थी, इसलिए अच्छा होगा यदि मैं ही उत्तर दूं। किसी अन्य मंत्री द्वारा उत्तर देने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने अपनी बात 1946-47 से शुरू की थी। उनका कहना है कि वह महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि भारत नागालैंड पर आक्रमण नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी ने यह स्वीकार किया था कि नागा लोग भारतीय नहीं हैं। मैंने कहा कि सब निरर्थक है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या महात्मा गांधी से पूछना पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य उसके बाद की घटनाओं के बारे में पूछ सकते है। मैंने कहा था कि अब ये बातें निरर्थक हैं। नागालैंड भारत का हिस्सा है और रहेगा। यह एक राज्य है और अन्य राज्यों की तरह रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि नांगा लोग भारतीय नहीं है, तो मुझे न तो इसकी जानकारी ही है और न ही मुझे इस पर विश्वास है। यदि उन्होंने कहा भी हो तो भी में इससे सहमत नहीं। मैंने उन्हें यह भी बता दिया है कि उनका दुश्मनी का रवैया जारी रखना सही नहीं है।

यही बात नागाओं को नुकसान पहुंचाती है। नागा भारत के साथ हैं और अपने आचरण से भी वे इसकी पुष्टि करते है। लेकिन इनका आक्रमण जारी है और वह नागाओं

को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब बातों को रोकना होगा। यदि वह भारत को अपनी धरती और संविधान को अपना संविधान मानते हैं और पीछे किए गए समझौतों को मानते हैं तो उनका यहां स्वागत है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। बात को भला दिया जाएगा और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। यदि वह चाहते हैं और नागालैंड के लोग उन्हें चाहते हैं तो उन्हें नागालैंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अतः उन्हें इस प्रकार सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी कि हम यह करे या हम वह करे और अब नागाओं को देश से निकालना चाहते हैं। मैंने कहा कि यह असंगत बात है और हम नागाओं को देश से निकालना नहीं चाहते। लेकिन यदि विद्रोही नागा उन्हें परेशान करना चाहते हैं, तो मैं निश्चय ही ऐसे विद्रोहियों को देश से निकाल दूंगा। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। आप चाहे जो प्रचार करना चाहें, कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि 'मैं यह नहीं कह रहा, मैं वह नहीं कह रहा'। लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह भारतीय नागरिक है। जब मैंने विश्वासपूर्वक ऐसा कहा तो वे चले गए। उनके साथ उनका पुत्र, लड़की तथा एक अन्य आदमी है। उसने कहा कि क्या मैं उनसे मिलूंगा। मैंने बताया कि मैं अवश्य उनसे मिलूंगा। मैं उनसे मिला और उसके बाद वह चले गए। मैं उन दो लोगों से नहीं मिला जो उस समय तक नागालैंड जा चुके थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या वह उन दोनों को बाद में मिले या नहीं। तब एक ब्रिटिशवासी ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उसने श्री फिजो की कहानी तथा उनसे हुई मेरी बातचीत छापी थी। उसमें कहा गया था कि वह अपने आन्दोलन को बढ़ाना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया से मुझे ऐसा ही लगा। श्री फिजो ने टेपरिकार्ड की गई वार्ता को परिचालित किया। इसका अर्थ है कि हमारी बातचीत के दौरान उनके पास टेपरिकार्ड भी था, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे इसकी कोई चिन्ता भी नहीं है क्योंकि मैंने कोई गुप्त बात नहीं की थी। यदि उन्होंने इसे टेपरिकार्ड किया ह तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु उस टेपरिकार्ड के वार्तालाप में मुझे कुछ परिवर्तन नजर आया है क्योंकि मुझे उसकी एक प्रति प्राप्त हुई है जो कि नागालैंड में परिचालित हो रही है। उन्होंने कुछ शब्द हटा कर कुछ अन्य शब्द वहां रख दिए जिससे कि वार्तालाप में थोड़ी सी भिन्नता आ गई है। मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि हमें नागाओं के साथ समुचित ढंग से, सम्मानपूर्वक और समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। केन्द्र इस राज्य की उदारता से सहायता करता है। किन्तु यदि विद्रोही नागा अब चालबाजी खेलेंगे तो यह सहन नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

Shri Nawab Singh Chauhan : In the Statement it has been regretted that these rebel Nagas have been living in Burma for the last 15 years and they are continuing their activities from there. Burmese Government are not trying to check their activities. According to press reports they have got arms from China. I want to know whether you have got any assurance from the Burmese Government that they will not allow them to carry on their activities from there. At the same time whether you have asked the Chinese Government that they should not supply arms to them ?

Shri Morarji Desai : I do not think we should have talks with Burmese and Chinese Governments in this connection. We need not to ask any body in this regard. We will do ourselves whatever is necessary and ultimatery they will have to understand us.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान हाल ही में हमारे समाचार पत्रों में छप समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि श्री फिजो ने भूमिगत नागाओं को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए आहवान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें कुछ विदेशी सरकारों का समर्थन भी प्राप्त है। यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कर ली है और क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : किस बात की जांच करनी है ? मैंने उनका वक्तव्य पढ़ लिया है। अब आगे जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। किन्तु जब तक उनकी ओर से कोई हलचल नहीं होती या जब तक वे केवल बोल ही रहे हैं, तब तक मैं कुछ नहीं कहुंगा। किन्तु यदि उन्होंने कोई कार्यवाही की तो फिर हम समुचित ढंग से कार्यवाही करेंगे।

Dr. Ramji Singh : Some peace talks were held with Dr. Aram and his associates about the rebel Nagas and a peace agreement was reached at. Part A and B of that agreement have already been introduced but part(C) has not yet been introduced.

I would like to know whether the Hon. Prime Minister will discuss this matter with the representatives of Nagas in Parliament ?

Shri Morarji Desai : I do not know what the hon. member has in his mind. So far as part (C) of the agreement is concrned, they have to take steps under this part. I will definitely have discussion with the respresentatives of Nagas. They met me and they said that they are eager to maintain peace.

डा० हेनरी आस्टिन : श्रीमान्, माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि, नागालड भारत का भाग है और इस पर किसी तरह की समझौता वार्ता नहीं हो सकती, क्या प्रधान मंत्री उन नागाओं में देशभक्ती की भावना मजबूत करेंगे जिन्होंने देश के प्रति वफादार होने की घोषणा की है और जो अन्य नागाओं को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा, में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग श्री फिजो और उनकी विचाराधारा से सम्बद्ध हैं, वे केवल सक्रिय ही नहीं हैं, वरन् वे नागालैंड में मनमानी कर रहे हैं। मैं इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का समाधान एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में किया जायेगा। मैं हाल ही में नागालैंड गया हूं और मैंने देखा है कि नागालैंड में ही नहीं अपितु मिजोरम तथा अन्य स्थानों पर भी, आक्रमणकारी घटनाएं हुई हैं। अतः हमें इस समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र अधिक संवेदनशील होता है।

श्री मोरारजी देसाई : मिजोरम का नागालैंड या नागाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलाया जाना चाहिए। निस्संदेह ऐसा हो सकता हो कि उन्होंने उनकी नकल करने का प्रयास किया हो। मैं यह बात समझता हूं। किन्तु हम भी उनसे यथा संभव समुचित ढंग से निपट रहे हैं।

जहां तक अधिकांश नागा लोगों का सम्बन्ध है, वे भारत के साथ हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं उन्हें परेशान होने से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए सभी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है, जो पहले श्री फिजो के साथ थे और अब जो वैसा नहीं करना चाहते,मैं इस समस्या के समाधान में उनकी सहायता लेने के लिए तैयार हूं।

Dr. Ramji Singh : The security staff of the Prime Minister should not allow the Leaders of rebel Nagas to bring them anything when they come to have discussions with him. Because last time they brought a tape-recorder with them and next time they can bring an atom-bomb with them.

Shri Morarji Desai : If they bring any atom-bomb in jail they will die themselves. I am not afraid of any thing.

श्री तरुण गोगोई : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि भारत सरकार तथा विद्रोही नागाओं के बीच एक समझौता करने के लिए हुए शिलांग समझौते को श्री फिजो के अनुयायियों ने स्वीकार कर लिया है । यदि हां, तो क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या उसके बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ी है ?

श्री मोरारजी देसाई : श्री फिजो ने इसका बिल्कुल भी अनुमोदन नहीं किया था । उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा । किन्तु कई लोग जो उनके साथ थे, वे इससे सहमत हो गए हैं । जब तक वे इसे स्वीकार करते हैं तब तक यह मुझे भी मान्य है ।

श्री तरुण गोगोई : मेरी दूसरी बात यह है कि क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है या यह विगड़ रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि.....

श्री मोरारजी देसाई : मैं शांति भंग नहीं करना चाहता ।

Shri Ugarsen : Mr. Deputy Speaker the Janata Party in Nagaland wants to end President's rule in the state as early as possible in order to maintain law and order situation there. They also want that elections should be held there so that democratic atmosphere is created there.

Shri Charan Singh : We have repeated a number of times that the elections will be held there soon after the rainy season is over.

Shri Keshavrao Dhondge : I want to know whether the Indian High Commission in Britain or Government of India have protested against their reports published in newspapers in England in connection with Prime Minister's interview :

Shri Morarji Desai : We need not to do so.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : यदि श्री फिजो ने शिलांग समझौते को स्वीकार नहीं किया है तो उनके इस वक्तव्य में नई बात क्या है ?

Shri Charan Singh : Mr. Phizo had not approved Shillong Agreement. He says Nagaland is a independent country. He pointed out the difficulties between the two peoples of our two countries. He wanted to see the Prime Minister in order to resolve the difficulties between the two peoples. There is no question of his approving the Shillong Agreement.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कुछ समय पूर्व यह समाचार था कि श्री फिजो के रवैये में कुछ परिवर्तन हो गया है और वह वापस भारत आने के लिए तैयार हैं। हाल ही में उनके रवैये में फिर यह परिवर्तन क्यों आया है ? क्या सरकार इस पर प्रकाश डालेंगी ? दूसरे, जब लंदन में श्री फिजो तथा प्रधान मंत्री के बीच बातचीत हुई तो क्या प्रधान मंत्री ने उनको मिल रही देशी सहायता का भी उल्लेख किया था ? और यदि उन्होंने इसका उल्लेख किया था तो श्री फिजो ने क्या उत्तर दिया चीन के

साथ हमारे सम्बन्धों में हुए सुधार के बाद चीन में नागाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण में कोई परिवर्तन हुआ है ? हम इन तीन बातों के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : श्री फिजो के रवैये में जो परिवर्तन बताया गया है, वह गलत है । उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है और न ही आयेगा । वह वास्तविकता को तभी समझेंगे जबकि उन्हें कहीं से समर्थन नहीं मिलेगा । तभी वह सही रास्ते पर आयेगा, और शीघ्र ही ऐसा होने वाला है ।

Pension for Ex-Servicemen

*547. **Shri Yagaya Datt Sharma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether rates of pension for ex-servicemen were fixed five years ago or earlier;

(b) whether in the changed present conditions Government propose to review pension rates for ex-servicemen; and

(c) if so, the percentage by which the pension is proposed to be increased?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The rates of pension were revised in 1975 for personnel below Officer rank and in 1976/1977 for Officers. The revised rates are applicable to all Service personnel who became non-effective on or after 1-1-1973.

(b) and (c). No such proposal is under consideration.

Shri Yagya Datt Sharma: The Hon. Minister is aware that there has been abnormal ris in whole sale and retail prices of essential commodities. I want to know whether the Ministe will consider to increase the rate of pension of retired soldiers. If so, the time by which step will be taken in this regard.

Shri Jagjiwan Ram : I have just now told that the rates of pension were revised in 1975 and 1976-77. The House would recall that the Finance Minister in his speech had mentioned that demand is being made for increase in pension and they will consider it. If it is accepted the ex-servicemen will also get enhanced pension.

Shri Yagya Datt Sharma : It has been my experience that last time when the pension was increased, the higher officers were given more while the soldiers were not given in the same proportion. I would like to know from the Hon. Minister whether the hardships of sodilers would be kept in view while revising the rates of their pension.

Shri Jagjiwan Ram : It is not correct. The pension of personnel below officer rank is fixed as in the case of Civilian Government servants. The only difference is that the pension of service personnel is fixed after giving weightage for five years' service.

Dr. Karan Singh : Mr. Deputy Speaker, the entire country has sympathy for the ex-servicemen. Not only this, we are grateful to them because they have spent the best time of their lives for defending the country. Besides raising their pension, a number of other steps can be taken for their welfare. I think the ex-service men are not being given employment according to reservation made for them. It is essential to give scholarships to their children. Indian Soldiers, Sailors and Airmen Board has made several suggestions. I want to know from the Hon. Minister whether there is any scheme under his consideration to remove the difficulties and hardships of ex-servicemen ?

Shri Jagjiwan Ram : The question is that how to help the ex-servicemen. I would like to inform the House that there is an Advisory Committee for retired service personnel and officers. This Committee consists of ex-service personnel and M.Ps. from time to time their advice is sought.

It is very difficult to provide jobs to all the service personnels and soldiers who retire from the services. Another difficulty is that some times they are not found eligible. For many jobs graduates are required. but most of our ex-service men are not graduates. Besides this they are not trained for any particular job. Arrangements have already been made for giving train-

ing to the ex-service-men and a number of such persons have got training at Hyderabad and other places. Arrangements have also been made to give training in one or the other trade to soldiers before six months of their retirement so that if after their retirement they do not get any employment they may earn their livelihood by self-employment. As no surplus land is available anywhere we are making arrangements so that ex-service-men in maximum number may earn their livelihood by self employment.

Chaudhry Balbir Singh : I want to know whether it is a fact that the pension of the ex-service man who retired before 1973 is less and who retired after 1973 is more although their status is same. Will the Government remove this disparity?

Shri Jagjivan Ram : On accepting any other date it will surely make the same difference. Those who have retired in 1973 have got increased pension and those who have retired earlier, there is difference in their pension.

Chaudhry Balbir Singh : Their rank remained the same.

Shri Jagjivan Ram : But pay is not equal at every place. There is difference, so, there is no proposal to fill the gap.

श्री ए० सी० जार्ज : जवानों के सेवा निवृत्त होने के बाद हम उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं। ये भूतपूर्व सैनिक ही किसी भी राष्ट्रीय गतिविधि की सबसे अधिक अनुशासित शक्ति है । कुछ मामलों में वे 32 वर्ष (20+12 की आयु) में ही सेवा निवृत्त हो गए हैं । सेवानिवृत्ति के लिए यह आयु बहुत कम है । इसलिए पेन्शन के अलावा हमें इस अनुशासित शक्ति के बारे में व्यापक रूप में विचार करना चाहिए ।

देश में 2 करोड़ भूतपूर्व सैनिक है । अनुपातत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल में इनकी संख्या सर्वाधिक है । केरल में 2.5 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिक हैं । अत: पेंशन के बारे में अधिक विचार करने के बजाए, वैसे पेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके प्रशिक्षण और अनुशासन का उपयोग अधिक उचित रूप से किया जाए । अत: क्या सरकार उनको समुचित रोजगार देने के लिए कोई व्यापक योजना बना रही है । और क्या इसके सम्बन्ध में वह कोई श्वेत पत्र पेश करेगी कि इन भूतपूर्व सैनिकों से भूमि आवंटन आदि के मामले में कैसे लाभ उठाया जा सकता है ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर प्रश्न किया है और मैंने यह माना है कि यह बहुत ही कठिन और जटिल समस्या है । प्रतिवर्ष 50,000 सैनिक सेवा निवृत्त होते हैं और देश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए उन सबको लाभदायक कामों पर लगाना एक कठिन काम है । हमने विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों में श्रेणी तीन और चार में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए हैं, परन्तु सबको वहां खपाना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि ऐसा करने पर असैनिक क्षेत्र में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जाएगी।

लगता है हिन्दी में उत्तर देने के कारण सदस्य महोदय मेरी बात पहले समझ नहीं सके अन्यथा उनका बहुत कुछ समाधान हो जाता । जैसा मैंने बताया अधिकतर सरकारी पदों के लिए स्नातक की योग्यता आवश्यक है, और हमारे अधिकांश सैनिक अधिकारी स्नातक नहीं होते । अत: हम उन्हें प्रबन्ध सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे हैं जिससे वे गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम कर सकें।

जवानों को, एक दो राज्यों को छोड़, भूमि देने की बात नहीं सोच सकते । अत: हमें स्वयं रोजगार पाने के अधिक रास्ते खोजने होंगे । वे इसलिए हमने सेवा निवृत्त होने से छ: महीने पहले किसी

कला या दस्तकारी का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है जिससे बाद में वे अपना कोई उद्योग शुरू कर सकें ।

मैं माननीय सदस्य महोदय को याद दिलाता हूं कि कोई भी 32 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त नहीं होता, अब यह समय बढ़ा कर 15 वर्ष कर दिया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has just now said that government will give training to ex-servicemen. I want to know whether government will provide them sufficient money on loan rate of interest for starting industries and whether this arrangement will be made through Banks or through some other agency ?

Shri Jagjivan Ram : Arrangements have been made to provide loan through Banks. But it is not necessary that one can get loan only by giving one application.

Shri Sheo Narain : Young men in large number are roaming with out any work. May I know whether Government will help in appointing the retired ex-servicemen as drill masters in schools and colleges ?

Shri Jagjivan Ram : It means that those who are working at present should be removed.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रख कर सभी सैनिक कर्मचारियों का सेवा काल असैनिक सेवाओं की तुलना में बहुत कम है, तथा देश की सुरक्षा के लिए कुशलता को बनाए रखने के लिए क्या रक्षा मंत्री उन्हें सुरक्षित सैनिक के रूप में और अधिक समय तक रखने और इस समय को उनके सेवा काल में जोड़ने पर विचार करेंगे जिससे उन्हें वे असैनिक कर्मचारियों के समान सामान्य पेंशन मिल सके ?

श्री जगजीवन राम : पेंशन का हिसाब लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है और सैनिकों को अधिक पेंशन मिलती है ।

सुरक्षित सैनिकों की रूचि अधिक लोकप्रिय नहीं हुई है । इसलिए हमने अब इसे समाप्त कर दिया है ।

श्री गंगा सिंह : कभी-कभी सैनिक जल्दी सेवा निवृत्त हो जाते हैं । मैं स्वयं 21 वर्ष की आयु से पहले सेवा निवृत्त हो गया था । क्या सरकार इन लोगों के लिए आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आदि में आयु में छूट देगी ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा पहले ही किया जा चुका है ।

श्री जी० एस० रेड्डी : कुछ जगहों पर सैनिकों को भूमि दी गई है परन्तु उन्हें उनका अधिकार मिलने में कठिनाई हो रही है । क्या सरकार इस सम्बन्ध में उनकी मदद करेगी ?

श्री जगजीवन राम : मैं यह बात राज्य सरकारों के ध्यान में लाऊंगा ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बंगलौर स्थित घड़ियों की फैक्टरी के कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग

*554. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बंगलौर स्थित घड़ियों की फैक्टरी के कर्मचारियों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि श्रमिकों की 20 प्रतिशत से अधिक बोनस तथा वर्ष 1975–76 के लिये बोनस के बकाया की अदायगी की मांग पूरी की जाय;

(ख) क्या श्रमिकों की यूनियन ने केन्द्र से यह भी अनुरोध किया है कि फैक्टरी के प्रबन्धकों को आदेश दिया जाए कि श्रमिकों के साथ उत्पादकता पर आधारित वार्षिक बोनस पर बातचीत की जाए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) बोनस भुगतान अधिनियम, जिसे 1976 में संशोधित किया गया, के लागू होने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े वार्षिक बोनस का भुगतान उनकी मजूरी के अधिक से अधिक 20% तक दिया जाता है। तदनुसार एच० एम० टी० वाच फैक्टरी, बंगलौर के कर्मचारियों को अधिकतम कानूनी बोनस का भुगतान कर दिया गया है और कोई भी शेष राशि बकाया नहीं है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : बकाया राशि की अदायगी के लिए मैं प्रबन्धकों को बधाई देता हूं तथा मुझे और कुछ नहीं पूछना है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : एच० एम० टी घड़ी फैक्टरी के कर्मचारी लम्बे समय से यह मांग कर रहे हैं कि यदि 20 प्रतिशत की सीमा न होती तो उन्हें कहीं अधिक बोनस मिलता। क्या मंत्री महोदय प्रोत्साहन के रूप में उन्हें 20 प्रतिशत से अधिक बोनस देने के लिए कोई और तरीका खोजेंगे, जिससे कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रयत्नों को समुचित पुरस्कार मिल सके?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : इस समय हम बोनस अदायगी अधिनियम, 1976 के अनुसार चलते हैं।

श्री वयालार रवि : जैसा कि आश्वासन दिया गया है क्या मंत्री महोदय कालामसेरी स्थित एच० एम० टी० फैक्टरी की हड़ताल अतिशीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री जाज फर्नांनडिस : इस सम्बन्ध में मैं केरल सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हूं।

नये कस्बों में टेलीविजन सुविधाओं का विस्तार

*555. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत नये कस्बों में टेलीविजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कसौटी निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) चार लाख से अधिक जनसंख्या वाले शोलापुर जैसे बड़े नगरों में इन सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उनको कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख). उद्देश्य यह है कि यथा संभव देश के अधिक से अधिक क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध की जाए बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से संभव हो और अपेक्षित वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ). पांचवीं योजना अवधि के दौरान जो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं वे हैं :--मसूरी और कानपुर में एक एक रिले केन्द्र, "साइट" उत्तरवर्ती योजना के अन्तर्गत जयपुर, रायपुर, गुलबर्गा, हैदराबाद, सम्बलपुर और मुजफ्फरपुर में छः स्थलीय ट्रांसमीटर और जालन्धर में दूरदर्शन केन्द्र। जयपुर और रायपुर के ट्रांसमिटर क्रमशः 1-3-77 और 10-5-1977 को चालू किए गए थे। मसूरी रिले केन्द्र को 12-8-1977 को चालू करने का कार्यक्रम है। शेष चार स्थलीय ट्रांसमिटरों के वर्ष 1977 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। कानपुर रिले केन्द्र और जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र के पांचवीं योजना के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने बताया कि टेलीविजन सुविधा का विस्तार वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। टेलीविजन के विस्तार के लिए कितना धन रखा गया है तथा बड़े नगरों में टेलीविजन केन्द्र और छोटे नगरों में रेडियो केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : पांचवीं योजना में 'साईट' के अलावा अन्य कोई योजना नहीं बनाई गई है। कसौली, मिदनापुर और आसनसोल में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की योजनाएं भी छठी योजना के लिए रख छोड़ी गई हैं

श्री एस०आर० दामाणी : जो नाम मंत्री महोदय ने गिनाए वे तो बहुत कम हैं। अनेकों क्षेत्र टेलीविजन और रेडियो की सुविधाओं से वंचित हैं। बहुत से स्थानों में जहां टेलीविजन केन्द्र हैं वहां टेलीविजन की मरम्मत की सुविधाएं नहीं हैं। अतः वहां आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मरम्मत की सुविधायें न होने के कारण ही सरकार को अपने कार्य में ढिलाई देनी पड़ी है और योजना आयोग को उसने तदनुसार सलाह दी है।

Shri Hukamdeo Narain Yadav : I want to know the use of spending money on providing T.V. sets in all the villages of that country where people do not have food to eat, house to live in, clothes to wear, water for fields and medicines for patients ?

May I know whether government will exhibit such films on T.V. which will provide them food and clothes ?

Shri L.K. Advani : Mr. Deputy Speaker, I understand the feelings of hon. member. That is why I have said that the expansion of T.V. and Radio should be linked with planning. There is no use of making a means of recreations for urban population only. It can be useful only when it is used for education and development.

Planning Commission has given sanction to site-on-going schemes because they broadcast such programmes.

श्री के० लकप्पा : टेलीविजन का विकास करते समय दक्षिण के महत्वपूर्ण नगरों जैसे हैदराबाद, कोचीन और बंगलौर को क्यों छोड़ दिया गया है। दक्षिणी राज्यों के साथ यह भेदभाव क्यों? इन राज्यों को टेलीविजन की सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : कोई और दक्षिणी राज्यों को, विशेष कर कर्नाटक को भूल जाये पर मंत्री होने के नाते मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मैं वहां 19 महीने रहा हूं सम्भवत: सदस्य महोदय ने सुना नहीं। मैं पांचवीं योजना के सम्बन्ध में बता चुका हूं कि योजना आयोग ने चालू योजनाओं को स्वीकार कर दिया है और कर्नाटक में गुलबर्गा आदि का नाम उसमें है।

श्री के० लकप्पा : आपके दिमाग में और स्थान होंगे, परन्तु दक्षिणी राज्यों को ये सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रहीं हैं। यह भेदभाव क्यों? **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सदन के सदस्य मेरी इस बात से समहत होंगें कि हमने अपना काम उस स्थान से शुरू किया है जिस स्थान पर हमने उसे हाथ में लिया था। अब तक जो कुछ किया है और जिसे योजना आयोग ने स्वीकृति दी वह सब भूतपूर्व सरकार की सहमति से उसके निर्देशों अनुसार किया गया है नाकि मेरी सरकार द्वारा किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The former Information and Broadcasting Minister had given us an assurance in this House that television centres will be set up in Raipur, Bhopal and Indore. Will the hon. Minister be pleased to state whether the work on these projects will start by the end of the fifth five year plan, If so how much time will be taken to complete this work.

Shri L. K. Advani : I have already indicated that Raipur Television Centre has started functioning since 1st March, 1977. There is no plan to set up television centres in the other two cities mentioned by the hon'ble Member.

Shri Ram Sewak Hazari : No television centres have so far been set up in the backward areas that have already been electrified will the hon. Minister give priority to such areas in the matter of setting up of new Television centres. Will there be any education programmes on television to encourage the farmers and to create interest among the childrem.

Shri L. K. Advani : Already such programmes are being telecast by the television centres. However the Government has prepared a far reaching plan under which a large area consisting

of Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Orissa, Karnataka and North eastern area and Laccadive Island will be covered by sattellite based television system. It will take time to implement the same. In other areas, in due course we will make use of sattellite base television system through terestrial television plan.

Shri Lakhan Lal Kapur : The hon'ble Member has just started that in a country like India where 2/3 of the total population is living below the poverty line there is no use of setting up of television centres for the recreation of few people of few cities. We all welcomed this idea. The existing Capitalistic system is the legacy of the previous Government. Now since the Janta Government has come to power people are hoping that this Government will give top priority to the welfare of common man. Suitable schemes will be made for the depressed class. Keeping in view the feeling of the people will the hon'ble Minister instead of setting up of expansive television centres make arrangements for the drinking water, because water is more necessary than any such things.

Shri L. K. Advani : I have already stated that the television system will be expanded with a view to help in furtherance of educuational schemes and impart education on health etc. Television is to be expanded for this purpose and not for recreation.

श्री ए०सी० जार्ज : कर्नाटक राज्य ने मंत्री महोदय को अपने यहां 19 महीने रखकर जो आवभगत की है उसके लिए वहां एक उपग्रह अथवा एक प्रसारण केन्द्र बनाया जा रहा है। केरल को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हुआ इसलिए वहां टेलीविजन केन्द्र नहीं बनाया जा रहा। जब किसी टेलीविजन केन्द्र के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो मंत्री महोदय द्वारा अथवा उनके प्रवक्ता द्वारा यह सुनने को मिलता है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं। अब टेलिविजन प्रसारण के संबंध में धारणा बदल रही है और अब इसे आर्थिक रूप से क्षम समझा जाता है। अतः प्रसारण मंत्री को हमेशा वित्तीय कठिनाइयों की दुहाई देने के बजाय टेलिविजन के संबंध में एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उन्हें एक प्रस्ताव करना चाहिए जिससे कि इसे आर्थिक रूप से क्षम बनाया जा सके और इसका विस्तार दक्षिण के सुदूर क्षेत्र केरल तक क्यों नहीं किया जाता। मुझे विश्वास है कि दक्षिण के राज्यों के प्रति उनकी अत्यधिक सहानुभूति है इसलिए वह आर्थिक रूप से क्षम टेलिविजन केन्द्र दक्षिण में स्थापित करने पर क्यों नहीं विचार करते।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : टेलिविजन केन्द्र स्थापित करने के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ कहा गया है मैंने उसे अच्छी तरह सुना है। यदि आप बिल्कुल आर्थिक रूप से क्षमता की बात सोचेंगे तो शहरी मनोरंजन को अधिक महत्व देना पड़ेगा। लेकिन यदि टेलिविजन के माध्यम से विकासीय उद्देश्यों, शैक्षिक उद्देश्यों और स्वास्थ्य उद्देयों और कृषि उद्देश्यों को हल करना चाहते हैं तब बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और सरकार ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किसी विशेष क्षेत्र के साथ पक्षपात करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा तो यही प्रयास है कि यथा संभव समूचे देश में दूरदर्शन केन्द्र खोले जायें, बशर्ते कि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त वित्तीय साधन हों।

डा० कर्ण सिंह : मनोरंजन तथा शिक्षा सम्बन्धी पहलुओं के अतिरिक्त दूरदर्शन का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी होता है और वह भी विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों पर।

इसलिए विशेष रूप से श्रीनगर, अमृतसर जैसे राज्यों में, जहां पाकिस्तान दूरदर्शन बहुत आसानी से उपलब्ध होता है तथा बहुत शक्तिशाली भी है, दूरदर्शन केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव था। किन्तु जो सूची पढ़ी गई है, उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि जम्मू में एक रिले स्टेशन स्थापित करने का जो प्रस्ताव था उसे स्थगित कर दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन जैसे राज्यों में, जहां आप सारे दिन पाकिस्तान दूरदर्शन देख सकते हैं, मूल केन्द्र या रिले केन्द्र स्थापित करने को प्राथमिकता दें।

श्री लाल कृष्ण अडवानी: यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है और इसे मैं ध्यान में रखूंगा। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि करने तो कई काम थे किन्तु वे सभी व्यवहारिक नहीं हो सकते।

Shri Virender Prasad : I want to ask the hon. Minister whether there is any scheme under his consideration to set up a television centre at Rajgiri in Nalanda district. This is a place of international fame and a large number of people visit this place.

Shri L. K. Advani : At present there is not any such scheme under consideration.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

आगरा-बम्बई राजपथ के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर राजघाट पुल का काउंटिंग ब्रिज

22. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा–बंबई राजपथ के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर राजघाट पुल का काउंटिंग ब्रिज टूट गया है और स्टीमर सेवा भी नहीं चलाई जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणामस्वरूप रेल यातायात भी ठप्प हो गया है और क्या सरकार यातायात के परिवहन के लिये तत्काल अतिरिक्त रेल डिब्बों की व्यवस्था करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर आगरा–बंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर चंबल नदी के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के पास, जो कुछ समय पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसका पुनर्निर्माण पहले से ही किया जा रहा है, साफ मौसम में प्रयोग के लिये बनाए गये पीपों के पुल से है। हमेशा की तरह 27–6–77 को बरसात के दिनों के लिये पीपों का पुल हटा दिया गया। पुल के गिर जाने के बाद, ढलान शक्ति के लांचों से युक्त पार-उतराई सेवा उपलब्ध कराई जाती है और इसे तभी स्थगित किया जाता है जब नदी में बाढ़ हो। जब ऐसा होता है, यातायात अनिवार्यतः थोड़े समय के लिये दूसरे मार्गों पर चलने लगता है।

Shri Chavi Ram Argal : Mr. Deputy Speaker, sir the Cowting bridge of Rajghat bridge on Madhya Pradesh and Rajasthan border was constructed in 1959 and it was opened for traffic in 1960. After 13 years in 1973 this bridge gave way. Whether a committee was appointed on 8th May, 1973 regarding this bridge, if so what is its report.

I would like to draw the attention of the Government to this fact that during the regime of previous Government Shri Atal Bihar Vajpayee, Dr Laxmi Naryan Pandey and Shri Hukam Chand had expressed their concern over giving way of this bridge they told the House that people were facing lot of difficulties on account of this bridge collapse. Dr Pandey had also raised a question in this regard and in answer to his question no. 488 it was stated that the bridge will be constructed again within two years. I want to know by what date this bridge will be completed so that it could be opened to traffic.

श्री मोरारजी देसाई : मई 1973 में भारत सरकार ने चम्बल एन० एच० 3 पुल के गिरने के कारणों की जांच तथा पुल के पुनर्निमार्ण के उपायों के संबंध में सुझाव प्राप्त करने हेतु एक जांच समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपने निष्कर्ष दिए हैं और सिफारिश की है कि विद्यमान पुल को बने रहने दिया जाए। इसीलिए टेंडर मंगाए गए और नवम्बर 1975 में 217 लाख रुपये की लागत का एक ठेका दे दिया गया। कई नीवें रखी जा चुकी हैं पर फिर भी अभी कुछ बाकी है। दिसम्बर, 1978 तक पुल के पूरा होने की संभावना है और इस पर कुल लागत 297 लाख रुपये आयेगी।

Shri Chavi Ram Argal : May I know from the Prime Minister whether it is a fact that due to collapse of the Cowting bridge on 27-7-1977 the passengers or vehicles bound for Delhi are coming via Indore, Kota, Jaipur or via Sikar, Kota Jaipur and Bhind and Etawah route I want to know whether arrangements will be made to stop fast trains at Gwalior, Morena so that passengers of these places are also able to travel by these trains and I also want to know whether extra wagon and second class compartments will be attached to these trains.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr Deputy Speaker, Sir this bridge was constructed in 1959 and it was opened to traffic in 1960 but after 13 years it gave way. I want to know whether any action has been taken against that contractor who has constructed this bridge whether any conditions were laid regarding the life of the bridge.

The hon. Prime Minister has just stated that the bridge is expected to be completed by December 1978 but it does not seems to be possible because no work is going on there. Many baseless things have been mentioned in this report I want to know whether a separate inquiry will be held in this regard. The plight of the passengers is beyond expression. At times they get stranded for 15 days. Other routes are also not in good condition. They are not fit for heavy traffic. I want to know what steps you propose to take in this regard so that people do not have to suffer inconvience any more.

Shri Morarji Desai : As I have stated earlier that the bridge is expected to be completed by Dec. 1978. We are making all efforts. I have no knowledge that passengers stranded there for 15 days. If such complaint is sent to me I will definitely look into it.

Shri Raghubir Singh Machhand: What are the reasons for giving away of this bridge. Who is responsible for it, contractor or the Government ? If the contractor is responsible then what action the Government has taken against him.

Shri Morarji Desai : Both are equally responsible.

Dr. Laxmi Narayan Pandey: I want to know from the Prime Minister whether it is a fact that soon after its completion several defects were noticed. Whenever any bridge is construc-

ted its life-time is fixed that it will last for 50 years or 25 years etc. I want to know whether this bridge has given way before the stipulated time. Due to callapse of this bridge traffic has been badly disrupted and it is causing inconvenience to passengers. I want to know from the Prime Minister whether any action has been taken against those who have constructed such defective bridge.

Shri Morarji Desai : The information is not available with me in this regard, but I will cerainly look into the matter and if necessary the action will be taken against them. The new bridge will be constructed by Dec. 1978.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

कागज कारखानों की स्थापना के लिये सहायता

*548. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज़ उद्योग ने वर्तमान उत्पादन बढ़ाने और कागज़ बनाने के अधिक कारखाने स्थापित करने हेतु सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख). सरकार को कागज़ उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों और फर्मों से उत्पादिता बढ़ाने तथा उत्पादन में और बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहन देने सम्बन्धी विभिन्न सुझाव समय-समय पर मिलते रहते हैं। सरकार कागज के उत्पादन को बढ़ाने के अभ्युपायों पर विचार करते समय इन पर भी ध्यान रखती है।

फिल्मों पर लगाया गया शुल्क

*549. **श्री निहार लास्कर** :

श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला था और वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए शुल्क के बारे में कठिनाइयों को उनके समक्ष रखा था।

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल वित्त मंत्री से भी मिला था और उनसे शुल्क का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) वित्त मंत्री ने फिल्मों पर उत्पाद-शुल्क लगाने के बारे में कुछ परिवर्तनों की पहले ही घोषणा कर दी है। उम्मीद है ये फिल्म उद्योग की शिकायतों को दूर करने में काफी सहायक होंगे।

आल इंडिया डिफेंस एम्प्लाईज फेडरेशन द्वारा आन्दोलन

*550. **श्री के० ए० राजन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया डिफेन्स एम्प्लाईज फेडरेशन ने अपनी मांगें मनवाने के लिये देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लाईज फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन के बारे में रक्षा मंत्रालय में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु डिफेंस वर्कर्स बुलेटिन में प्रकाशित एक समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि आल इंडिया डिफेंस इम्प्लाईज फैडरेशन की कार्यपालिका समिति की 28 जून से 30 जून 1977 तक दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है कि मांग बिल्ले पहन कर, प्रदर्शन द्वारा तथा बैठकें करके और प्रेस को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सारे देश में 25 से 30 जुलाई 1977 तक एक विरोध सप्ताह मनाया जाए ।

(ख) डिफेंस वर्कर्स बुलेटिन में दी गई मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) हर प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त करना ।

(2) रक्षा मंत्रालय द्वारा 1972 में जारी किए गए पत्र को रद्द कराकर एम० सी० यू० ई० सहित डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार देना ।

(3) स्थायी समझौता तंत्र (पर्मानेंट नेगोसिएटिंग मशीनरी) को पुनर्जीवित करना ।

(4) अनिवार्य जमा योजना की दूसरी किस्त का तत्काल नकद भुगतान ।

(5) आपात स्थिति के दौरान मंहगाई भत्ते में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कटौती समाप्त कराना ।

(6) औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच छुट्टी और अन्य सेवा शर्तों जैसी वर्तमान असमानताओं को हटाना ।

(7) ए० ओ० सी०, ए० एस० सी० कंजर्वेंसी तथा अन्य स्थापनाओं के मजदूरों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर ।

(8) तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए रात्रि ड्यूटी भत्ते की अदायगी ।

(9) पर्यवेक्षीय तथा अन्य सम्बद्ध वर्गों के वेतन मानों को 1—1—1973 से रेलवे के बराबर नियत करना ।

आल इंदिया डिफेंस इम्प्लाईज फेडरेशन की वास्तविक मांगों को बताना और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का संकेत देना तब तक संभव नहीं है जब तक कि फैडरेशन द्वारा सरकार को मांगे औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती हैं ।

बिजली के अन्तर्राज्यीय विनिमय के लिए समान दरें

*551. **श्री पी० रामगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय राज्यों में बिजली का विनिमय वापस लौटाने के आधार पर होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली को बदलने के लिये सरकार बिजली के अन्तर्राज्यीय विनिमय के लिए समान दरें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख). दक्षिण बिजली क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फिलहाल बिजली की कमी है । इनके बीच बिजली का आदान-प्रदान सामान्यतया नेट निल बेसिस (समान आधार) पर होता है । केरल के पास अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली है और वह तमिलनाडु को अल्पकालीन सहायता के तौर पर तथा तमिलनाडु के जरिए कर्नाटक को गैर-वापसी के आधार पर बिजली दे रहा है ।

विभिन्न श्रेणियों के इस प्रकार के आदान-प्रदान के लिए क्षेत्र में बिजली के अन्तः प्रणाली विनिमय हेतु दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने टैरिफ के मार्गदर्शी विद्वान्त तैयार किए हैं और इस संबंध में टैरिफ के ढांचे के ब्यौरों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ।

गोआ में अणुशक्ति केन्द्र

*552. **श्री डुआर्डो फलोरो :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोआ में अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का सही स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि प्रस्ताव को कार्यरूप दिया जाता है, तो दूषण रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

देश में कोयले का बाहुल्य

*553. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले का बाहुल्य है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये है कि कोयले का स्टाक कम से कम अपेक्षित मात्रा में इकट्ठा हो; और

(घ) कोयले की मांग का निर्धारण करने की पद्धति को कहां तक युक्तिसंगत बनाया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) 1-6-1977 को कोयले का कुल खान मुहाना स्टाक 12.5 मि० टन था। यह लगभग 42 दिन के उत्पादन के बराबर है और इतने स्टाक को अनावश्यक रूप से अधिक नहीं समझा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वार्षिक उत्पादन की योजनाएं कोयले की मांग का निर्धारण करने के बाद खान मुहाना स्टाक का ध्यान रखते हुए तैयार की जाती हैं ।

(घ) मांग का निर्धारण प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों की सलाह से किया जाता है और इसकी निश्चित अवधि पर पुनरीक्षा भी की जाती है ।

महाराष्ट्र में विचाराधीन पड़ी विद्युत परियोजनाएं

*556. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की ऐसी कौन-कौन विद्युत परियोजनाएं और अन्तर्राज्यीय परिषण लाइनें हैं जो विचाराधीन पड़ी हैं ; और

(ख) उन पर, अलग-अलग, शीघ्र स्वीकृति देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख). महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति उपावन्ध में दी गई है। कुछ मामलों में लागत संबंधी संशोधित अनुमानों की प्रतीक्षा राज्य प्राधिकारियों से की जा रही है । दो जल-विद्युत स्कीमों के संशोधित अनुमानों का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में कर दिया है ।

जहां तक ताप-विद्युत स्कीमों का प्रश्न है, ट्राम्ब में उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा एक गैस टर्बाइन उत्पादन केन्द्र की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जहां तक अन्तर्राज्यीय अन्तर्क्षेत्रीय लिंक लाइनों का संबंध है, बेलगांव-कोल्हापुर 220 के० वी० लाइन के दूसरे सर्किट के तार कसने का कार्य हाथ में लिए जाने की आशा है । महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच 400 के० वी० लाइन स्थापित करने संबंधी एक अन्य प्रस्ताव की जांच दीर्घावधि प्रणाली योजना अध्ययनों के प्रथम सोपान के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है । इस समय ये अध्ययन किए जा रहे हैं ।

विवरण

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)
1 भण्डारधारा जल-विद्युत परियोजना	(मेगावाट) 1 × 10 + 1 × 35	महाराष्ट्र प्राधिकारियों द्वारा जून, 1977 के अन्त में भेजे गए संशोधित अनुमानों की तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है ।
2 गिरना जल-विद्युत परियोजना	2 × 35	राज्य प्राधिकारियों से लागत अनुमानों को अद्यतन रूप देने का अनुरोध किया गया है ।
3 पवन जल-विद्युत परियोजना	1 × 10	राज्य प्राधिकारियों से लागत अनुमानों का अद्यतन रूप देने का अनुरोध किया गया है ।
4 सहस्त्रकुण्ड जलविद्युत परियोजना	2 × 15 + 1 × 10	गोदावरी बेसिन के जल का उपयोग किए जाने के बारे में संबंधित राज्यों के बीच हाल ही में हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकारियों को परियोजना के स्वरूप में संशोधन करना होगा ।
5 जलसिन्धी जल-विद्युत परियोजना	6 × 75	नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण के निर्णय के पश्चात ही परियोजना के स्वरूप को अन्तिम रूप दिया जा जा सके गा ।
6 टिल्लारी जल-विद्युत	1 × 60	राज्य प्राधिकारियों से जुन, 1977 में संशोधित अनुमान प्राप्त हो गए हैं और उनकी तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है ।
7 कोयना बांध बिजली घर	2 × 20	राज्य प्राधिकारियों से जल-विज्ञान संबंधी और लागत अनुमानों संबंधी उत्तरों की प्रतीक्षा है ।

उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना

*557. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बड़े नगरों में स्थापित कुछ उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस):(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई

*558. श्री के० प्रधानी : क्या **नोवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान कोयले की ढुलाई समुद्री मार्ग से करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन पत्तनों का चयन किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) तूतीकोरिन और भाव नगर में उतारने के लिए कलकत्ता हिल्दिया पत्तनों से तट पर 0.71 मिलियन टन कोयला ढोये जाने की संभावना है ।

जिलावार समाचार प्राप्त करने के लिए आकाशवाणी द्वारा समाचार ब्युरो की स्थापना

*559 **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिलावार समाचार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले में समाचार सेवा की व्यवस्था करके आकाशवाणी की एक समाचार ब्युरी स्थापित करने की योजना है ।

(ख) यदि हा ; तो तत्सम्बन्धी दी मुख्य बातें क्या हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के पास 87 पूर्णकालिक और 194 अशकालिक संवाददाता है जो सारे देश में फैले हुए है । पूर्णकालिक संवाददताओं में से, 13 मुख्यालय में, 40 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में और 34 अन्य नगरों में है ।

जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं की संख्या पिछले तीन महीने में 90 से बढ़कर 194 हो गई ह । 45 और अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने की कारवाई चल रही है । उसके बाद देश के 228 जिले कवर हो जायेंगे । शेष 122 जिलों को संसाधनों के उपलब्ध होने पर कालान्तर में हाथ में लिए जाने वाले विस्तार कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवर करने का प्रस्ताव है

IAF Fighting Planes

*560. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Pakistani Air Force possesses faster and longer range striking capacity fighter planes as compared to those possessed by the Indian Air Force; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove this deficiency of the IAF for the defence of India ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). According to reports Pakistan possesses aircraft which though comparable in speeds to those of the IAF, have a longer range strike capability. We are, however, fully prepared to meet any threat to our country.

इदुक्की परियोजना पूरे होने में विलम्ब

561. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इदुक्की परियोजना के पूरे होने में विलम्ब के कारण केरल राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) इदुक्की बांध को मूलत कब पूरा होना था ;

(ग) क्या इदुक्की बांध के निर्माण में विलम्ब के कारणों की सरकार ने जांच की है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) से (घ). केरल के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इदुक्की जल विद्युत परियोजना अगर मूल कार्यक्रम के अनुसार चालू की गई होती तो, उनके मूल्यांकन के अनुसार इससे लगभग 20 करोड़ रुपए की वार्षिक आय हुई होती । मूल कार्यक्रम में सितम्बर, 1970 तक पहले विद्युत उत्पादन यूनिट के चालू किए जाने की परिकल्पना की गई थी ।

ऐसी सूचना मिली है कि भूमि अर्जन तथा निष्कासन के मामलों के कारण, श्रम संकटों के कारण कार्य बार-बार बंद हो जाने और प्रारम्भिक अवस्थाओं में विदेशी निर्माण उपस्कर विलम्ब से प्राप्त होने के कारण परियोजना के निर्माण कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है । केरल के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि निर्माण कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए राज्य सरकार ने समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए हैं ।

इदुक्की जल-विद्युत परियोजना चरण-एक की तीनों उत्पादन यूनिटें 1976 की अवधि के दौरान चालू की जा चुकी हैं ।

कम्बीनेशन कैरियर्ज

*562. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो कम्बीनेशन करियर्ज में, जो केवल तीन वर्ष पूर्व युगोस्लाविया के शिपयार्ड में बनाये गये थे और जिसके डिजाइन और निर्माण कार्य का अवीक्षण अमरीकन ब्यूरो आफ शिपिंग ने किया था, उनके खोल के भीतरी तरफ दरारें पड़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) परिचालन के लगभग दो वर्ष के बाद, दो जहाजों के दोहरे तले के बाहर के चादर के कुछ जगहों पर दरार पड़ी हुई दिखाई दी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये निगम की स्थापना करना

*563. **श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) निगम की स्थापना कब तक की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिकों की उद्योग धन्धे स्थापित करने में सहायता करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को अब छोड़ दिया गया है । परन्तु यह निर्णय किया गया है कि यह कार्य सरकार द्वारा विभागीय आधार पर किया जाना चाहिए और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

छोटे ट्रैक्टर

*564. **श्री रशीद मसूद :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निम्न और मध्यम वर्ग के किसान अधिक शक्ति वाले आयातित ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं तथा वे रूस में बने डी-डी 14 जैसे छोटे ट्रैक्टरों को ही खरीदना चाहते हैं जिनका आयात 1969 में बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मध्यम वर्ग के किसानों की कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां ।

(ख) 23 अ०श० से 26 अ०श० के बीच की रेंज में कम अश्व शक्ति के ट्रैक्टर देश में ही निर्मित किये जा रहे हैं और 30,370 रुपये से लेकर 38,570 रुपये तक के मूल्य में उपलब्ध हैं इसमें 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित है । इन ट्रैक्टरों के मेकों में 25 अ०श० का टी-25 ट्रैक्टर भी है जो सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है । टी-25 ट्रैक्टर डीटी–14 का सुधरा हुआ रूप है जिसका उत्पादन सोवियत संघ में बन्द कर दिया गया है । कम अश्व शक्ति के छोटे ट्रैक्टरों का उत्पादन मध्यम वर्ग के किसानों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

Hunger Strike by Workers in Lalmatia Coal Mines

4054. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether a large number of workers went on hunger strike last month in Lalmatia coal mines in Mahgaya Thana of Santhal Pargana and if so, the reasons therefor ;

(b) whether, after nationalisation of eight coal mines, only one mine was kept working rendering thousands of labourers jobless and marred production capacity ;

(c) whether chartered trucks have to wait for two days to get the load from the Lalmatia mines but those who pay bribes get their load on priority ;

(d) Whether Government are aware that previously bullock carts were utilised for transporting coal from the Lalmatia group of mines which provided employment to local poor people and if so, reasons for dispensing with this practice; and

(e) whether Government propose to re-introduce this practice ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandaran) : (a) There was a relay Dharna/ Fast in the Office of the Manager, Lalmatia Colliery in batches of ten to fifteen, demanding permanent absorption of the seasonal workers. The matter was referred to the Assistant Labour Commissioner (C) Patna, consequent to which the Dharna was called off from 3-6-77.

(b) Only six mines were taken over in this area at the time of nationalisation, including some closed units. Due to various reasons including safety considerations, production was concentrated in one mine which was sufficient to cater to the demands for coal in this area. All the taken-over regular workers from these six mines were absorbed.

(c) It is not correct that trucks have to wait for two days to get their load from these mines. A queue system on first-come-first serve basis is being followed by the Company for truck loading at Lalmatia. The truck drivers have always been advised to register complaints in case they find any inconvenience. So far, the management have not come across any serious complaint. The management is maintaining a book in which incoming trucks have to enter their numbers drivers have too sign the register on entry and exit.

(d) & (e). Transporting of coal by bullock carts at Lalmatia Colliery is carried on in winter and dry season. The practice has not been dispensed with. It is, the customer's preference whether he is to employ a bullock cart or a truck. The trucks are, however, given preference for loading as they come from long distances and waiting for them becomes costly.

अनुसूचित जातियों की सूची से 'मोची' जाति का निकाला जाना

4055. **श्री अहसान जाफरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 108) के संबंन्ध, में जिसमें गुजरात शीर्ष के अन्तर्गत अनुसूची 4 की मद संख्या 4 में 'मोची' जाति को अनुसूचित जाति के रूप में सम्मिलित किया गया है विधि मंत्रालय के 20 सितम्बर, 1976 के राजपत्र के विषय में गुजरात सरकार द्वारा कोई अभ्यावेदन भेजा गया है कि उसमें परिवर्तन किया जा सके और सूची में से 'मोची' जाति को निकाला जा सके, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि गुजरात राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने गुजरात राज्य के सभी विभागों से कहा है कि जहां तक 'मोची' जाति का संबंध है उपरोक्त अधिनियम को क्रियान्वित न किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) गुजरात सरकार ने तारीख 11 मई, 1977 के अपने पत्र में प्रस्तावित किया था कि डंगस जिले तथा बलसर जिले के उमरगांव के तालुक के संबंध में मोची जाति के लिए क्षेत्र प्रतिबंध पुनः स्थापित किया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन), अधिनियम, 1976 में इस आशय के लिए संशोधन किया जाए ।

(ख) तथा (ग). गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि समाज कल्याण के निदेशक ने सभी प्राधिकारियों को मोची जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र न जारी करने के अनुदेश दिए हैं जब तक कि अधिनियम लागू नहीं होता है । किन्तु राज्य सरकार ने बाद में निदेशक के अनुदेशों को जहां तक ये इस जाति से संबंधित हैं, रद्द कर दिया ।

हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

4056. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास कर दिया गया है और उनके पुनर्वास का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में सभी भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और उन में से 1973–76 के दौरान जिन्हें रोजगार दिया गया उनकी संख्या जिलेवार निम्नांकित है :—

जिले का नाम	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	1973–76 के दौरान जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या
कांगड़ा	23,052	523
हमीरपुर	12,788	148
ऊना	7,251	190
मंडी,	8,805	377
चम्बा	5,265	102
शिमला	3,929	148
सरमूर	4,095	157
बिलासपुर	2,586	59
कुल्लू	881	58
सोलन	2,506	113
लाहोल स्पीति	512	11
कन्नोर	189	15

नोट : इन जिलों में स्वनियोजन तथा अन्य पुनर्वास उपायों के माध्यम से (जैसे कृषि उद्योगों, कृषि-सेवा केन्द्रों में लगना, खाद, सीमेन्ट, चाय, वस्त्र आदि की एजेन्सियां लेना और लघु उद्योगों तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनीयों में) जिन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों सहित भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए जो कदम उठाए गए वे इस प्रकार हैं :—

(1) हिमाचल प्रदेश में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के लिए रिक्त स्थानों में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के 20 प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य में राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त स्थानों में $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त स्थानों में $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण ;

(2) राज्य सरकार की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी में 20 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी (गैर तकनीकी) में 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है;

(3) जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तथा अन्य स्थानों पर विभिन्न ट्रेडों और व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है;

(4) भूतपूर्व सैनिकों को और शीघ्रता से पुनः रोजगार देने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक विशेष सेल बनाया गया है;

(5) भूतपूर्व सैनिकों को और शीघ्रता से रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के रोजगार निदेशालय में एक विशेष सेल बनाया गया है ; और

(6) भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग और कृषि-उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जा रही है ।

पश्चिमी तट पर डभोल पत्तन

4057. **श्री बापूसाहिब पारुलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत वर्ष पहले महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर डभोल पत्तन के बिल्कुल मुहाने पर एक रेतीला अवरोध बना हुआ है जो उपरोक्त पत्तन में जहाजों के जाने और ठहरने में बाधक है;

(ख) क्या मुगल लाइन्स के बम्बई गोआ सेवा जहाजों ने डभोल पत्तन में आना बन्द कर दिया है ; और

(ग) क्या उपरोक्त अवरोध को हटाने के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सलाह दी है कि रेतीले स्थान पर उपलब्ध गहराई से अधिक दुबाव वाले जहाजों को पत्तन में प्रवेश करते समय नौचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह पत्तन राज्य सरकार के अधीन एक छोटा पत्तन है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निकर्षक की तकनीकी कठिनाइयों तथा उसमें होने वाले ऊंचे मूल्य के कारण पत्तन के निकर्षण का प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया ।

आकाशवाणी में हारमोनियम के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

4058. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हारमोनियम (आकाशवाणी पर) पर लगा प्रतिबन्ध 'क' श्रेणी के कलाकारों और कुछ विशेष सोलो कार्यक्रमों के लिए ही हटाया गया है;

(ख) अन्य कलाकारों को हारमोनियम के प्रयोग की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें इस प्रतिबन्ध को पूरी तरह हटाने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) 'क' श्रेणी के सोलो गायकों के अलावा, हारमोनियम का विभिन्न प्रकार के समूह गायन में प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) 'क' श्रेणी से नीचे वर्गीकृत सोलो आर्टिस्टों को हारमोनियम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि वे अपनी आवाज की खामियों को हारमोनियम के प्रयोग से छुपाना चाहते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्तमान नीति को जारी रखने का निर्णय लिया गया है ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्मों के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

4059. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जब से फिल्म वित्त निगम बना है तब से उसने फिल्मों के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) फिल्म निर्माताओं तथा अन्य व्यक्तियों पर फिल्म वित्त निगम की कितनी धनराशि इस समय बकाया है; और

(ग) उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उनमें से कुछ से वसूली के काम में ढील किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) फिल्म वित्त निगम ने 1960 में अपनी स्थापना से लेकर 30 जून, 1977 तक फिल्मों के निर्माण के लिए 256.24 लाख रुपये की राशि के ऋण दिए ।

(ख) 20–6–1977 को 94.52 लाख रुपये की राशि के ऋण (मूलधन) बकाया थे ।

(ग) यह सही है कि भूतकाल में फिल्म वित्त निगम के भाग पर ऋणों को वसूल करने में कुछ देरी हुई है । तथापि, अब ऋणों को या तो सम्बन्धित फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से या कानूनी उपायों के द्वारा वसूल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

Shifting of a Unit of Western Circle of Survey of India to Gujarat

4060. **Shri Motibhai Chaudhary** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) The reasons for cancellation of the decision for shifting a Unit of Western Circle of Survey of India, which is functioning in Mussorie to Gujarat, when most of the work of this Circle is done in Gujarat and lakhs of rupees are wasted in going and coming to Mussorie because the headquarters are located there;

(b) whether most of the Circle offices of this Department are in the States where the work is actually done; and

(c) if so, when this Circle office will be shifted to Gujarat ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Government have not taken any such decision for shifting a Unit of the Western Circle of the Survey of India from Mussorie to Gujarat. Question of cancellation does not arise.

(b) & (c). The Circles of the Survey of India have been organised on a regional basis and not State-wise. Certain circles have thus jurisdiction of more than one State. The work pertaining to Gujarat is being attended to by the Western Circle of the Survey of India located at Jaipur and this arrangement will continue.

यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पर पुल

4061. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश के जालोन और इटावा जिलों को मिलाने वाले शेरगढ़ घाट पर एक रेल एवं सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या स्थान/स्थानों का चयन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). प्रस्तावित पुल बन जाने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा । अतः प्रस्तावित पुल के सर्वेक्षण, निर्माण आदि से सम्बन्धित मामले में मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार सम्बन्धित है । प्रस्तावित स्थल पर किसी रेल-एवं-सड़क पुल बनाने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में लाइसेंस देना

4062. **श्री वयालार रवि :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल राज्य में नये उद्योग स्थापित करने के लिये कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये और ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन लाइसेंसों का कितने मामलों में उपयोग किया गया और उन फर्मों के नाम और संख्या क्या हैं जिन्होंने लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस): (क) पिछले तीन वर्ष 1974–76 की अवधि में केरल राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 32 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इन लाइसेंसों की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–766/77]

(ख) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बाद नया उपक्रम स्थापित करने में आमतौर पर 3–4 वर्ष का समय लगता है। उद्योग मन्त्रालय को उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से कोई भी लाइसेंस वापस/रद्द अथवा प्रतिसंहृत नहीं किया गया है। ये लाइसेंस क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

आकाशवाणी की रिपोर्टिंग और सामाचार बुलेटिन सेवा में परिवर्तन

4063. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**

श्री वयालार रवि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की रिपोर्टिंग और समाचार बुलेटिन सेवा में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख). आपात स्थिति के हट जाने और नई सरकार के बन जाने के बाद समाचार उचित और निष्पक्ष ढंग से प्रसारित किए जाते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिबिम्बित किया जाता है। परिणामस्वरूप, आकाशवाणी के समाचारों और सामयिक मामलों के कार्यक्रमों की विश्वसनीयता, जो आपात स्थिति के दौरान समाप्त हो गई थी, पुनः स्थापित हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के समाचार अधिक प्रसारित करने के कार्यक्रम के अंग के रूप में 104 अतिरिक्त अंशकालिक संवाददाता जिलों में नियुक्त किए गए हैं। इनको मिला कर ऐसे संवाददाताओं की संख्या 194 हो गई है। 45 और अंशकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति के बारे में कार्रवाई चल रही है। 20 अतिरिक्त पूर्णकालिक संवाददाता भी विभिन्न राज्यों में नियुक्त किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4064. **श्री राघवजी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के लिये कौन-कौन सी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) इन योजनाओं पर सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के लिए कोई भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीम इस समय ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ख) रायसेन जिले के उदयपुर ब्लाक के लिए विद्युतीकरण की एक स्कीम निगम को मार्च, 1977 में प्राप्त हुई थी । स्कीम के अन्तर्गत आए क्षेत्र का निरीक्षण निगम के अधिकारियों के एक दल ने मई, 1977 में किया था तथा इस दल के सम्प्रेक्षणों को ध्यान में रख कर संशोधन करने के लिये यह स्कीम 9–6–1977 को बोर्ड को लौटा दी गई थी ।

रेलवे अण्डर ब्रिज

4065. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा (दिल्ली) में श्यामलाल डिग्री कालेज के सामने रेलवे अण्डर ब्रिज बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था तथा यह कार्य कब पूरा हुआ तथा किसने पूरा किया और इसके निर्माण में कितनी लागत आई है;

(ग) क्या पुल के नीचे लगभग सौ गज लम्बा सड़क का टुकड़ा अभी तक पक्का नहीं किया गया है और पुल के नीचे बारिश का पानी और पास में बहने वाले गन्दे नाले का पानी भर जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सड़क के इस टुकड़े को पक्का करने और कच्चे नाले के स्थान पर पक्का नाला बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है जिससे पुल के नीचे से यातायात का निकलना प्रारम्भ हो सके तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसें कब तक पुल के नीचे से गुजरने लगेंगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). कार्य 27,10,000 रु० की अनुमानित लागत से जून, 1972 में शुरू हुआ और मई, 1976 में पूरा हो गया । पुल के नीचे पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है । यह सच है कि वर्षा का पानी पुल के नीचे जमा हो जाता है, स्थानीय प्रशासन ने उपचारात्मक उपाय करने पहले ही शुरू कर दिए हैं और पहुंच मार्ग के पूर्व की ओर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है । परन्तु न्यायालय द्वारा एक प्राईवेट पार्टी के पक्ष में स्थगन आदेश दिए जाने के फलस्वरूप भूमि के अधिग्रहण न किए जाने

के कारण रेलवे अधोपुल और जी०टी० गाजियाबाद सड़क के बीच काम रुक गया है। इस समस्या को हल करने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली परिवहन निगम की बसों सहित सभी प्रकार के यातायात द्वारा पुल के नीचे सड़क का प्रयोग किया जा सके।

स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

4066. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रधान मन्त्री से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे किन फर्मों के प्रतिनिधि थे;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन की प्रमुख मांगें स्वीकार करने पर सहमत हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उन मांगों का ब्यौरा क्या है जिन पर प्रधान मन्त्री सहमत थे और क्या उनके अनुपालन के लिये प्रधान मन्त्री द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रधान मन्त्री से आम जनता के सदस्य के रूप में मिले जो प्रधान मन्त्री निवास पर टोलियों में आकर उनसे मिलते रहते हैं। किसी प्रतिनिधि के नाम रेकार्ड में रखे नहीं गये।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

निजी माल वाहक परिवहन

4067. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का निजी माल वाहक परिवहन को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Commission to inquire into the death of Shri Lal Bahadur Shastri

4068. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Commission is proposed to be appointed to inquire into the causes of death of the former Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, if so, when;

(b) the names of the doctors who gave medical treatment at the time of the death of late Shri Lal Bahadur Shastri and the report thereof; and

(c) whether a copy of the report will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Attention is invited to the Statement of Facts relating to the death of late Shri Lal Bahadur Shastri laid on the Table of the House on 18-12-1970.

एम० सी० डी० में नियुक्त उम्मीदवारों को युद्ध सेवा के लाभ देना

4069. **श्री रामधारी शास्त्री :** क्या गृह मंत्री 8 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9453 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमरजेंसी कमीशन प्राप्त और शार्ट सर्विस कमीशन, प्राप्त अधिकारियों की युद्ध सेवा गिने जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों को एम० सी० डी० ने इस बीच क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश (1963 से 1972 तक) जो एमरजेंसी और शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त (इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा सेवाओं के) सेवा मुक्त अधिकारियों की युद्ध सेवा गिनने वरिष्ठता देने के बारे में है, इस बीच क्रियान्वित कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बीच सभी कर्मचारियों (इंजीनियरिंग और चिकित्सा सेवाओं के)—दोनों सेवारत और जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, के संबंध में लागू कर दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) से (ग) : दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार निगम ने, जहां तक वेतन निर्धारण करने का संबंध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों को अपने जनरल विंग के लिए अपना लिया है देखिए उनके संकल्प दिनांक 10-2-1975। वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए पिछली सेवा का लाभ किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया है क्योंकि कर्मचारियों में से किसी को भी आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त नहीं किया गया है। निगम द्वारा उपर्युक्त संकल्प में किये गये निर्णय को कार्यान्वित किया गया है। जहां तक डेसू, डी० डब्ल्यु एस० तथा एस० डी० यू० का संबंध है, किसी ऐसे इंजीनियरिंग अथवा चिकित्सा अधिकारी का मामला नहीं है, जो ई० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० के रूप में सैनिक सेवा करने के बाद नियुक्त किया गया हो।

मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण

4070. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनता को बिजली मिल जायेगी; और

(ख) उस राज्य में ग्राम विद्युतीकरण का काम तेज करने के लिये क्या अग्रेतर कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31 मार्च, 1977 तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य की 11.61% ग्रामीण जनता आ जाती हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में 30-4-77 तक केवल 14040 गांव (19.8%) विद्युतीकृत किए गए हैं। अतः ग्राम विद्युतीकरण के मामले में मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इस स्थिति

में सुधार लाने के लिए राज्य में ग्राम-विद्युतीकरण के लिए पांचवी योजना में 87.36 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान रखा गया है। इस कार्य के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से तथा वणिज्यिक बैंकों में राज्य बिजली बोर्डों को अधिक धन भी उपलब्ध होगा।

निरीक्षण नियन्त्रक इच्छापुर के लिए भवन

4071. **श्री सौगत राय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण नियन्त्रक इच्छापुर के लिए एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Cost of Power Generation

4072. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(*a*) the per unit cost of power generation by the thermal power station with 100 megawatts and 50 megawatts generating sets manufactured by the Bharat Heavy Electricals, Haridwar; and

(*b*) the per unit cost of power generation by the old imported small generating sets; and the difference between the two, if any ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandaran) : (*a*) & (*b*). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

मुख्य कोयला खानों का विकास

4073. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मुख्य कोयला खानों के विकास का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित छः बड़ी कोयला खानों के विकास के बारे में प्रस्ताव मिले हैं और उन पर सरकार विचार कर रही है ; इन खानों से छठीं योजना अवधि में पूरा उत्पादन होने लगेगा :—

खान का नाम	प्रति वर्ष क्षमता
1. झांजरा I	2.00 मि० टन
2. झांजरा II	2.50 मि० टन
3. चुर्चा विस्तार	1.00 मि० टन

4.	जयंत विस्तार	3.05 से 10.00 मि० टन
5.	सिरका	1.00 मि० टन
6.	डाकरा बुकबुका	1.00 मि० टन

नागालैंड सरकार के भूतपूर्व सलाहकार के विरुद्ध आरोप

4074. **श्रीमती रानो एम० शायजा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार के भूतपूर्व सलाहकार के विरुद्ध सभा में लगाये गये विशेष आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उनके विरुद्ध जांच करवाने का आदेश देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की प्रक्रिया क्या होगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार ने आरोपों पर गौर किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

केरल में नारियल जटा सहकारी संस्थाओं को सहायता दिया जाना

4075. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार केरल में नारियल जटा सहकारी संस्थाओं को सहायता देने पर सहमत होते हुए उसी दर पर ऋण के लिए ब्याज लेने पर सहमत हो गई है जिस दर पर राज्य सरकार वसूल करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कम से कम 9 अक्तूबर, 1976 तक की अंतरिम अवधि के लिए ब्याज की दर कम की जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) आर्थिक दृष्टि से जीवक्षम सहकारी संस्थाओं की पुनः रचना करने के लिये केन्द्र सरकार दवारा 1972 के अंत में बनाई गई योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह कल्पना की गई थी कि जो समितियां संस्थागत स्त्रोतों से कार्यकारी पूंजी ले रही है उन्हें उस समय राज्य सरकार दवारा लिये गये ब्याज तथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं द्वारा तीन वर्ष में दिये गये ब्याज की दर के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने हेतु सरकार से राजसहायता मिलेगी । प्रति वर्ष दी जाने वाली ब्याज की राजसहायता की दर कार्य समिति द्वारा निकाली जानी थी जिनमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का एक प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश पर शामिल किया जाना था । क्या सहकारी समितियों को दिये जाने वाले कार्यकारी पूंजीगत ऋण दर ब्याज की वर्तमान दर 5½ प्रतिशत है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिसम्बर, 1974 में की गयी

सिफारिशों पर आधारित है। उपर्युक्त योजनाओं के अनुसार केरल सरकार को निम्नलिखित राशियां दी गयी हैं :—

वर्ष	ऋण (रु० लाख में)	अनुदान (रु० लाख में)
1973–74	95.24	4.76
1974–75	80.00	20.00
1975–76	80.00	20.00
1976–77	114.00	17.00
	369.24	61.76
	योग 431.00	

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर वित्त मंत्रालय दवारा समय-समय पर नियत की गई दरों के आधार पर निश्चित की जाती है। 1976 में भारत सरकार ने केरल सरकार से मांग की थी कि 1973–74 के लिये दिये गये ऋण पर राज्य सरकार 5% ब्याज की दर से तथा 1974–75 के लिये दिये गये ऋण पर $5\frac{1}{2}$% ब्याज की दर से केन्द्र सरकार को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। चूंकि राज्य सरकार $2\frac{1}{2}$% का सहकारी ब्याज ले रही थी इसलिये इसे ऋण लेने और ऋण देने में ब्याज की दर में अन्तर के कारण हानि उठानी पड़ रही थी। पदनुसार राज्य सरकार ने ब्याज की दर $5/5\frac{1}{2}$% से घटाकर $2\frac{1}{2}$% तक कर देने की मांग की। उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका। जनवरी, 1977 में राज्य सरकार ने अपने पूर्व अनुरोध को फिर से दुहराया और कहा कि उन्होंने 9 अक्तूबर 1976 से सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर को $2\frac{1}{2}$% से बढ़कर 5% तक कर देने का निश्चय किया हैं। राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि 9 अक्तूबर 1976 तक की अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार की ब्याज की दर कम कर दी जाये। सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था और यह संभव नहींपाया गया कि किसी एक राज्य के ब्याज की दर के संबंध में अपवाद किया जाये।

Shortage of Salt

4076. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether consumers are finding it difficult to get good quality salt ;

(b) whethef prices of salt are not uniform and the traders sell it at a rate varying from 30 paise to one rupee per Kg.

(c) whether salt is not available easily in rural areas; and

(d) number of Government Undertakings producing salt and the number of authorised dealers appointed by them at district level ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The retail prices of salt vary in different parts of the country maintly because of the freight component which depends upon the distance between the salt producing sources and the consuming centres.

(c) No complaint of non-availability of salt has been received by Government except in respect of certain areas in West Bengal where temporary shortages had developed due to the bargemen's strike.

(d) There are 8 Government Undertakings producing salt in the country as given in the Annexure. They have not appointed any authorised dealer at district level.

Statement

Central Government Undertakings :

1. Hindustan Salts Limited, Jaipur.
2. Smabhar Salts Limited, Jaipur.

State Government Undertakings (including Joint Sector Projects) :

3. The East Coast Salt and Chemical Industries Limited, Sumadi (Orissa).
4. M/s. Tamil Nadu Salt Corporation, Ramnathapuram Distt.
5. M/s. Maharashtra State Cooperative Fertilisers and Chemicals, Distt. Palgarh.
6. M/s. Marthi Crystal Salt Co. Ltd., Covelong.
7. M/s. Gurunath and Sons, Covelong.
8. M/s. East Coast Salt and Chemicals Ltd., Naupada.

बम्बई पत्तन में रिक्त स्थान

4077. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन पर पदों के कितने स्थान रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त स्थानों के न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आपातकाल के दौरान बम्बई पत्तन पर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष के बजाय 50 और 55 वर्ष की आयु में ही जबरदस्ती सेवा निवृत्त कर दिया गया था; और

(घ) क्या जबरदस्ती सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों को फिर से सेवा में आने के लिए कोई विकल्प दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 14 जलाई, 1977 को 1864.

(ख) उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण समुद्री कार्मिकों के कुछ पद खाली पड़े हैं। अन्य पद मितव्ययता के तौर पर नहीं भरे गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोल के उत्पादन के लिए मार्गदर्शी संयंत्र की स्थापना

4078. **श्री समर गुह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० जे० सी० घोष द्वारा तैयार की गई परियोजना के आधार पर कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोल के उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शी संयंत्र स्थापित करने हेतु भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री श्री डी० के० बरुआ ने सदन को आश्वासन दिया था;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा कोयले से तेल निकालने की लुरागी प्रक्रिया उपयुक्त पायी गयी थी; और]

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार स्वर्गीय डा० जे० सी० घोष द्वारा तैयार की गई परियोजना के अनुसार संश्लिष्ट पेट्रोल के उत्पादन के लिए कोई मार्गदर्शी परियोजना स्थापित करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क), (ख) व (ग). भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री डी० के० बरुआ ने 26 फरवरी, 1974 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं० 81 का उत्तर देते हुए सदन को केवल इस निर्णय की जानकारी दी थी कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति तथा योजना आयोग द्वारा किये गये समन्वेषी अध्ययन के आधार पर कोयले से तेल बनाने के लिए एक संयंत्र लगाने की साध्यता का अध्ययन करने के लिए एक दल का गठन किया जाना है इस बारे में कार्यान्वयन के निर्णय रिपोर्ट के आधार पर किये जायेंगे।

सरकार ने डा० के० आर० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन सितम्बर, 1974 में किया। इस दल ने भारत तथा विदेशों में उपलब्ध प्रक्रिया प्रौद्योगिकी की पुनरीक्षा करके अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1977 में प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

नम्बर 6, राष्ट्रीय राजपथ पर जीरा नदी पर पुल

4079. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला सम्बलपुर, उड़ीसा में बाढ़गढ़ में नम्बर 6, राष्ट्रीय राजपथ पर जीरा नदी पर पुल के निर्माण कार्य काफी समय से स्थगित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां।

क्योंकि कार्यपालक एजेंसी द्वारा स्वीकृत डिजाइन स्तरों से ऊंचे असुरक्षित स्तरों पर आठ में से पांच कुंएदार नीवों को डाट लगाने के कारण कार्य बन्द किया गया।

और विस्तृत जांच करने के बाद, पुल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों को अब अंतिम रूप दिया गया है और राज्य सरकार कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 25 मई, 1977 को पहले ही प्राप्त टेंडरों पर कार्यवाही कर रही है।

Murders in union territories

4080. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of murder registered in the Union Territories during the last three months; and

(b) the number of cases, out of them, in which arrests have been made in this connection so far ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) and (b). According to information available, 62 cases of murder were registered in Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman & Diu and Lakshadweep during the relevant period. The number of cases in which arrests have been made is 38. Information in regard to the Union territories of Mizoram and Pondicherry is being ascertained.

दिल्ली में नीली (ब्लू) फिल्में दिखाया जाना

4081. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली/नयी दिल्ली की कुछ आलीशान कालोनियों में चोरी-छिपे नीली (ब्लू) फिल्में दिखाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कोई जांच करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी): (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Propaganda regarding discrimination between north and south

4082. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Congress President Shri Brahmananda Reddy and the former Finance Minister, Shri C. Subramaniam have made a propaganda in Tamil Nadu that there is a discrimination between the North and South; and

(b) whether considerable harm to the country is apprehended as a result of such irresponsible speeches; and if so, the action proposed to be taken by Government against such persons ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) and (b). Facts are being ascertained.

आपातकाल के दौरान फिल्मों के प्रदर्शन को स्थगित करना

4083. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैंसर से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् आपातकाल के दौरान जिन फिल्मों के प्रदर्शन को स्थगित किया गया उनके शीर्षक क्या हैं तथा उन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण थे;

(ख) आपातकाल की समाप्ति के पश्चात् जिन फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति दी गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) 1975, 1976 और 1977 में फिल्म सैंसर बोर्ड अथवा सरकार द्वारा जिन फिल्मों को प्रमाणपत्र नहीं दिये गये उनके शीर्षक क्या हैं तथा उनको अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जो फिल्में सरकार की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं उनके शीर्षक क्या हैं और क्या इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी):(क) आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन निलम्बित किया गया था :—

फिल्म का नाम	निलम्बन के कारण
1. आईना . . .	अश्लीलता और अनैतिकता।
2. तातम्माकला (तेलुगु) . .	सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध।
3. आंधी .	देश की सुरक्षा के हितों और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध और विभिन्न अपराध करने के लिए उकसाना।
4. सलाखें . . .	अत्यधिक हिंसा और अश्लीलता।
5. दस नम्बरी .	अत्यधिक हिंसा तथा कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा का अपमान करना।
6. काम शास्त्र 7. गुप्त शास्त्र 8. स्त्री पुरुष 9. गुप्त ज्ञान 10. वाझके रहस्यम् 11. मर्म कले 12. गुप्त ज्ञानमु 13. दम्पति रहस्यम्	इन फिल्मों का आशय यौन शिक्षा देना था और इनको अश्लील और अभद्र करार दिया गया था।

उक्त 13 फिल्मों में से यौन शिक्षा से संबंधित सभी आठों फिल्मों पर उपरि उल्लिखित कारणों से प्रतिबंध लगाया गया था।

(ख) निम्नलिखित फिल्मों के बारे में निलम्बन के आदेश आपात स्थिति के दौरान ही वापस ले लिये गये थे :—

1. आईना (हिन्दी)
2. तातम्माकला (तेलुगु)
3. आंधी (हिन्दी)
4. सलाखें (हिन्दी)
5. दस नम्बरी (हिन्दी)

(ग) जैसा कि संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–767/77]

(घ) केवल एक ही फिल्म "किस्सा कुर्सी का" (हिन्दी) गुम हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जिसने इस मामले में जांच की, कहा है कि फिल्म को नष्ट कर दिया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में भूतपूर्व केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल और मैसर्ज मारुति लिमिटेड, गुड़गांव के प्रबन्ध निदेशक श्री संजय गांधी के विरुद्ध पहले ही अभियोजन कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। मामला अब न्याय निर्णयाधीन है।

Decrease in Pay Bill of Dhaudi Group of Coal Mines under Coal India Limited (Central Zone)

4084. **Shri Ramdas Singh:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the pay bill of the Dhaudi Group of Coal Mines under the Central Zone of Coal India Ltd., has come down by Rs. 8 lakhs to Rs. 10 lakhs per month with effect from 2nd April, 1977 without affecting coal production in any way;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) action taken against the corrupt officers responsible for the same?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) No. Sir, During the quarter ended June, 1977, the average monthly Wage Bill in the Dhori Group (not Dhaudi Group) of collieries was Rs. 45·36 lakhs as compared to the average monthly Wage Bill of Rs. 47·43 lakhs during the quarter ended March, 1977. During the quarter ended June, 1977 the coal production was 3·02 lakh tonnes and overburden removal was 3·35 lakhs cubic metres. As compared to this, coal production was 3·87 lakhs tonnes and overburden removal was 3·54 lakhs cubic metres during the quarter ended March, 1977.

(b) The reduction in wages corresponds approximately to fall in production and overburden removal.

(c) Does not arise.

गोआ के कुन्बी और गौड़

4085. **श्री अनन्त दवे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 8 जनवरी, 1977 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि गोआ के कुन्बी और गौड़ अपने पुराने वैमनस्य और अन्धविश्वास के कारण साहूकारों और पंसारियों के शिकार होते हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त दो कबीलों (ट्राइब्र) के जीवनस्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). गोआ, दमण व दीव की सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिणी गोआ में कनकोना तालुक में ग्राम कोटिगांव की जनसंख्या लगभग 1900 व्यक्तियों की है तथा इस जनसंख्या

के लगभग 90 प्रतिशत लोग कुन्बी जाति के हैं। गांव को संचार व्यवस्थायें कठिन हैं। गोआ, दमण व दीव सरकार के पास इस क्षेत्र के लिए परिवहन तथा संचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजनाएं हैं। चूंकि गांव में चिकित्सा सुविधायें संतोषजनक नहीं थीं अतः अभी लगभग छः माह पूर्व गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। गांव के विभिन्न वार्डों में 4 प्राथमिक पाठशालाएं स्थित हैं। गांव के विभिन्न भागों के 5 किलोमीटर में मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल स्थित हैं। अधिकतर शैक्षिक सुविधायें पर्याप्त हैं। यह सच है कि गांव के 9 भूमिहीन व्यक्तियों को पोनसुईमल नामक स्थान पर वन भूमि निःशुल्क दी गई थी। भूमि को वन उपज की कीमत वसूल करने के बाद मुक्त कराया गया था। किन्तु स्थानीय कम्यूनिडेड प्राधिकारियों ने इस भूमि को मुक्त कराने के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था।

जहां तक आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की उपलब्धता में कठिनाइयों का सम्बन्ध है, फरवरी, 1977 में गांव में एक सहकारी उचित दर दुकान खोली गई थी। इसके अतिरिक्त निवासियों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 छोटी पंसारी दुकानें हैं। दुकानदारों द्वारा निवासियों से अधिक मूल्य वसूल करने के बारे में कोई शिकायत नहीं रही है। गोआ, दमण व दीव सरकार ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये अधिक सतर्क रहेगी कि साहूकारों द्वारा कुन्बी तथा 'गोड' का शोषण न हो। नागरिक संभरण की स्थिति संतोषजनक है। गोआ सरकार ने सूचित किया है कि उनका बेहतर परिवहन तथा संचार सुविधायें शीघ्र आरम्भ करने का विचार है।

त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में तेज गति से विकास

4086. **श्री किरित विक्रमदेव वर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों के तेज गति से विकास के लिए सरकार की नीति के अनुसरण में ऐसे विकास के लिए त्रिपुरा में कुछ क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कौन-कौन सी विकास योजनाएं तैयार की गई हैं और उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) तथा (ख). त्रिपुरा के लिए एक उप-योजना अधिकांशतः आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर तैयार की गई हैं। इस उप-योजना में उत्तरी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा तथा दक्षिणी त्रिपुरा के जिलों के 461 गांव आते हैं।

(ग) तथा (घ). त्रिपुरा की आदिवासी उप-योजना में राज्य योजना धनराशि में से वर्ष 1977–78 के लिए क्षेत्रवार परिव्यय/वित्त लक्ष्यों का विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा के उप-योजना क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष के दौरान 83 लाख रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की है।

"विवरण"

वर्ष 1977-78 के लिए त्रिपुरा में आदिवासी उप-योजना के लिए क्षेत्रवार परिव्यय (राज्य योजना धनराशि से)

विकास-शीर्ष	(रू० लाखों में)
1. कृषि तथा संबद्ध सेवायें	
भूमि सुधारों को छोड़कर कृषि	24
भूमि सुधार	12
लघु सिंचाई	20
भू तथा जल संरक्षण	53
खाद्य	4
पशु पालन	16
डेरी विकास	8
मत्स्य पालन	8
वन	42
कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	3
सामुदायिक विकास तथा पंचायतें	6
जोड़ : कृषि तथा संबद्ध सेवायें	196
2. सहकारिता	11
3. जल तथा विद्युत विकास	
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	3
विद्युत	12
जोड़ : जल तथा विद्युत विकास	15
4. उद्योग तथा खनिज पदार्थ	
ग्राम तथा लघु उद्योग	16
5. परिवहन तथा संचार	
सड़क तथा पुल	70

6. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें

सामान्य शिक्षा (कला तथा संस्कृति को छोड़कर)	31
चिकित्सा लोक स्वास्थ्य तथा सफाई	35
मल निकास तथा जल प्रदाय	20
पुलिस आवास को छोड़कर आवास	19
अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	45
समाज कल्याण	1
पोषण	1
जोड़ : सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	152
कुल जोड़ :	460

मध्य प्रदेश में अवध रूप में हथियार बनाने वाला कारखाना पाया जाना

4087. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में जून, 1977 में हथियार बनाने के दो कारखाने पाये गये हैं ;

(ख) क्या वहां बनाये जा रहे आग्नेयास्त्र विदेशी मार्के के थे ; और

(ग) यदि हां, तो उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री का प्रकाशन

4088. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 में समाचारपत्रों और अन्य सूचना-माध्यमों से प्रकाशित किए गए श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री की संख्या, स्वरूप और विषय क्या हैं ;

(ख) उनकी कुल लागत और संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त प्रचार सामग्री पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पक्षपातपूर्ण राजनीतिक प्रचार और किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का प्रचार मात्र थी और यदि हां, तो भविष्य में किसी सरकार द्वारा इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) :(क) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और प्रचार सामग्री इस प्रकार थे :—

क्रम संख्या	वर्ष	विज्ञापन	मुद्रित साहित्य पुस्तिकाएं आदि	प्रदर्शनियां
1	1975–76 . .	12,126	255	1439
2	1976–77 . .	11,474	362	1870

उपर्युक्त प्रचार प्रयत्न का काफी बड़ा भाग आपात स्थिति और उसके अंतर्गत चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के गुणगान तक सीमित था, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने विशेषकर आपात स्थिति के औचित्य में होर्डिगों सिनेमास्लाइडों, बस पैनलों आदि के माध्यम से व्यापक बाह्य प्रचार भी किया ।

(ख)

	प्रचार का माध्यम	लगभग लागत	
		1975–76 (लाख रुपयों में)	1976–77 (लाख रुपयों में)
1	विज्ञापन	223	285
2	मुद्रित प्रचार	127	148
3	प्रदर्शनियां . . .	18	25
4	बाह्य प्रचार	32	37
5	प्रचार सामग्री का वितरण . .	21	23
	योग .	421	518

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का विभिन्न क्षेत्रों में भूतपूर्व सरकार के कार्यक्रमों और उसकी उपलब्धियों को प्रतिविम्बित करने के लिए और विशेष कर आपात स्थिति के संदर्भ में व्यापक उपयोग किया गया था ।

सरकार वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष प्रचार के पक्ष में हैं और अब विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का तदनुसार उपयोग किया जा रहा है ।

गुजरात में बिजली की कमी का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

4089. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बिजली की कमी का औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) राज्य में बिजली की पूरी सप्लाई कब तक पुनः मिलने लगेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :(क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य, बिजली की अपनी समग्र आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ है ।

मैसर्ज मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (पी०) लिमिटेड का दिल्ली जल प्रदाय एवं मल निस्सारण संस्थान के साथ सौदा

4090. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस सौदे की कोई जांच आरम्भ की है जो मैसर्ज मारुति टेक्नीकल सर्विसेज (पी०) लिमिटेड ने दिल्ली जल प्रदाय एवं मल निस्सारण संस्थान के साथ किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच के परिणाम कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है और कब तक मुकदमा चलाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस संबंध में एक मामला 24-5-1977 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किया था और जांच के परिणामस्वरूप एक आरोप पत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी)/5(2) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 के अधीन सर्वश्री संजय गांधी तथा आर०सी० सिंह के विरुद्ध दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के समक्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 14 जुलाई, 1977 को, दायर किया गया है ।

लघु उद्योगों की प्रगति

4091. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों, विशेषकर परम्परागत लघु उद्योगों के विकास की प्रगति लगभग नगण्य रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों की प्रगति में और तीव्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य उद्योग निदेशकों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके रजिस्टरों में दर्ज एककों की संख्या 1972 में 5 लाख से बढ़ कर 1976 में 5.3 लाख हो गई थी । इसी अवधि में विकास आयुक्त, लघु उद्योग के अधीन आने वाले लघु उद्योगों का उत्पादन 2,900 करोड़ रु० से बढ़ कर 6,700 करोड़ रुपए हो गया था । खादी और ग्रामोद्योगों का उत्पादन जो 1972-73 में 140.7 करोड़ रुपए था, 1975-76 में बढ़ कर 195.23 करोड़ रुपये हो गया था ।

(ग) वर्ष 1977–78 के केन्द्रीय बजट में समस्त ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के प्रावधान में गत वर्ष की अपेक्षा 46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ताकि इन उद्योगों की प्रगति में तेजी लाई जा सके। खादी और ग्रामोद्योगों को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक ब्याज सहायता योजना के लिए हाल ही में मंजूरी दी है।

राज्य सरकारों को 16 नारों का नया पैनल भेजना

4092. **श्री एस० जी० मुरुगैयन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि 20-सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में नारों तथा डिजाइनों सम्बन्धी सभी बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड बदल दिए जायें ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को 16 नारों का नया पैनल भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो ये नारे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) से (ग). राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे आपात स्थिति के दौरान प्रदर्शित किए गए 16 नारों, जो आपात स्थिति से सम्बन्धित नहीं थे, को छोड़ कर शेष सभी नारों को हटा ले। उक्त 16 नारों की सूची संलग्न है।

विवरण

1. सच्चे भारतीय बनिये - भारतीय माल खरीदिए
2. कश्मीर से कन्याकुमारी तक - भारत एक है
3. अनेक धर्म, एक राष्ट्र - हमें इस पर गर्व है
4. भारत एक राष्ट्र है–आइए इसे मजबूत और समृद्ध बनाएं
5. बड़ा होना अच्छा है किन्तु बड़प्पन उससे भी अच्छा है
6. देरी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है
7. देरी से निराशा फैलती है - जल्दी काम निपटाइए
8. समय अमूल्य है - समय की बरबादी मत कीजिए
9. रेलवे आपकी ही सम्पत्ति है - इसे साफ रखिए
10. रेलवे आपकी ही सम्पत्ति है–इसकी रक्षा कीजिए
11. सरकारी काम जनता की सेवा
12. काम जल्द निपटाइए : देश को आगे बढ़ाइए
13. ईमानदार और शिष्ट कर्मचारी की सभी कद्र करते हैं
14. परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं
15. सौजन्य और नम्रता से सभी खुश रहते हैं
16. गांवों की खुशहाली : सबकी खुशहाली

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी)

4063. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश मार्गों पर विशेषकर भीड़-भाड़ के घाटों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) को नियमित रूप से बनाये नहीं रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बसों की आवृत्ति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां। सायं के व्यस्ततम समय में सेवाओं की अनियमितता प्राय: 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच होती है।

(ख) प्राय: लुप्त फेरे सड़क पर बसों के खराब हो जाने तथा बसों की मरम्मत के लिए रोकने के कारण से होते हैं। दिल्ली परिवहन निगम अपने बस बेड़े के अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

Film 'Kissa Kursi Ka'

4094. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have made an inquiry from the former Minister Shri Vidya Charan Shukla about the film "Kissa Kursi Ka" which was stolen from the almirah of the Ministry; and

(b) if so, the detailed information in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) & (b). An investigation into the case relating to the film "Kissa Kursi Ka" was conducted by the Central Bureau of Investigation, at the instance of Government, and on the basis of their findings, the C.B.I. have launched prosecution under Section 120-B read with 409 IPC, 435/201 IPC and substantive offences under Sections 409, 435 and 201 IPC against Shri Vidya Charan Shukla, former Union Minister for Information and Broadcasting and Shri Sanjay Gandhi, Managing Director, M/s. Maruti Limited, Gurgaon. The matter is now *sub-judice*.

खनन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव

4095. **श्री चित्त बसु:** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत 13 मई को इण्डियन माईनिंग फैडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल से उद्योग के राष्ट्रीयकरण से प्रभावों के बारे में ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों की देयताएं और ऋण

4096. **डा० बसन्त कुमार पण्डित:** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों ने कोयला खान अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सरकार द्वारा उनके अधिग्रहण पर अथवा उससे पूर्व सप्लायर्स द्वारा कोयला खानों को दिये गये स्टोर्स और उपकरणों के बकाया बिलों का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो सप्लायर्स की सूची क्या है और उनकी कितनी राशियां 31 मार्च, 1977 के दिन बकाया थीं;

(ग) क्या सरकार ने कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 की धारा 22 के अनुसार अधिग्रहण के दिन की देयताओं और ऋणों को भी अपने ऊपर ले लिया है; और

(घ) क्या मर्चेंट चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ने प्रधान मन्त्री की अपील की है कि सरकार सप्लायर्स की शिकायतों को दूर करें और यदि अधिनियम में कोई कमी है, तो उसे दूर किया जाये ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं । कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसार सरकार में निहित खानें सब प्रकार की देनदारियों से मुक्त हैं, इसलिए राष्ट्रीयकरण से पहले की बकाया राशि का दायित्व भूतपूर्व मालिकों पर है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । अधिनियम की धारा 22 में केवल दावों के प्राथमिकता का क्रम दिया गया है जो भूतपूर्व मालिकों के विरुद्ध भुगतान आयुक्त के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं ।

(घ) जी हां । मर्चेण्ट्स चैम्बर आफ कामर्स ने 9 मई, 1977 को प्रधान मन्त्री को अभिवेदन दिया था जिससे कि सप्लायरों को देय धनराशि के उच्च प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया था । सरकार के विद्यमान प्राथमिकताओं को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि इनका निर्धारण देश के सामान्य कानून तथा श्रमिकों को देयराशि को ध्यान में रख कर संसद द्वारा भलीभांति विचार के बाद किया गया था फिर भी शीघ्र भुगतान के प्रयास किए जा रहे हैं ।

तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज के सैल पर छापा मारना

4097. **श्री पी० के० कोडियन:** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी और हत्या के रोमांचकारी मामले में मुख्य अभियुक्त चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल के सैल पर मारे गये छापे में पुलिस ने 20,000 रुपए की नकद राशि, वार्डन की एक यूनिफार्म तथा नकली मूछें बरामद की थीं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि कैदी ने जेल में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी तथा अन्य वस्तुएं किस प्रकार जमा कीं; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Ship Building Loans

4098. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) The number of persons in the country given loans during the last three years for ship building and the amount of loan given;

(b) the number of persons in Gujarat given loans, the amount of loans given to them out of it;

(c) the number of persons who are yet to be given loan;

(d) the number of persons who have not repaid the amount of loan out of that given to them during the last three years and the amount of loan to be repaid by them; and

(e) the action taken or proposed to be taken by Government in this matter?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The Hon. member appears to have in mind sailing vessels. An amount of Rs. 90 lakhs was disbursed as loan to 31 applicants for such vessels during the last three years.

(b) 21 applicants were granted a total loan of Rs. 55·33 lakhs.

(c) A total of 178 applications are still pending. Out of these, 167 pertain to Gujarat.

(d) & (e). The scheme is being operated through the State Governments and information is being collected and will be laid on the Table of the House when available.

Electrification of Backward Areas in Rajasthan

4099. **Shri Lalji Bhai** : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been prepared by Government for the electrification of various backward areas in Rajasthan; and

(b) if so, details thereof?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b). Special attention is being given for rural electrification of under-developed and backward areas, including those in Rajasthan. Loan assistance for electrification in such areas is being given under the Minimum Needs Programme on softer terms and conditions. Also the Rural Electrification Corporation advances loans under their Normal Programme in respect of projects relating to backward and less developed areas on relaxed viability norms and softer terms and conditions.

The Rural Electrification Corporation has approved 19 projects under the Minimum Needs Programme and 48 projects under their Normal Programme for rural electrification in Backward and specially under-developed areas in Rajasthan. These 67 schemes involve a loan assistance of Rs. 31·67 crores and envisage energisation of 47,988 irrigation pumpsets and setting of 6,031 small industries in 4,845 villages.

सिद्धार्थ बन्दोदकर की मत्यु के कारणों की जांच

4100. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती लीना चन्द्रावरकर ने गोआ के अपने पति की सिद्धार्थ बंदोदकर की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ख) क्या हत्या में श्रीमती काकोदकर के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) क्या सरकार ने शिकायतों पर विचार कर लिया है और विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच गठित की है कि श्रीमती काकोदकर ने भी ऐसी जांच की मांग की है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस आरोप के अभ्यावेदन कि 18–12–1975 को श्री सिद्धार्थ बंदोदकर को लगी गोली से उनकी हत्या का प्रयास किया गया था तथा इस घटना में गोआ, दमण व दीव के मुख्य मंत्री श्रीमती शशीकला काकोदकर अन्तर्ग्रस्त थीं प्राप्त हुए हैं ।

(ग) गोआ पुलिस पूछताछ के परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि श्री बन्दोदकर दुर्घटनावश स्वत: गोली चल जाने से घायल हुए थे । श्रीमती अनुराधा बन्दोदकर नी लीना चन्दावरकर के पत्र पर गौर किया जा रहा है ।

श्री संजय गांधी के दौरों के बारे में राज्यों को पत्र

4101. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले 4 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को पत्र भेजा है जिसमें श्री संजय गांधी द्वारा उस राज्य का दौरा किये जाने संबंधी ब्यौरा भेजने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार से क्या उत्तर मिला है ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार श्री संजय गांधी से सारा धन वसूल करने का है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : जी हां, श्रीमान । 6–4–77, 15–6–77 तथा 13–7–77 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68, 528 तथा 3444 के क्रमश: दिये गये उत्तर के बारे में राज्य सरकारों से श्री संजय गांधी द्वारा राज्यों का दौरा किये जाने संबंधी ब्यौरे भेजने को कहा गया था । उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में एकत्रित सूचना सदन के पटल पर रखी जा चुकी है ।

(घ) इस मामले पर विचार करना राज्य सरकारों का कार्य है ।

Allocation of funds Development of parts of Rajasthan

4102. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have recently sanctioned some funds for the development of some parts of Rajasthan under the tribal sub-plan; and

(b) if so, the details of the proposal for spending these funds ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) and (b). The Central Government have allocated an amount of Rs. 2·60 crores as Special Central Assistance to Rajasthan in respect of the tribal sub-plan of the State during 1977-78. An amount of Rs. 58 lakhs has already been released to the State. The amount is intended as an additive to the States effort in the development of the tribal sub-plan area which will be of the order of Rs. 6·83 crores. This amount will be spent on the following programmes.

(i) Agriculture.
(ii) Cooperation.
(iii) Rural Electrification.
(iv) Industries.
(v) Roads & Bridges.
(vi) Social & Community Services.

Development of Betul

4103. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Ministry of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up new industries in order to end or lessen the industrial regional imbalances; and

(b) if so, whether Betul which is a backward and an Adivasi area, would be given high priority in this regard ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) and (b). Balanced regional development is the accepted national policy. While Government has set up industries in the backward areas subject to techno-economic considerations, various incentives are extended by Government for the setting up of industrial units in such areas. Betul in Madhya Pradesh is already one of identified districts for purposes of concessional finance from financial institutions but is not eligible for the Capital Investment Subsidy.

सी० आई० एल० द्वारा ऊपरी खर्च में कमी

4104. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने ऊपरी खर्च में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपयों की कमी की है (दिनांक 28 मई, 1977 के स्टेटसमैन कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित समाचार) ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कुल ऊपरी खर्च का कितने प्रतिशत है, ऊपरी खर्च में क्या-क्या खर्च सम्मिलित हैं तथा यह ऊपरी खर्च कब से चार्ज किया जा रहा है ;

(ग) क्या ऊपरी खर्च की राशि बहुत अधिक नहीं है, यदि हां, तो इसकी, क्यों और किस दृष्टि से अनुमति दी जा रही है, तथा जनता सरकार बनने के पश्चात् तुरन्त इतनी भारी कमी की घोषणा करने के लिए अधिकारियों को किन कारणों ने प्रेरित किया ; और

(घ) क्या पहले यह कमी किया जाना सम्भव नहीं था यद्यपि तत्कालीन ऊर्जा मंत्री से मार्च, 1975 में एक बहुत वरिष्ठ और अनुभव प्राप्त खनन इंजीनियर ने, जिसे कोल इंडिया लिमिटड ने

सेवा से अलग रखा है और जिसे वास्तव में भुखमरी की स्थिति में ला दिया है स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए आग्रह किया था ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) व (घ). 1973–76 की अवधि के दौरान कोयल की मांग में शीघ्रता से हुई वृद्धि के कारण कोयला उद्योग में व्यक्तियों और मशीनरी का ज्यादा अच्छी तरह से उपयोग किया गया और इसके फलस्वरूप मजदूरी की वृद्धि और मुद्रा स्फीति का प्रभाव भी अंशत: कम हुआ ।

B. P. Patel Commission for development of four districts of Eastern U.P.

4105. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names of the special projects recommended by Shri B. P. Patel Commission for the four districts of Eastern Uttar Pradesh, namely, Ghazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur; and

b) whether Central Government have given any aid for the implementation of these projects ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) A joint Study Team of the Planning Commission under the Chairmanship of Shri B. P. Patel and Uttar Pradesh Government was set up in 1962 to study the development potential of 4 Eeastern U.P. Districts. The team considered there might be scope for the establishment of the following industrial units over a period of time:

I. Private Sector

(1) 8 sugar mills, two in each of the four districts.
(2) 2 distillaries.
(3) 4 paper mills.
(4) 2 Chip Board factories.
(5) Chemical industries depending upon power alcohal.
(6) Two cotton textile mills—one in Ghazipur and one in Azamgarh.
(7) Large scale fabrication plant in Deoria.

II. Public Sector

(1) Machine Tools Unit.
(2) Machine Tools Accessories unit.
(3) Tool bits units.
(4) Small tractor manufacturing unit.
(5) One or two ordnance factories.

(b) Special assistance of Rs. 4 crores was given to the State Government for the development of industries in these districts in 1964-65. Thereafter, the State Government was expected to make the required provisions in its own Plan.

Constitution of Bundelkhand Development Committee

4106. **Shri Laxminarayan Nayak**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Bundelkhand Development Committee (Uttar Pradesh and Madhya Pradesh) has been constituted by the Central Government;

(b) if so, names of the members;

(c) dates on which the Committee held its meetings: and

(d) decisions taken therein ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Th Committee consists of:
Planning Commission
Adviser (P. A.)Chairman

Uttar Pradesh Government ..

Commissioner, Bundelkhand Division, Jhansi.

Superintending Engineer, Irrigation Department, Lucknow.

Chief Engineer, State Electricity Board Lucknow.

Additional Chief Engineer, Public Works Department (Roads), Lucknow.
Commissioner and Planning Secretary, Planning Department, Lucknow.

Madhya Pradesh Government

Planning Secretary.

Commissioner, Sagar Division, Sagar.

Officer on Special Duty (E & S, C.M.'s Secretariat).

(c) The Committee held two meetings on 1st December, 1972 and 6th December, 1974.

(d) The Committee is in the nature of an Advisory body. The recommendations made by the Committee to the respective State Governments in the two meetings referred to above are as in the enclosed list. [*Placed in the Library.* See No. L.T-768/77]

उड़ीसा में सड़कों का विकास

4107. **श्री डी० अमात** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1977–78 के दौरान उड़ीसा राज्य में सड़कों के विकास और निर्माण के लिए राज्य को कितनी राशि देने का विचार ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : अप्रैल—जुलाई, 1977 के दौरान व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए लेखानुदान की राशि में से 144.44 लाख रु० की राशि दी ।

2. जहां तक वर्ष की शेष अवधि के लिए धनराशि का संबंध है, संसद द्वारा अनुदान की मांगें पारित होने के बाद व्यवस्थाओं की सूचना दी जाएगी ।

सौर ऊर्जा का अनुसन्धान और विकास

4108. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **ऊर्जा** मंत्री सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में 6 अप्रैल 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सौर ऊर्जा के अनुसंधान और विकास के लिए कौन-कौन से विश्वविद्यालय, सरकारी उपक्रम एंव निजी संगठन कार्य कर रहे हैं और उन्हें यदि वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान कोई सफलता मिली है तो वह क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन): अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सौर ऊर्जा के अनुसन्धान तथा विकास कार्य में लगे मुख्य शैक्षणिक संस्थान, अनुसन्धान संगठन, सरकारी उपक्रम तथा गैर-सरकारी संगठन

संस्थान	अनुसंधान का क्षेत्र
(1) विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान	
1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	सौर संग्राहक सौर सैल, सौर शीतलन सौर जा हीटर
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	सौर शीतलन व वातानुकूलन, सौर विद्युत उत्पादन।
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	सौर संग्राहक सौर सेल सौर स्टिल्ज, सौर पम्प।
4. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	सौर संग्राहक, सौर पम्प, सौर शुष्कक (ड्राइअर्स)।
5. अन्नामलय विश्वविद्यालय, चिदम्बरम्	सौर अनाज शुष्कक और जल हीटर।
6. मोतीलाल नेहरू क्षत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, इलाहाबाद	सौर संग्राहक, प्रेस्नल लैन्स. सौर जल हीटर।
7. बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान सस्थान पिलानी।	सौर सग्राहक, सौर पम्प।
8. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	सौर संग्राहक।
9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई	सौर संग्राहक, सौर पम्प।
10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	सौर शुष्कक और जल हीटर।
11. रुड़की विश्वविद्यालय	सौर शीतलन तथा वातानुकूलन, स्पैस हीटिंग,।
12. बंगलौर कृषि विश्वविद्यालय, बंगलौर	सौर शुष्कक।
13. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	सौर संग्राहक, सौर सैल।
(2) अनुसन्धान संगठन और सरकारी उपक्रम	
1. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर	सौर संग्राहक, सौर जल हीटर, सौर स्पेस हीटिंग, सौर पम्प।

संस्थान	अनुसंधान का क्षेत्र
2. राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली	सौर संग्राहक, सौर पम्प, सौर सैल, सौर जल हीटिंग ।
3. वन अनुसंधान संस्थान देहरादून	इमारती लकड़ी को सुखाने के लिए सौरभट्टी ।
4. केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसधान संस्थान; भावनगर ।	सौर संग्राहक, सौर सि सौरपम्प
5. पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, पाण्डिचेरी	सौर पम्प, सौर स्पेस हीटिंग, सौर चूल्हे, ईको हाउस ।
6. केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की,	सौर जल हीटर, स्पेस हीटिंग ।
7. केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल अनु-संधान संस्थान, पिलानी ।	सौर सेल ।
8. रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	सौर स्पेस हीटिंग ।
9. सालिड स्टेट भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली	सौर सैल ।
10. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	सौर सैल ।
11. भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र	सौर संग्राहक ।
12. टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, रेडियो एस्ट्रोनमी सेंटर, उटकमंड ।	सौर संग्राहक ।
13. केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	सौर पम्प ।
14. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	सौर संग्राहक, सौर पम्प, सौर जल हीटरों सौर विद्युत उत्पादन, सौर स्पेस हीटिंग ।
15. सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०	सौर सैल ।
16. इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।	सौर सैल ।
17. राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, बंगलौर	सौर पम्प ।
(3) निजी संगठन और अन्य	
1. ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा	सौर संग्राहक, सौर पम्प ।
2. अमूल दुग्धशाला; आणन्द (गुजरात)	दूध सुखाना ।

संस्थान	अनुसंधान का क्षेत्र
3. अरविन्द पांड्या, अहमदाबाद	सौर कुकर, चूल्हे।
4. फर्टिप्लांट, बम्बई	सौर जल हीटर।
5. मेटल बाक्स इंडिया लि०, बम्बई	सौर पम्प।
6. बिन्नी एण्ड कम्पनी, मद्रास	सौर जल हीटर।

(4) 1975-76 और 1976-77 के दौरान उपलब्धियां

1. विभिन्न प्रकार की तैयोगिकी का इस्तेमाल करके बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ने सौर पम्प विकसित किए हैं तथा उनका परीक्षण किया जा रहा है ।

2. लगभग 58 वर्ग मीटर (2000 वर्ग फुट) सौर संग्राहक क्षेत्र का इस्तेमाल करके हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की फैक्ट्री में सर्दी की ऋतु के दौरान शाप फ्लोर पर कर्मचारियों के लिए हीटिंग सुविधा के लिए एक स्पेस हीटिंग परियोजना की स्थापना की गई थी ।

3. अन्नामलया विश्वविद्यालय में सौर शुष्कक विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एक 10-मीटरी टन का धान शुष्कक प्रतिष्ठापित किया है ।

4. अनेक संस्थानों ने सौर जल हीटर विकसित किए हैं तथा कुछ निर्माताओं ने घरेलू जल हीटरों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया है ।

किरणकेशी नदी, महाराष्ट्र पर पनबिजली परियोजना

4109. **श्री एस० एच० नायक :**

श्री शंकर राव माने :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने किरणकेशी नदी पर पनबिजली परियोजना के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए कोई कार्यवाही की है जिसके बारे में काफी समय पहले जांच-पड़ताल की जा चुकी हैं; और

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने किरणकेशी पनबिजली परियोजना जैसी किसी अन्य परियोजना का प्रस्ताव किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने अन्तिम आदेश में यह निर्णय दिया है कि कोयना जल-विद्युत परियोजना तथा टाटा हाइडिल वर्क्स को छोड़

अन्य प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य कृष्णा नदी के बेसिन में से न तो जल का व्यपवर्तन करेगा और न व्यपवर्तन करने की अनुमति देगा। इस निर्णय क ध्यान में रखते हुए किरणकेशी परियोजना (हिरण्यकेशी बहुउद्देशीय परियोजना) छोड़ दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र में जो ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित जल-विद्युत स्कीमें भी निर्माणाधीन हैं :—

(i) कोयला जल-विद्युत परियोजना

चरण-तीन (4 X 80 मेगावाट)—यूनिट—चार— (तीन यूनिटें पहल ही चालू हो गई हैं)

(ii) कोयना बांध (2 X 20 मेगावाट)

(iii) पेंच जल विद्युत परियोजना (2 X 80 मेगावाट)

(महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना)

पन्हाला, जिला कोल्हापुर में दूरदर्शन केन्द्र

4110. **श्री शंकर राव माने** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पन्हाला, जिला कोल्हापुर में एक दूरदर्शन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू होने और कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आपात स्थिति के दौरान सेना द्वारा गोली चलाया जाना

4111. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान सेना को देश में कितनी बार गोली चलानी पड़ी और उसमें कितने व्यक्तियों की मत्यु हुई ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र (नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर) में विद्रोही सक्रियाओं के जवाब में सुरक्षा सेनाओं द्वारा गोली चलाए जाने के सिवाए सेना ने देश में आन्तरिक आपात-स्थिति की अवधि में सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए किसी अवसर पर गोली नहीं चलाई।

Scholarships to Harijans and Backward Classes

4112. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the rate at which Government grant scholarships to Harijans and Backward Classes students in Schools and Colleges;

(b) whether lumpsum grants are given to State Government in this behalf and if so, the break up of the grant given annually, State-wise;

(c) whether Government felt that the amount of scholarships given by States to the students receiving engineering, medical and technical education is inadequate; and

(d) if so, whether the Union Government propose to make a separate provision for this purpose so that these students may prosecute their studies without difficulty?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Post-matric scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes consist of (i) reimbursement of all compulsory fees etc. and (ii) maintenance allowance, depending upon the course of study and whether the student is a hosteller or day scholar. The statement at annexure I shows the different rates of maintenance allowance admissible for various courses which have been categoriesed into four groups. [Placed in the Library. See No. L.T-769/77].

Grant of scholarships to Harijans and backward classes students in schools is a State Sector programme and the rates vary from State to State.

(b) Whereas lumpsum grants are given to State Governments for post-matric scholarship, Central Assistance for pre-matric scholarships is released in the form of Block Grants/Blocks Loans.

बैतरपी नदी पर पुल

4113. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आनन्दपुर, केंजागढ़, उड़ीसा में बैतरपी नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क). और (ख) प्रस्तावित पुल आनन्दपुर-मद्राक सड़क पर पड़ेंगा। यह एक राज्य सड़क है, अतः राज्य सरकार मुख्यतः इस परियोजना से संबंधित है। परन्तु इस परियोजना के लिए 90 लाख रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए सहमति हो गई है।

ऐजाल में कागज मिल

4114. **डा० आर० रोथुआम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिजोरम के ऐंजाल जिले में होर टोकी में एक कागज मिल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मिज़ोरम में पेपर मिलों की स्थापना के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूरे मिजोरम में भिन्न-भिन्न किस्म के बांस प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं यहां तक कि इससे कागज में देश की आवश्यकता का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नानडीस) : (क) से (ग). मिजोरम में भारत सरकार का कागज मिल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। किन्तु मिजोरम सरकार ने स्थानीय कच्चे माल

की उपलब्धि के आधार पर प्रतिवर्ष 64,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले एक कागज मिल के ऐंजावल के, बैराबी में स्थापित किये जाने हेतु एक आशय पत्र के लिये आवेदन पत्र भेजा है । परियोजना के लिये आशय पत्र दिये जाने हेतु उन्होंने आवेदन पत्र दिया है तथा वह विचाराधीन है ।

Requirement of Electricity for Agriculture and Irrigation in Bihar

†4115. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the total megawatt electricity required for agriculture and irrigation in Bihar and the megawatt electricity being supplied to the State;

(b) whether it is a fact that 90 per cent of summer crop has been destroyed for want of electricity ; and

(c) arrangements being made by Government of India for making electricity available for irrigation in agricultural land?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) Power expressed in megawatt is a measure of demand of electricity at a point of time. It is not possible to indicate generation of power over a period of time and its distribution to different types of consumers in megawatts. In terms of energy required for agriculture, there is no shortage of generating capacity in Bihar. However, there is some load shedding during peak hours but supply is being made available for a minimum of 8-12 hours every day, for agricultural pumping.

(b) According to the message received from the State Government, there is no information about 90 per cent summer crop being destroyed for want of electricity.

(c) Additional generating capacity has been sanctioned and is in various stages of execution for benefits in the remaining years of the 5th Plan and also for 6th Plan. Schemes are also being formulated and processed to be taken up in 6th Plan. For generation and transmission an allocation of Rs. 60·80 crores for the year 1977-78 has been made.

For distribution schemes in the State for rural electrification for the year 1977-78, an outlay of Rs. 17·55 crores comprising Rs. 8 crores under Normal Development Programme of the State, Rs. 5·55 crores under Rural Electrification Corporation, Normal Programme and Rs. 4·00 crores under Minimum Needs Programme has been approved by the Planning Commission. This is to be further supplemented by institutional finances which will be utilised primarily for energisation of pump sets/tubewells.

Medium in UPSC Examinations

4116. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to conduct competitive examinations of Union Public Service Commission with the medium of Hindi and if not, the reasons therefor; and

(b) the population of English speaking people in the country whose mother tongue is English on the basis of 1971 census and the percentage thereof to the total population of the country?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) Government have already decided in principle that competitive examinations held by the Union Public Service Commission should be conducted in all languages included in the Eight Schedule to the Constitution and in Enlsglih; a beginning has been made in this direction. In view of its complexity, this question, among others, was referred by the Union Public Service Commission to the "Committee on Recruitment Procedures and Selection Methods" headed by Dr. D. S. Kothari. The Committee has since submitted its report and its recommendations on this question would be considered in the light of the views expressed by the Union Public Service Commission.

(b) The population of English-speaking people in the country whose mother tongue is English is 1,91,595 according to the 1971 Census and the percentage thereof to the total population of the country comes to 0·0349.

फूलबनी में कागज मिल

4117. **श्री बाटचा डिगल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फूलबनी उड़ीसा में एक कागज मिल की स्थापना के लिये सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :(क) सरकार ने उड़ीसा में फूलबनी में कागज मिल स्थापित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

आसाम-अरुणाचल सीमा विवाद

4118. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और अरुणाचल के बीच सीमा-विवाद अब तक तय नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इस विवाद को कब तक हल करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमांकन संबंधी कार्य हाथ में ले लिया गया है । भारतीय सर्वेक्षण के परामर्श से असम राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श करने के बाद सीमांकन के प्रयास शीघ्र किए जा रहे हैं । सीमांकनों के ब्यौरों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दलों का गठन कर दिया गया है । सीमांकन कार्य में कुछ अधिक समय लगने की संभावना है ।

नव बौद्धों को सुविधाएं दिया जाना

4119 **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेंकर** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के नव बौद्ध अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले रोजगार, शिक्षा आदि की सुविधाएं उन्हें न दिए जाने से क्षुब्ध हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं तथा क्या सरकार का उन्हें ये सुविधाएं देने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे मट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, समुद्र पार छात्रवृत्तियां, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिला, लड़कियों के छात्रावासों को सहायता और उनके कल्याण कार्य में लगे गैर सरकारी संगठनों को सहायता नव बौद्धों को देना पहले से आरम्भ कर दिया है । महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सेवाओं में आरक्षण भी उपलब्ध किये हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवाओं अथवा पदों अथवा अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को छोड़कर कोई आरक्षण नहीं

किये जाते हैं । संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति, जिसका हिन्दू अथवा सिख धर्म से भिन्न कोई धर्म है, को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तेल-रिगों का बनाया जाना

4120. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या उद्योग मन्त्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से देश में अब तक कुल कितने तेल रिग बनाये गये हैं ;

(ख) क्या वे सभी देशी पुर्जों से बनाये गये हैं या उनमें विदेशी पुर्जे लगे हैं और यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) भारत में बने तेल रिगों की संख्या कितनी है और वे कहां बने हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सात रिगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें से अब तक एक रिग का निर्माण किया जा चुका है और डिलीवर किए जाने के लिए तैयार हैं ।

(ख) पहले रिग के निर्माण में देशी और आयातित दोनों सामान इस्तेमाल किए गए थे; देशी और आयातित हिस्से-पुर्जों का प्रतिशत क्रमश: 35 और 65 था ।

(ग) बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित पहला रिग उनके हैदराबाद स्थित एकक में जोड़ा गया था । इसके हिस्से-पुर्जे भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के अलावा उनके हैदराबाद और भोपाल स्थित एककों में निर्मित किए गए थे। तेल के कुएं खोदने की रिगों का निर्माण करने के लिए दो एकको को लाइसेंस दिया गया है, दोनों एकक सरकारी क्षेत्र में हैं अर्थात् हैवीइंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची (एच० ई० सी०) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दिल्ली (बी०एच०ई०एल०)/एच० ई०सी० ने गत पांच वर्षों में किसी भी रिग का निर्माण नहीं किया है । रिगों के निर्माण के लिए बी० एच० ई० एल० ने पृथक सुविधाओं की स्थापना नहीं की है । रिगों की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उन्होंनें बी० एच० ई० एल० और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्यमान सुविधाओं का उपयोग करके उत्पादन किया है । प्रथम रिग को उनके हैदराबाद स्थित एकक में हाल ही में असेम्बल किया गया था।

[भारतीय वन सेवा

4121. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वन सेवा में हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को शामिल करने का मामला एक वर्ष से भी अधिक समय से अनिर्णित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) अनुमानतः माननीय सदस्य का आशय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी, 1976 में अनुमोदित प्रवर सूची में से हिमाचल प्रदेश के राज्य वन सेवा अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से है। इस सूची में शामिल किए गए 15 अधिकारियों में से, सात अधिकारियों को 28 मई, 1976 को भारतीय वन सेवा में, उस समय विद्यमान रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था। बाद में, राज्य संवर्ग की पद संख्या बढ़ जाने के कारण पदोन्नति की सीमा के अन्तर्गत अधिक रिक्तियां उपलब्ध हो गई हैं। इन रिक्तियों पर केवल राज्य सरकार को सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्तियां की जा सकती है, जो अभी आनी बाकी है।

(ग) नियमों में निर्धारित प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का आरक्षण

4122. **श्री बी० के० नायर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का आरक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एसे आरक्षित पदों पर वस्तुतः नियुक्त किये गये भूतपूर्व कर्मचारियों को प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) यदि उक्त पद कम भरे गए हैं तो उसके क्या कारण हैं तथा उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों में निम्नलिखित आरक्षण किए गए हैं :—

(1) केन्द्र सरकार

तृतीय श्रेणी	10 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	20 प्रतिशत

(2) केन्द्र सरकार के उपक्रम

तृतीय श्रेणी	17½ प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	27½ प्रतिशत

(3) राज्य सरकारें

असम, केरल और मेघालय को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण कर दिया है। आरक्षण का प्रतिशत 2 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।]

(ख) वर्ष	उपर्युक्त (1) और (2) के बारे में, आरक्षित पदों के प्रति भरे गये पदों की प्रतिशतता
1974	32.7
1975 .	24.0
1976	30.2

(ग) भरे गये पदों का प्रतिशत गिरने के मुख्य कारण ये हैं —

(1) भूतपूर्व सैनिकों का स्थानीय नौकरियों की तरफ झुकाव,

(2) अफसर पद से नीचे के भूतपूर्व सैनिकों का शैक्षिक स्तर कम होना और

(3) उपलब्ध नौकरियों के लिए अनुभव और प्रशिक्षण की कमी होना। जून 1976 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था जिसे अन्य बातों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने में आई गिरावट के कारणों का अध्ययन करने का काम भी सौंपा गया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट विचाराधीन है और उसकी सिफारिशों पर लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित किया जाएगा।

कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बिजली की खपत

4123. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए राज्यवार बिजली की कुल खपत मात्रा तथा प्रतिशतता में कितनी हुई है ; और

(ख) बिजली की श्रेणीवार दरें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) आवश्यक ब्यौरे विवरण-एक, दो और तीन में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 770/77]

(ख) बिजली की श्रेणीवार दरें विवरण चार में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 770/77]

पत्तन श्रमिकों द्वारा हड़ताल का नोटिस

4124. **श्री वयालार रवि :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न पत्तनों के मजदूर संघों से हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मुख्य मांगे क्या हैं तथा हड़ताल से बचने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य मांग उन कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने के बारे में थी, जिनकी सिफारिश वेतन पुनरीक्षण समिति ने की थी। संसदीय कार्य और श्रम मंत्री ने पत्तन और गोदी कर्मचारियों के परिसंघों के साथ विचार विमर्श किया और 14-7-1977 को एक समझौता हो गया, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल के सभी नोटिस वापिस ले लिए गए माने गए हैं ।

Release From Jail of Processionists for Forcible Sterilisation

4125. **Father Anthony Murmu**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the cases against the people who were jailed for taking out processions during emergency in protest of forcible sterilisation operations have been withdrawn and the people released;

(b) if not, by what time present Government propose to release them; and

(c) the reasons for delay in the release of the said people?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) to (c) Facts are being ascertained from the State Governments/Union Territory Administrations and the informations will be laid on the Table of the House in due course.

पत्तन तथा गोदी के कर्मचारियों के साथ मजदूरी में वृद्धि करने के बारे में बातचीत

4126. **डा० हेनरी आस्टिन :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पत्तन तथा गोदी के कर्मचारियों को मजदूरी में वृद्धि करने की उनकी मांगों के बारे में बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) किन मुद्दों पर समझौता हुआ है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) पत्तन और गोदी कर्मकारों के चार परिसंघों के साथ संसदीय कार्य और श्रम मंत्री के विचार विमर्श के फलस्वरूप 14-7-1977 को समझौता हुआ।

(ग) 14-7-1977 को हुए समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-771/77]

मजूरी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों की पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों पर प्रतिक्रिया

4127. **श्री सौगत राय :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मजूरी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें की पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों पर हुई प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्रियान्वित के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) तथा (ख) : इस पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई परन्तु केवल सुधारों के कुछ सुझाव प्राप्त हुए । परिवर्तनों सहित रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर परिसंघों के साथ 14-7-77 को पूरा समझौता हुआ । समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी 772/77]

कोल इण्डिया लिमिटेड के निस्सामुगवार जोन के महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच

4128. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटड के निस्सा-मुगवार जोन द्वारा अर्ध सरकारी पत्र जारी करने के मामले में अत्यधिक अनियमितताएं की गई थीं ;

(ख) क्या इस मामले में ईस्टर्न कोल लिमिटेड के निस्सा मुगवार जोन के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच आरम्भ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) आपात स्थिति के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के मुगमा-निरसा क्षेत्र में कोयले की स्थानीय बिक्री के लिए डिलीवर आर्डर जारी करने में किसी गंभीर अनियमितता का पता नहीं चला है ।

(ख) व (ग). धनबाद के मैसर्स प्रीमियर हार्ड कोक द्वारा मई 1976 में एक शिकायत की गई थी जिसकी जांच की गई किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

भावनगर में मशीनी औजार फैक्टरी

4129. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 वर्ष पूर्व भावनगर, गुजरात में सरकारी क्षेत्र में एक मशीनी औजार फैक्टरी लगाने का कोई निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है ।

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नानडिस): (क) और (ख). सरकार ने भावनगर में स्थापित किये जाने वाले मशीन टूल संयंत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अप्रैल,

1965 में शुरु किया। यह निश्चय किया गया है कि भावनगर में मशीन टूल का निर्माण गुजरात स्टेट मशीन टूल कारपोरेशन लिमिटेट, अहमदाबाद (गुजरात सरकार का एक उपक्रम) द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेट के सहयोग से किया जाएगा। परियोजना की लागत का अनुमान 11 करोड़ रुपये लगाया गया है। परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की गई है। कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है। 102 लाख रुपये के मूल्य की मशीनों के लिए क्रयादेश दिये गये हैं। सेंटर लेथ की डिजाइन पहले ही पूरी हो गई है और तीन आदयरुपों का विकास/निर्माण किया जा रहा है। सेंटर लेथों से उत्पादन प्रारम्भ होगा और जनवरी, 1979 में शुरु होने की आशा है। गुजरात सरकार ने जून, 1977 में परियोजना के लिए भूमि का कब्जा कम्पनी को दे दिया है। अगस्त, 1977 में निर्माण कार्य शुरु होने की आशा है।

गांधी जी से सम्बन्धित स्थानों को राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित किया जाना

4130. **श्री दुर्गा चन्द** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गांधी जी से सम्बन्धित सभी स्थानों की राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) देश में उन स्थानों के नाम क्या है जो गांधी जी से सम्बन्धित है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि गांधी जी से सम्बद्ध सभी स्थान औपचारिक रूप से राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित किये जायें। वे इतने स्थानों से सम्बद्ध में थे कि सब को इस रूप में घोषित करने के लिये चुनना असम्भव है। कुछ स्थान ही इतने विशिष्ट और श्रेष्ठ होंगे जो इस महत्व के योग्य होंगे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वारलानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना

4131. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यक्तियों और/अथवा संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें वारलानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई;

(ख) यदि हां, तो वे व्यक्ति और/अथवा संगठन कौन से है और ये अभ्यावेदन कब प्राप्त हुए थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान में तदनुसार संशोधन करने का है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) :(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

फिल्म वित्त निगम का पुनर्गठन

4132. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म वित्त निगम से फिल्मों के वित्त पोषण की पद्धति का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कैसे;

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान फिल्म वित्त निगम का उपयोग स्वतन्त्र विचारकों एवं राजनैतिक आधार पर फिल्म बनाने के इच्छुक अन्य व्यक्तियों को धमकाने के लिए एक साधन के रूप में किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन फिल्मों अथवा निर्माताओं को ऐसे आधार पर नकद सहायता नहीं दी गयी ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख). जी, नहीं । तथापि, फिल्म वित्त निगम द्वारा हाल ही में लिए गए एक निर्णय के अनुसार फिल्म निर्माताओं को ऋण समर्थक ऋणाधार के बिना भी, किन्तु लाभ में हिस्से की व्यवस्था के साथ, दिए जायेंगे । यह उन मामलों में किया जाएगा जहां स्क्रिप्ट और उससे सहयोजित तकनीकी प्रतिभा बहुत अच्छी होगी, किन्तु आवेदक को आवश्यक वित्तीय ससाधनों का अभाव होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सेंसर बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा फिल्मों को स्वीकृति दिया जाना

4133. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने आपात काल के दौरान कितनी फिल्मों को प्रदर्शन हेतु स्वीकृति दी थी तथा उनमें से कितनी फिल्मों का निर्माण भारत में हुआ था;

(ख) किसी फिल्म को सेंसर करने और उसको प्रदर्शन करने की अनुमति देने का मापदण्ड क्या है;

(ग) क्या आपात स्थिति के बाद इस मापदण्ड को बदला गया है यदि हां, तो उन फिल्मों का भविष्य क्या होगा जिनको तत्कालीन सरकार ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी; और

(घ) क्या सरकार फिल्म सेंसर बोर्ड के काम करने के नियमों का पुनरीक्षण करेगी और यदि हां, तो वे नियम क्या होंग ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने 884 भारतीय फीचर फिल्मों और 206 आयातित फीचर फिल्मों को प्रमाणीकृत किया । जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान बोर्ड ने 2140 भारतीय और 1833 आयातित लघु फिल्मों को भी प्रमाणीकृत किया ।

(ख) सभी फिल्मों की जांच चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों, उनके अधीन बने नियमों और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों जिनमें बोर्ड के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्में स्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हुए है, के अनुसार की जाती है ।

(ग) कतिपय प्रशासनिक अनुदेशों, जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को आपात स्थिति के दौरान जारी किए गए थे, को अब चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार युक्तियुक्त बना दिया गया है । चलचित्र अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार पहले लिए गए अपने निर्णयों का पुनरीक्षण कर सके ।

(घ) जी हां । मामले की जांच की जा रही है ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग

4135. श्री व्यालार रवि :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में केन्द्रीय सहायता से अब तक कुल कितने लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये गये है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) वर्ष 1977–78 के दौरान कितनी राशि मंजूर करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केरल राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्ग स० 17 तथा 47 की कुल लम्बाई 706 कि०मी० है, इसमें नगर पालिका की सीमा में आने वाली लम्बाई शामिल नहीं है । ये राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के समय प्राय:विद्यमान थे तब से उनके विकास तथा अनुरक्षण पर व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ।

(ख) 1956–57 से 1976–77 तक की अवधि के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 1522.18 लाख रु० का कुल व्यय किया गया है ।

(ग) 1977–78 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के निर्माण के लिए 250.00 लाख रु० की राशि अलग से रखी गई है ।

सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत

4137. **श्री सुखेन्द्र सिंह** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हर चार वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारियों को तथा उनके परिवारों की छुटटी यात्रा रियायत देती है; और

(ख) क्या तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए प्राइवेट बसें, टैक्सियां किराये पर लेकर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की उनके द्वारा किये गये खर्चे की रसीद दिखा कर अनुमत दरों पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हो जाती है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह): (क) जी हां, श्रीमान् सरकारी कर्मचारी तथा उनके परिवार हर चार वर्षों के एक ब्लाक में एक बार भारत में किसी भी स्थान के लिए छुटटी यात्रा रियायत पाने के हकदार है।

(ख) जो सरकारी कर्मचारी अपने निवास नगर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर चार वर्षों के ब्लाक में एक बार जाने का इरादा है रखता है, उसे अपनी यात्रा आरम्भ करने से पहले उस स्थान को जो एक तीर्थ स्थान है अथवा कोई ऐतिहासिक स्थान हो सकता है—घोषित करना होता है और प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए उसे उस स्थान पर जाना होता है यदि वह उस स्थान को यात्रा चार्टर्ड बस/टैक्सी द्वारा करता है तो उसे घोषित गन्तव्य के लिए या तो रेल द्वारा अपनी हकदारी को श्रेणी में सब से छोटे सीधे रास्ते से सामान्य कटौतियों के अध्यधीन किराए, अथवा उसके द्वारा खर्च की गयी वास्तविक धनराशि, इनमें जो भी कम हो, को प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह रियायत उसके परिवार के सदस्यों को भी अनुज्ञेय है।

सूर एण्ड कम्पनी कलकत्ता

4138. **श्री सौगतराय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया है कि सूर एण्ड कम्पनी, क्रिस्टोफर रोड, कलकत्ता के मामलों की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जांच कराई जाये; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :(क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध की जांच की गई है और यह निश्चय किया गया है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन मैसर्स सूर एण्ड कम्पनी के कार्यों की जांच के आदेश न दिये जायें। राज्य सरकार को सरकार के निर्णय की सूचना दे दी गई है।

Payment made to Samachar for News

4139. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the total amount paid by Government to 'Samachar' for news upto 31st March, 1977 since its inception; and

(b) the form of assistance given to 'Samachar' in addition to payment made for news?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) The following amount was paid to Samachar for news by Government :—

A.I.R. . . . . Rs. 32·55 lakhs (From 1-2-76 to 31-3-77)

Central Government Ministries . . Rs. 13·34 lakhs (From April 76 to March 77).

(b) The Ministry of Information and Broadcasting had given to 'Samachar' non-recurring grant-in-aid during the last financial year as under :—

(1) Rs. 10 lakhs for meeting the Agency's existing liabilities.

(2) Rs. 15 lakhs for meeting the excess of revenue expenditure over income.

(3) Rs. 25 lakhs for liabilities arising out of increase in pay and emoluments of employees.

पिछड़े जिलों के लिए मूलभूत ढांचा

4140. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े चुनीदा क्षेत्रों में अत्यावश्यक मूलभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये, जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था है, प्रस्तावित परिव्यय कितना है; और

(ख) मूलभूत ढांचे पर कितना व्यय हुआ और इसकी व्यवस्था में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अलग से केवल अवस्थापना सुविधाओं के लिए ही नहीं है। तदनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1977–79 के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चूंकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है अत: इस प्रावधान में से अभी कोई व्यय नहीं किया गया है।

दूरदर्शन में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की जांच

4141. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दूरदर्शन में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के बारे में 3 जून, 1977 के फिल्मी साप्ताहिक 'स्क्रीन' में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र दोनों में ही प्रोड्यूसरों, प्रोडेक्शन असिस्टेंट और जनरल असिस्टेंट के चयन में हुई भूल-चूकों के बारे में जांच कराने के आदेश देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) लेख में जो आरोप लगाये गये हैं वे इतने सामान्य और अस्पष्ट हैं कि उनके आधार पर उन व्यक्तियों, जिनका उसमें परोक्ष रूप से संकेत किया गया है, के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती या भूल चूकों के बारे में जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। यदि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए ठोस प्रमाण सहित कोई विशिष्ट मामले हैं और वे सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

तथापि, सरकार स्वत: प्रोड्यूसरों और प्रोडक्शन असिस्टेंटों के कुछ पदों के चयन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। स्ट्रिजरों को नियुक्त करने की पद्धति की भी उसको दोष-रहित बनाने की दृष्टि से जांच की जा रही है।

Creation of a New State Comprising Bundelkhand and Baghelkhand

4141. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether old Vindhya Pradesh region in Madhya Pradesh which includes old area of Bundelkhand and Baghelkhand, is a backward area in the country; and

(b) whether there is any scheme under which a new State comprising this backward area would be created and new schemes and development works would be undertaken for the development and prosperity of this area?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) and (b). Yes, Sir. Certain parts of Bundelkhand and Baghelkhand in Madhya Pradesh are backward areas and several districts therein have been declared as industrially backward districts, qualifying for concessional finance. The developmental needs of backward areas have essentially to be met through the mechanism of planning and Government do not consider that formation of such areas into a separate State would provide a solution to the problem of their backwardness. The draft Annual Plan 1977-78 submitted by the Government of Madhya Pradesh includes certain irrigation schemes, both major and medium, and certain power projects for being undertaken in the Bundelkhand and Baghelkhand area.

फिल्म "किस्सा कुर्सी का"

4143. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी एजेंसी अथवा विशेष अधिकारी ने यह निर्णय लिया कि 'किस्सा कुर्सी का' नामक फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता; उक्त निर्णय लिये जाने के क्या कारण थे;

(ख) उक्त फिल्म का निर्माता और निदेशक कौन था और इसमें किन-किन व्यक्तियों ने पूंजी लगाई क्या फिल्म वित्त निगम से कोई सहायता मांगी गई थी; और

(ग) उक्त फिल्म को किस आधार पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया; क्या इसकी प्रति प्राप्त होने पर सरकार इसका अब प्रदर्शन करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ग). 'किस्सा कुर्सी का' नामक फिल्म की जांच चलचित्र अधिनियम, 1952 के खंड 6 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इस फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संसर प्रमाणपत्र इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए कि यह फिल्म देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के विरुद्ध है और इससे देश के स्थापित कानूनों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इन अधिकारों का प्रयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय में फिल्म विंग के इन्चार्ज तत्कालीन संयुक्त सचिव (सूचना) द्वारा तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री की स्वीकृति से किया गया था।

जहां तक इस फिल्म की प्रति अब उपलब्ध होने पर इसको रिलीज करने की अनुमति देने का सम्बन्ध है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार इस फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र देने से पहले ही इंकार कर चुकी है, इसलिए उसको अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है।

(ख) निर्माता का नाम श्री अमृत नाहटा है और निदेशक का नाम श्री शिवेन्द्र सिन्हा है फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' बनाने के लिए फिल्म वित्त निगम से कोई सहायता नहीं मांगी गई और न ही उसके द्वारा कोई सहायता दी गई। सरकार को इसके फाइनेंसरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गोआ, दमण और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

4144. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव के मुख्य मंत्री श्रीमती शशिकला काकोडकर और उनकी सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुप्रशासन के आरोप केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) उक्त आरोपों का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है;

(ग) किन-किन व्यक्तियों/संगठनों/राजनीतिक दलों ने उक्त आरोप प्रस्तुत किये और उन्हें कब प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ). गोआ, दमन और दीव की मुख्य मंत्री, श्रीमती शशिकला काकोडकर के विरुद्ध युनाइटेड गोआन्स पार्टी, कांग्रेस लेजिसलेचर पार्टी तथा कुछ व्यक्तियों से वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 में आरोपों के ज्ञापन प्राप्त हुए थे।

वर्ष 1975 में तथा 1976 के आरम्भ में प्राप्त आरोपों के ज्ञापनों पर भूतपूर्व सरकार द्वारा मुख्य मंत्री की टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं, परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था। शेष पर, मुख्य मंत्री की टिप्पणियां मई, 1977 में मांगी गई थी। उक्त मामले पर नियत क्रियाविधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त ज्ञापनों में दिये गये आरोपों के स्वरूप अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य ब्यौरों को इस स्टेज पर प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा।

इस्पात उद्योगों द्वारा कोयले की मांग

4145. **डा० हेनरी आस्टिन :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात उद्योगों की घटती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कोयला क्षेत्र में कम उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : 1977–78 के दौरान इस्पात कारखानों के लिए कोककर कोयले की मांग में कमी नहीं हुई है। वास्तव में इस्पात कारखानों के लिए कोककर कोयले की प्रत्याशित आवश्यकता 1976–77 में लगभग 14.3 मिलि० टन से बढ़कर 1977–78 में 15.96 मिलियन टन हो गई है। इस्पात कारखानों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उपाय किये गये हैं। अतः कोयला क्षेत्र में कम उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन पत्तन पर गोदी कर्मचारियों को वेतनलाभ

4146. **श्री के० ए० राजन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर कुछ गोदी कर्मचारियों को अन्तरिम वतन लाभ नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). कोचीन गोदी श्रम बोर्ड के अन्तर्गत सभी पंजीकृत तथा फोटो पास दिहाडी गोदी कर्मकारों को अन्तरिम सहायता दी जा रही है। गोदी श्रम बोर्ड से भिन्न अन्य एजेन्सियों द्वारा काम पर लगाये गये कर्मकारों के कुछ प्रवर्गों से बोर्ड का कोई संबंध नहीं है और अतः बोर्ड द्वारा उनको अन्तरिम सहायता नहीं दी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच० एम० टी० कालामस्सेरी में भर्ती संबंधी नीति

4147. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी०, कालामस्सेरी में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिये सरकार की कोई निश्चित नीति है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कसौटी निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख). एच० एम० टी०, कालामस्सेरी में विभिन्न पदों पर श्रमिकों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में एच० एम० टी० द्वारा स्वीकृत नीति में निम्नलिखित मुख्य मापदण्ड सम्मिलित हैं, जो उनके मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्तर्विष्ट हैं :—

(1) जहां तक सम्भव होता है सभी उच्च पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। बाहर से भर्ती तभी की जाती है जब एकक के अन्दर पदोन्नति के लिए उम्मीदवार नहीं मिलता है।

(2) पदोन्नति केवल अगले उच्च पद पर होगी।

(3) पदोन्नति पर विचार, जो परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित है तब किया जाता है यदि अगले उच्च पद में कोई रिक्त स्थान हो और कार्य की आवश्यकता को देखते हुए रिक्त स्थान का भरा जाना जरूरी हो।

(4) पदोन्नति के लिए जिन कर्मचारियों पर विचार किया जाना है, उनकी पात्रता निम्न पद पर सेवा की पात्रता अवधि पर आधारित होती है।

(5) किसी कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार तभी किया जायेगा यदि कार्य निर्धारण के आधार पर किसी ट्रेड में उच्च पद उपलब्ध है और यदि उसी ट्रेड में ऐसा पद अत्यावश्यकता के कारण भरा जाना है।

(6) पदोन्नति पर ट्रेड के परिवर्तन की अनुमति विशिष्ठ मामलों में परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर दी जायेगी।

(7) सब बात समान होने पर पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(8) निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति के लिए कार्य निर्धारण के अलावा न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं :—अर्धकुशल/कुशल कामगर, चार्ज हैंड 'ए' और 'बी', अनुसचिवीय ग्रेड, जूनियर टैक्नीशियन, सीनियर प्लानर 'बी', सीनियर ड्राफ्टमैन 'बी' और सीनियर इन्सपेक्टर।

Pension to Staff Artistes of All India Radio

4148. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to grant pension to those staff artistes of All India Radio who are serving on contact extending upto 58 years of age; and

(b) whether it is proposed to grant pension in lieu of Contributory Provident Fund to those staff artistes who have been serving All India Radio and Doordarshan as staff artistes before 1964?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) and (b). No, Sir. There is no proposal at present. However, some demands to this effect have been made.

एम्पलायमेंट पोटेन्शल उद्योग

4149. श्री सतीश अग्रवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योग के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने 'एम्पलायमेंट पोटेन्शल' की संज्ञा दी है और जिनके लिये आयातित प्रौद्योगिकी की व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : प्रौद्योगिकी के आयात के लिए उद्योगों का चयन उनकी रोजगार क्षमता के आधार पर नहीं किया गया है।

Progressive Use of Hindi by C.S.I.R.

4150. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Hindi magazine "Vigyan Pragati" of C.S.I.R. was not being brought out in time during the last three years;

(b) if so, who have been held responsible;

(c) the schemes of C.S.I.R. for ensuring the progressive use of Hindi and publication of scientific research material in Hindi;

(d) whether Government propose to appoint a Hindi Adviser to co-ordinate the Hindi work and progressive use of Hindi; and

(e) if so, when it is likely to be done?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) and (b). There was considerable dislocation in the handling of the publication owing to transfers, promotions and retirement of the majority of the staff dealing with it and no arrangements were made to replace them. I am very dissatisfied with the state of affairs and am having inquiries made as to the circumstances in which this happened and who was responsible for mismanagement. The position is now uptodate and publication is being issued regularly.

(c) to (e).

(i) **Progressive use of Hindi in CSIR:** Press communiques, specified documents required to be issued both in Hindi and English languages, reply to the correspondence received in Hindi, issue of instructions to class IV staff, printing of forms bilingually, name plates, Hindi teaching scheme etc. etc. are some of the important work done in Hindi.

(ii) **Publication of Scientific Research Material in Hindi:** The C.S.I.R. publishes the monthly "Vigyan Pragati" and the Annual Report of the C.S.I.R. in Hindi. The "Wealth of India" (encyclopaedia) is also being brought out in Hindi.

(iii) I am asking the Director-General, CSIR to look into the whole position and take steps to reorganise the Hindi Section so as to achieve progressive use of Hindi.

कोका-कोला के स्थान पर भारतीय पेय के लिए फार्मूला

4151. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका-कोला के स्थान पर एक अन्य फार्मूले का अविष्कार करने के बारे में प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और अन्य भारतीय पेयों को कोका-कोला का स्थान देने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क) और (ख). सेन्ट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर ने बताया है कि उसने देशी कोला पेय सान्द्रण का सन्तोषजनक रूप में विकास कर लिया है तथा वे वाणिज्कि उपयोग के लिए मिश्रण उपलब्ध कराने को तैयार हैं। आशा की जाती है कि भारतीय पेय उद्योग इस विकास से लाभांवित हो सकेगा। देशी पेय पदार्थ बनाने वाले उद्योग के विकास हेतु सहायता के विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी।

बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस जारी करना

4152. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने राज्यों में उद्योग स्थापित करने हेतु बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस): (क) और (ख). किसी भी राज्य सरकार से राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिए जाने हेतु कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिए जाने के लिए प्राप्त हुए बड़े औद्योगिक गृहों के आवेदनों सहित सभी आवेदन-पत्र सम्बन्धित राज्य सरकार और विभिन्न संवीक्षा अभिकरणों को उन पर अपनी टिप्पणी देने हेतु भेज दिए जाते हैं। सामान्यतया, ये आवेदन पत्र राज्य सरकारों द्वारा समर्थन प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा लागू की गई नीति के अनुरूप लाइसेंस के आवेदनों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है न कि केवल राज्य सरकार की सिफारिश के ही आधार पर।

सरकार द्वारा मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के विरुद्ध चल रहे अपराधिक मामलों को वापस लिया जाना

4153. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार द्वारा मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के विरुद्ध चल रहे कितने आपराधिक मामलों को वापस लिया गया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

हरिजनों को परेशान किया जाना

4154. डा० हेनरी आस्टिन :

श्री निहार लास्कर :

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री के० लकप्पा :

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है कि बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां जनता पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीते हैं, हरिजनों को पीटा तथा परेशान किया जा रहा है ;

(ख) क्या 26 जून, 1977 को बिहार में भागलपुर गांव के भूस्वामियों ने हरिजनों को पीटा और उनको पहले दी गई भूमि पर पुन: अपना कब्जा कर लिया ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा पहले दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मामलों में कठोर कार्यवाही की जायेगी इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई और हरिजनों को अभी भी परेशान किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्र की रिपोर्ट देखी है कि क्या कोई ऐसी घटना हुई है, इसकी सूचना सम्बन्धित राज्यों से एकत्र की जा रही है ।

(ख) से (घ). बिहार सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

Probe into Working of Transport Units of Doordarshan

4156. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1368 on the 22nd June, 1977 regarding probe into the working of Transport Units of Doordarshan and state the names and designation of the officers against whom departmental action is being taken and whether Government propose to entrust this case to the C.B.I., if so, when?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): Departmental enquiry is being held against nine officials of the Transport Unit of Doordarshan including five gazetted officers and four non-gazetted officials. The nine officials include the three officials referred to in reply to the Unstarred Question No. 1368 on 22nd June, 1977.

Since the departmental enquiry has not yet taken a positive shape, it will not be in public interest to disclose the names of the officials at this stage. There is no proposal to entrust this case to the C.B.I.

Annual Consumption of Electricity in Punjab, Haryana, Delhi and H.P.

4157. Shri Yagya Datt Sharma: Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the annual consumption of electricity in Punjab, Haryana, Delhi and Himachal Pradesh, State-wise;

(b) whether Government are considering any new scheme for meeting this consumption; and

(c) if so, the details of the scheme?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) The annual consumption of electricity varies from year to year on the basis of load growth and availability of power. The annual consumption of electricity for the year 1975-76 was as follows :—

Punjab	3379·78	million kwh
Haryana	1601·72	Do.
Delhi	1447·29	Do.
Himachal Pradesh	220·52	Do.

(b) and (c). Work is in progress on a number of Hydro-electric and Thermal Projects in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Delhi. A list of such on-going Projects is given in the Statemen. Several proposals for new schemes are also at various stages of examination and project formulation with a view to most economically meeting the future power needs of the constituents of the Northern Region.

Statement

List of schemes work on which is in progress in Punjab, Haryana, Delhi and Himachal Pradesh

Sl. No.	Name of the Project under execution	Capacity (No. of units size in MW)
I.	**Punjab:**	
	Shanan Extn. (HEP)	1×50
	Gurunanak (Bhatinda) Extn. (TPS)	2×110
II.	**Haryana**	
	Faridabad Extn. (TPS)	1×60
	Panipat Thermal Project (TPS)	1×110
III.	**Himachal Pradesh**	
	Giribata (HEP)	2×30
IV.	**Central Projects**	
	Baira Siul (HP) (HEP)	3×60
	Badarpur Thermal Extn. (Delhi)	1×200
V.	**Common Projects**	
	Beas Unit-I (Dehar) (HEP)	4×165
	Beas Unit-II (Pong) (HEP)	4×60

तमिलनाडु में गैस टरबाइन संयंत्र

4158. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केंन्द्र से राज्य में तीन गैस टरबाइन संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या फैसला किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख). 6×25 मे० वा० गैस टरबाइन संयंत्र की प्रतिष्ठापना के लिए तमिलनाडु सरकार से पत्रादि प्राप्त हुआ था। परियोजना की तकनीकी और अन्य विशिष्टताओं संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन होना आवश्यक है ताकि राज्य की विद्युत संबन्धी आवश्यकताओं और उनको पूरा करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक स्कीमों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सके।

अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के लिए अनिच्छुक समाचार-पत्रों का अधिग्रहण करने की मांग

4159. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्माल न्यूजपेपर्स एडीटर्स कन्फेंस ने सरकार से उन सभी समाचारपत्रों का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है जो अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के लिए तैयार नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) इस मंत्रालय को इस प्रकार के किसी भी अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न आयोगों की सिफारिशों का क्रियान्वयन

4160. **श्री निहार लास्कर :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी बहुत से जांच आयोग ऐसे हैं जिनकी सिफारिशें पूरी तरह क्रियान्वित नहीं गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जांच आयोगों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित कराने के लिए कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4161. **श्री के० ए० राजन**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस राज्यों के बिजली कर्मचारियों ने मजूरी सम्बन्धी बातचीत तथा अन्तरिम राहत सम्बन्धी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और हड़ताल को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख). कुछ राज्य बिजली बोर्डों को बिजली कर्मचारियों की कुछ यूनियनों से मजदूरी में संशोधन बोनस आदि की मांग के संबंध में 20 जुलाई, 1977 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के नोटिस मिले हैं । इन विवादों का निपटारा विचार-विमर्श एवं समझौते द्वारा करके प्रस्तावित हड़ताल को टालने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों तथा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

इलेक्ट्रौनिक्स आयोग को सहायता अनुदान

4162. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **इलेक्ट्रौनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रोनिक्स आयोग को सहायता अनुदान दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं; इलेक्ट्रौनिकी विभाग की अनुदान विषयक मांगों पर संसद द्वारा विचार करने के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाता है और अनुदान की राशि का उपयोग इलेक्ट्रौनिकी आयोग द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही किया जाता है । उपर्युक्त इलैक्ट्रोनिकी आयोग भारत सरकार का ही एक हिस्सा है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

परमाणु ईंधन उद्योग समूह, हैदराबाद

4163. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन उद्योग समूह परमाणु विद्युत् रिएक्टरों की ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है; और

(ख) उक्त समूह द्वारा किन चीजों का उत्पादन किया जाता है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. राजस्थान परमाणु बिजलीघर तथा निर्माणाधीन अन्य बिजलीघरों के लिए आवश्यक यूरेनियम आक्साइड ईंधन की असेम्बलियां ।

2. अमेरिका द्वारा दिए गए समृद्ध यूरेनियम से बनाई जाने वाली तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम आक्साइड ईंधन की असेम्बलियां ।

3. निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों के लिए आवश्यक शीतक ट्यूबों कैलन्ड्रिया ट्यूबो और जरकालय से तैयार की गई अन्य चीजें जैसे रिएक्टर के घटक ।

4. इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के लिए आवश्यक 99.999 प्रतिशत से भी अधिक शुद्धता वाली विशेष किस्म की सामग्री, जैसे—ऐनोड और स्लग, सेलेनियम, टिन जरकोनियम पाउडर, गैलियम, गोल्ड, बोरोन ट्राई-ब्रोमाइड और नायोबियम ।

आकाशवाणी केन्द्रों की ट्रांसमिटर क्षमता

4164. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों की वर्तमान ट्रांसमिटर क्षमता क्या है; और

(ख) क्या इन क्षमताओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के वर्तमान ट्रांसमिटरों की शक्ति संलग्न विवरण में दी हुई है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी०–773/77]

(ख) ऐजवाल, शिलांग, श्रीनगर और दिल्ली के ट्रांसमिटरों की शक्ति बढ़ाने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । अन्य ट्रांसमिटरों की शक्ति बढ़ाना देश में प्रसारण के विकास की उत्तरवर्ती योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

अणुशक्ति केन्द्र, कलपक्कम

4165. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति केन्द्र, कलपक्कम के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार का कुल परिव्यय क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा पृथक-पृथक कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) कलपक्कम में बनाए जा रहे बिजलीघर के पहले तथा दूसरे यूनिट के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्रमश: 77.09 करोड़ रुपए तथा 70.63 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय संस्वीकृत किया है। पूंजीगत परिव्यय की राशियों को बढ़ा कर क्रमश: 107.55 करोड़ रुपए तथा 95.93 करोड़ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृत परिव्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी लगभग 2500 एकड़ भूमि मुफ्त दी थी। बताया गया है कि इस भूमि के अधिग्रहण पर लगभग 45 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) मई, 1977 तक पहले तथा दूसरे यूनिट पर क्रमश: 80.95 करोड़ तथा 40.16 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके थे।

तेल पोतों का निर्माण

4166. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल पोतों के निर्माण का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में तेल उत्पादन की सम्भावित वृद्धि और आगामी 10 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेल के आयात के लिये क्या किसी उपायुक्त तेल पोत बेड़े के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारा मौजूदा टैंकर बेड़ा प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति

4167. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1977 के 'डैक्कन हैराल्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ ने प्रधान मन्त्री को दिये गये एक पत्र में कहा है कि अविकसित अथवा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु दिये गये प्रोत्साहन तथा रियायतों से कोई सफलता नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के सम्मुख क्या कठिनाई है और सरकार का विचार इस बारे में क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) और (ख). सरकार ने 12 जून, 1977 के डैक्कन हैराल्ड की रिपोर्ट देख ली है। सरकार को पता है कि विभिन्न सुविधाएं दिये जाने के बावजूद पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण की प्रगति धीमी रहती है। औद्योगिक अवस्थापनाओं का अभाव तथा इसके परिणामस्वरूप उद्यमकर्ताओं की पिछड़े क्षेत्रों में जाने की अनिच्छा प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने हेतु उचित संस्थागत व्यवस्थाएं करने तथा इस प्रकार की कठिनाइयां दूर करने के प्रश्न पर जांच की जा रही है।

शोलापुर में प्रसारण केन्द्र की स्थापना

4168. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने शोलापुर में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के बारे में वहां के लोगों की पुरानी मांग पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख). सरकार को शोलापुर में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की मांग का ध्यान है। शोलापुर में आकाशवाणी का केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव बनाया गया था, किन्तु संसाधनों की कमी के कारण पांचवीं योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करना सम्भव नहीं हुआ है। धनराशि उपलब्ध होने पर भावी विकास योजनाओं में शामिल किए जाने के लिए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

4169. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा अपने प्रारम्भिक काल से किये गये कार्यों का मुख्य स्वरूप क्या है और इसने देश की आर्थिक प्रगति में किस प्रकार योगदान दिया है;

(ख) छोटे तथा मध्यस्तरीय उद्योगों के विकास में सहायता करने हेतु तकनीकी स्थानान्तरण के मामले में संस्थान की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रधान उद्योगों के विकास को तेज करने के बारे में इसका भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1961 में औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और सेवा के उद्देश्य से की गई थी। इसका पहला कार्य अपने नये शिक्षण कार्यक्रम के लिए अध्यापन संकाय का विकास करना था। यह कार्य पूरा हो जाने पर डिजाइनरों के लिए 1970 में व्यावसायिक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा संस्थान ने औद्योगिक डिजाइन के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अल्पकालिक एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम भी शुरू किये हैं। इसके साथ साथ संस्थान ने सरकार को सरकारी क्षेत्र के निगमों, उद्योगों (बड़े, मझौले और छोटे), क्राफ्ट क्षेत्र और ग्रामीण उद्योग के लिए परामर्श और डिजाइन सेवा भी प्रदान की है।

(ख) औद्योगिक डिजाइन (उत्पादों के डिजाइन फर्नीचर का डिजाइन, सिरेमिक डिजाइन और कपड़ों का डिजाइन) तैयार करने सम्बन्धी संस्थान का अधिकांश कार्य लघु और मझौले उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित है। हाल ही में दी गई ऐसी सहायता के उदाहरणों में निर्यात के लिए हैन्डलूमों का

विकास करना, बेत, बांस और लकड़ी के उत्कृष्ट फर्नीचर, वैद्युत उपकरण आदि सम्मिलित हैं। इस समय ग्रामीण विस्तार कार्यालयों में सहायता प्रदान करने के हेतु कृषि मन्त्रालय के साथ कार्य कर रहा है। संस्थान चमड़ा उत्पादों आदि के लिए डिजाइन का हस्तान्तरण करने हेतु राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मनेजमेंट, अहमदाबाद के साथ भी कार्य करता रहा है। संस्थान के डिजाइन सम्बन्धी कार्य को औद्योगिक डिजाइन समितियों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की मान्यता मिल चुकी है। यह पहला ही अवसर है जबकि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार का उद्देश्य विकासमान देशों में औद्योगिक डिजाइन कार्यों को बढ़ाना और उसे प्रोत्साहन देना तथा उत्पादों के डिजाइन और तरीके बताना है जिससे आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुधर सके। आई०सी० एस० आई० डी० द्वारा राष्ट्रीय संस्थान के डिजाइन कार्यों की की गई संवीक्षा में एक नया धूम्ररहित चूल्हा और फसल काटने के और कार्यकौशलवर्धक उपकरण शामिल हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार प्रदायक उद्योगों में सहायता सम्बन्धी भावी कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार अवसरों के साथ शिक्षा के सहबद्ध करने के राजस्थान के परीक्षणात्मक कार्यक्रम को अन्य राज्यों में बढ़ाना उत्तरपूर्व के कुछ राज्यों में शुरू की गई क्रेफ्ट प्रशिक्षण परियोजनाओं का विस्तार करना। फसल की कटाई करने वाले उपकरणों में सुधार लाने के लिए अनुसन्धान सेवाओं का विस्तार करना कृषीय अवशेषों आदि का पुनः उपयोग सम्मिलित है।

ट्रैक्टरों की अनुज्ञप्त क्षमता एवं उनकी मांग

4170. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अश्वशक्ति के ट्रैक्टरों की गत दो वर्षों में अनुज्ञप्त क्षमता क्या थी और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) ट्रैक्टरों की मांग 1982 तक कितनी हो जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) तकनीकी विकास का महानिदेशालय/मोटरगाड़ी तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर 1982–83 तक सम्भावित मांग 76,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की है।

क्र० सं०	लाइसेंस प्राप्त एकक का नाम	अ०श० रेंज	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	
			30–6–75 को	30–6–77 को
1.	मे० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, मद्रास	35 और 50	7000	7000
2.	मे० इंटरनेशनल ट्रैक्टर कम्पनी आफ इण्डिया लि०, बम्बई	35 और 44	10000	10000
3.	मे० एस्कार्ट्स लि०, फरीदाबाद	35	16000	16000
4.	मे० एस्कार्ट्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड, फरीदाबाद . .	46	6000	6000

क्र० सं०	लाइसेंस प्राप्त एकक का नाम	अ०श० रेंज	लाइसेंस प्राप्त क्षमता 30-6-75 को	लाइसेंस प्राप्त क्षमता 30-6-77 को
5.	मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा . .	50 और 35	7000	7000
6.	मे० आइशर ट्रैक्टर्स इण्डिया लि०, फरीदाबाद .	26.5	2000	2000
7.	मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, पिंजौर . .	25	12000	12000
8.	मे० किर्लोस्कर ट्रैक्टर लिमिटेड, नासिक . .	25 और 75	10000	10000
9.	मे० पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, चण्डीगढ़ . .	25 और 35	12000	12000
10.	मे० हर्षा ट्रैक्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली . .	25	10000	10000
11.	मे० पित्ती टूल्स प्रा० लि०, पूना . . .	37	10000	10000
12.	मे० प्रीमियर इरीगेशन इक्विपमेंट लिमिटेड, कलकत्ता .	55	5000	कुछ नहीं (कार्यान्वित न किये जाने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिये गये)
13.	मे० आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, लखनऊ . .	25	12000	12000*
14.	मे० यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर्स लि०, हैदराबाद .	45 और 65	5000	5000*
15.	मे० परफैक्ट ट्रैक्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली . .	32	5000	कुछ नहीं (कार्यान्वित न किये जाने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिये गये)।
		. योग	1,29000	1,19000

* उत्पादन नहीं हो रहा है।

फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता

4171. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी फिल्म इसलिये नहीं बन पाती है कि फिल्म निर्माताओं के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती और उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर लोगों से धनराशि लेनी पड़ती है; और

(ख) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख). देश में बनने वाली फिल्मों की संख्या पिछले वर्षों में प्रगामी रूप से बढ़ी है । फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 1974–76 के तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या क्रमश: 435, 475 और 507 थी । इनमें से कुछ फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा भी प्राप्त की है । अत: यह कहना सही नहीं होगा कि अच्छे स्तर की फिल्में भारत में नहीं बनाई जाती ।

तथापि, अच्छे स्तर की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 1960 में फिल्म वित्त निगम की स्थापना की । निगम, फिल्म निर्माताओं को अच्छी स्क्रिप्ट और तकनीकी प्रतिभा के आधार पर अल्प ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है । निगम द्वारा वित्त पोषित अनेक फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की है ।

गुजरात में आदिवासी क्षेत्र

4172. **श्री अहमद एम० पटेल**: क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में भड़ौंच जिले के उन तालुकों के नाम क्या हैं जिनको आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या गुजरात राज्य सरकार द्वारा आदिवासी उप-योजना में अंकलेश्वर के कुछ और गांवों को शामिल करने के लिए कोई नया प्रस्ताव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहमंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) भड़ौंच जिले के देदयापाडा, सगबारा, वालिया, नंदोद तथा झागडिया तालुक गुजरात के आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं ।

(ख) और (ग). गुजरात सरकार ने आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में अंकलेश्वर तालुक के एक आदिवासी स्थल को शामिल करने का प्रस्ताव किया । यह स्थल उप योजना क्षेत्र के भीतर नहीं है बल्कि उसके साथ लगी है, तथा अंकलेश्वर तालुक जिसमें यह स्थल आता है, में 50 प्रतिशत से कम आदिवासी जनसंख्या है जो उप-योजना में शामिल करने के लिए एक मानक है । अत: गुजरात सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है ।

अंकलेश्वर में उद्योग स्थापित करने के लिये राजसहायता

4173. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में अंकलेश्वर औद्योगिक बस्ती में उद्योग स्थापित करने के लिये राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई राजसहायता दी जा रही; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) चूंकि अंकलेश्वर औद्योगिक बस्ती पिछड़े जिले में है जो केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त करने के लिये पात्र है, बस्ती के औद्योगिक एककों को भूमि, भवन, सन्यन्त्र तथा मशीनों पर किए गये निवेश पर 15 प्रतिशत तक पूंजीगत राजसहायता मिलती है । लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद से मिली सूचना के अनुसार अंकलेश्वर औद्योगिक बस्ती के उद्योगों के लिये राज्य सरकार की कोई विशेष राजसहायता योजना नहीं है ।

(ख) अंकलेश्वर औद्योगिक बस्ती के 100 रजिस्टर्ड एककों में से 22 के लिये 26-8-71 से 10-7-77 की अवधि के बीच कुल मिला कर 65.7 लाख रुपये की पूंजीगत राजसहायता स्वीकृत की गई है ।

गुजरात में जनजातियों का उत्थान

4174. **श्री अहमद एम० पटेल** क्या : **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां अधिकांश जनजाति के लोग रह रहे हैं; और

(ख) उक्त क्षेत्रों में जनजातियों के उत्थान के लिये क्या मुख्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) गुजरात के अधिकांश आदिवासी साबरकन्ठा, बड़ौदश, पंचमहल, भड़ौंच, सूरत, वत्साड़ और डांग के सात जिलों में रह रहे हैं ।

(ख) इन जिलों के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए एक आदिवासी उप-योजना तैयार की गई है ।

उप योजना क्षेत्र को नौ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है जिनके लिए विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के अधीन विशिष्ट विकास कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ।

पांचवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात के उप-योजना क्षेत्र के लिए राज्य योजना धनराशि में से 84.06 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 16.28 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय होगा ।

अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाओं में मैट्रिकोत्तर तथा स्कूल स्तरों पर शैक्षिक छात्रवृत्तियां, कृषि निवेश कुओं आदि के लिए आर्थिक सहायता देना शामिल है । शोषण समाप्त करने के लिए भी विशेष प्रयास किये जाते हैं ।

गुजरात में कारखानों का बंद होना

4175. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गत तीन वर्षों में कोई कारखाने बन्द हुए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें फिर से चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस): (क) से (ग). सूचना इकटठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

धनबाद कोयला खानों में हरिजन, आदिवासी तथा दलित वर्ग के श्रमिकों की संख्या

4176. **श्री ए० के० राय** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के समय धनबाद जिले (बिहार) की कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयला खानों में कितने हरिजन आदिवासी तथा दलित वर्ग के लोग रोजगार पर लगे थे;

(ख) वर्ष 1974, 1975, 1976, तथा 1977 के जनवरी माह में इनकी संख्या कितनी-कितनी रही;

(ग) क्या अधिग्रहण के पश्चात कोयला खानों में दुर्बल वर्ग के लोगों की संख्या निरन्तर कम हुई है;

(घ) क्या धनबाद के उपायुक्त श्री के० बी० सक्सेना ने वर्ष 1975 में बी० सी० सी० एल० तथा सी० एम० ए० एल० के प्रबन्धकों के विरुद्ध खुला प्रेस सम्मेलन बुलाया था और सरकार को उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुए एक नोट दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार दुर्बल वर्ग के लोगों को अधिग्रहण के समय का प्रतिशतता में रोजगार दिलानें के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विकास

4177. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कल्याण योजनाएं उड़ीसा की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पिछड़े क्षेत्र में शामिल की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए 1977-78 के लिए 19.30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और कार्यक्रम-वार आवंटन तथा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष इस प्रकार हैं :—

योजना का नाम	1977-78 वर्ष के लिए आवंटन (रु० लाख में)	वर्ष 1977-78 के भौतिक लक्ष्य
(1) क्षेत्र विकास योजना-भूमि सुधार कृषि निवेश सहायता।	2.25	दो परियोजनाएं जारी रखना तथा एक नयी ऐसी योजना शुरू करना।
(2) हस्तकलाओं तथा कुटीर उद्योग तथा स्वतः रोजगार योजना के लिए सहायता।	0.65	120 परिवार लाभान्वित होंगे।
(3) शार्टहैंड तथा टाइपिंग में प्रशिक्षण सहित औद्योगिक प्रशिक्षण।	1.50	300 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित होंगे।
(4) छात्रवृत्तियां	9.00	68,500 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित होंगे
(5) पठन तथा लेखन सामग्री	5.00	
(6) छात्रावास का निर्माण	0.90	6 अधूरे छात्रावासों को पूरा करना।
जोड़ . . .	19.30	

इसके अतिरिक्त, 84.92 लाख रुपए अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित किए गए हैं। उड़ीसा में एक आदिवासी उपयोजना तैयार की गयी है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं। उप योजना में शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम शामिल हैं। उप योजना क्षेत्र 23 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अब तक 19 परियोजनाएं तैयार की हैं, जो भारत सरकार द्वारा सामान्यतः अनुमोदित कर दी गयी हैं। राज्य सरकार से शेष चार क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं भेजने का अनुरोध किया गया है।

अस्पृश्यता निवारण

4178. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) गांवों में इस कार्यक्रम की क्रियान्वित में क्या कठिनाइयां आ रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) तथा (ख). अस्पृश्यता की प्रथा को रोकने के लिए 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के अनुसरण में राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये है कि अस्पृश्यता समाप्त होने से मिलने वाले अधिकार उपलब्ध कराये जाये और अस्पृश्यता से प्रभावित व्यक्ति उनका उपयोग कर सकें। समाज के सभी वर्गों में सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध प्रसार तथा प्रचार के लिए जनसम्पर्क के साधनों तथा स्वयं सेवी संगठनों की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास योजनाओं से भी अस्पृश्यता हटाने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है। राज्य सरकारों से प्राथमिक आधार पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को पूरी तरह कार्यरूप देने का अनुरोध किया गया है।

पीपावाव पत्तन के निकट सीमेंट उद्योग

4179. **श्री अनन्त दवे**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपावाव पत्तन के निकट सीमेंट उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1978–79 में पत्तन की आय 12.36 लाख रुपये और वर्ष 1983–84 में 22.42 लाख रुपए होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) और (ख); पीपावाव को आमतौर से विक्टर अथवा जफराबाद पत्तन के नाम से जाना जाता है। इस समय यह केवल अच्छे मौसम में काम आने वाला एक पत्तन है। गुजरात सरकार इस छोटे से पत्तन का विकास करने पर विचार कर रही है।

गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम को जफराबाद में प्रतिवर्ष 5 लाख मी० टन पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट का निर्माण करने की क्षमता का एक सीमेन्ट संयंत्र लगाने के लिए नवम्बर, 1971 में एक आंशय पत्र मंजूर किया गया था। चूंकि आशयपत्र के क्रियान्वयन में कोई भी प्रगति नहीं की गई थी अत: इसे व्ययगत मान लिया गया है।

श्री डी० एल० चौगुले नामक व्यति को भी बेरावल में 4 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता का एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है। इस संयंत्र को वेरावल से जफराबाद में लगाने का उनका निवेदन स्वीकार कर लिया गया है। औद्योगिक लाइसेंस 31 दिसम्बर, 1977 तक वैध है।

भारत सरकार को इस पत्तन से होने वाली आय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।

ग्रामीणों के लिये उन्नत तकनीकी

4180. **श्री जी० वाई० कृष्ण** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा ग्रामीण लोगों की सहायता तथा सुविधाओं की पेशकश पर एक अथवा दो प्रतिशत ग्रामवासी ही एकाधिकार कर लेते है ;

(ख) क्या सरकार कृषि तथा अन्य ग्रामीण व्यवसायों को लाभप्रद बनाने हेतु तकनीकी में सुधार करने की आवश्यकता का विस्तार करना चाहेगी क्योंकि वर्तमान ऋण सुविधाएं सामान्यतया सहायक सिद्ध नहीं हुई हैं और बहुत से मामलों में शोषण के साधन भी देखने में आए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थानीय अनुभव तथा समस्याओं को अन्य परियोजनाओं तथा काम रखने वाले व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए नियमित जानकारी के लिए प्रबन्ध करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) सरकार को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि सहायता तथा सरकारी व गैरसरकारी अभिकरणों दवारा ग्रामीणों को दी गई सुविधाओं पर एक या दो प्रतिशत ग्रामीण एकाधिकार रखते हैं ।

(ख) और (ग), सरकार ग्रामीण तथा ग्रामोद्योगों को इस प्रकार से संगठित करना चाहेगी कि स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिये अधिकतम सीमा तक स्थानीय साधनों का उपयोग किया जा सके और क्रयशक्ति बड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बहुसंख्यक लोगों में इसे फैलाया जा सके। सरकार का यह प्रयत्न भी होगा कि उन्नत तकनोलाजी गांवों के कारीगरों तक पहुंच सके और कुटीर, ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के काम में लगे अन्य लोगों तक सफल अनुभवों की सूचना पहुंचाई जा सके ।

मिनी बसों के परिमिट

4181. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1976 में मिनी बस चलाने के लिये कुछ परिमिट दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इससे दिल्ली में और अधिक भीड़भाड़ तथा यातायात में कठिनाई होती है, और

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी में जनपरिवहन सुविधाओं के लिये केवल पहले ही चल रही तथा बड़ी बसों के संचालन की अनुमति देने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी, हां । राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली ने वर्ष 1976 में दिल्ली परिवहन निगम को मिनी बसों के लिये 242 अस्थायी परिमिट स्वीकृत किये थे ।

(ख) और (ग), दिल्ली में इस समय चल रही मिनी बसों की कुल संख्या 353 है जबकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्टर्ड सभी श्रेणियों की मोटर गाड़ियों की संख्या 389,182 है । दिल्ली में चलने वाली कुछ मिनी बसें सड़कों पर यातायात की भीड़ का कारण नहीं कही जा सकतीं ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

4182. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में 1 जून, 1977 को सीधे भर्ती किये हुये भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी कार्य कर रहे थे ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यवार उनके जन्म-स्थान वाले राज्य में नियुक्त किया गया है ; और

(ग) अधिकारी को उसके जन्म-स्थान वाले राज्य में नियुक्त करने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान रखा जाता है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) राज्य संवर्गों तथा संयुक्त संवर्गों में सेवा के सदस्यों के आबंटन के सिद्धान्तों को, जिनमें किसी अधिकारी का उसके जन्म स्थान वाले राज्य में आबंटित करने से संबंधित सिद्धान्त भी शामिल है, इस विभाग की वर्ष 1976–77 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित कर दिया गया है । रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं ।

विवरण

1–6–1977 की राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीधे भर्ती किए गए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और अपने ही राज्यों में आवंटित अधिकारियों की संख्या ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1–6–77 को सीधी भर्ती वाले अधिकारियों की संख्या	अपने जन्म स्थान वाले राज्य में आवंटित सीधी भर्ती वाले अधिकारियों की सं०
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	196	85
2.	असम-मेघालय	100	25
3.	बिहार	212	85
4.	गुजरात	145	15
5.	हरियाणा	96	23
6.	हिमाचल प्रदेश	61	14
7.	जम्मू व कश्मीर	50	14
8.	कर्नाटक	140	56
9.	केरल	89	46
10.	मध्य प्रदेश	212	34
11.	महाराष्ट्र	223	72
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	43	14
13.	नागालैंड	27	12
14.	उड़ीसा	134	58
15.	पंजाब	110	64

1	2	3	4
16.	राजस्थान	134	49
17.	तमिलनाडु	175	99
18.	संघ राज्य क्षेत्र	105	38
19.	उत्तर प्रदेश . .	289	172
20.	पश्चिमी बंगाल . . .	185	97

दिल्ली नगर निगम द्वारा अर्जित किये गये अहातों का खाली किया जाना

4185. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम को यह निदेश दिये हैं कि दिल्ली नगर निगम द्वारा अर्जित किये गये ऐसे आहातों को तुरन्त खाली कर दिया जाये जिनके मालिक विधवा निराश्रित हैं ;

(ख) दिल्ली नगर निगम में अभी तक अनिर्णित पड़े तथा अभी तक खाली न किये गये अहातों की संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे मामलों में कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सभी मामलों का निपटान कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार निगम के पास एक विधवा का प्रार्थना पत्र उसकी सम्पति खाली करने के बारे में अनिर्णित पड़ा है । निगम ने प्रार्थी से उसकी सभी सम्पत्तियों के बारे में ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया है ताकि निर्णय लिया जा सके ।

Atomic Power Plants

4184. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the State-wise number of atomic energy plants in the country at present ;

(b) the number of atomic energy plants being set up and the locations thereof ;

(c) the number of atomic energy plants proposed to be set up during the coming years and the locations thereof ; and

(d) the target fixed by Government in regard to atomic energy production in the country ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) At present the Tarapur Atomic Power Station in Maharashtra and the first unit of the Rajasthan Atomic Power Station in Rajasthan are in operation ;

(b) and (c). The following Table gives the commissioning schedule of the atomic power stations for which outlays have been included in the Fifth Five Year Plan :—

Station	Capacity	Location	Expected date of commissioning
1. Rajasthan Atomic Power Station—Unit II	200 MWe	Rana Pratap Sagar in Rajasthan.	End 1977
2. Madras Atomic Power Station—Unit I.	235 MWe	Kalpakkam in Tamil Nadu.	1979
3. Madras Atomic Power Station—Unit II.	235 MWe	Kalpakkam in Tamil Nadu.	1981
4. Narora Atomic Power Station—Unit I.	235 MWe	Narora in Uttar Pradesh.	1982
5. Narora Atomic Power Station—Unit II	235 MWe	Narora in Uttar Pradesh.	1983

Preliminary action to set up one more atomic power station in the Western Electricity Region is also proposed to be taken up in the current Five Year Plan period ; and

(d) A total nuclear power generation capacity of 1.68 Million KW is expected to be achieved by 1983-84 and 6 million KW by 1990-91 according to current estimates.

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या

4185. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकारों में काम करने वाले भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०-774/77]

(ग) सांविधिक नियमों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा की सीधी भर्ती की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण है। तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में आरक्षण किये जाते हैं। आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार विभिन्न राज्य संवर्गों

में यथानुपात आबंटित किये जाते हैं। चूंकि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों की उपलब्धता में वास्तव में कोई कमी नहीं हुई है, अत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का अनुपात निर्धारित प्रतिशतताओं के अनुसार है। इसलिए राज्य संवर्गों में उनके अनुपात को बढ़ाने के लिए किसी विशेष कदम के उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सम्बलपुर आकाशवाणी केन्द्र से पश्चिम उड़ीसा के स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण

4186. **श्री गणनाथ प्रधान**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी का सम्बलपुर केन्द्र के पश्चिम उड़ीसा के पूर्ण रूपेण केन्द्र के होते हुए भी पश्चिम उड़ीसा के स्थानीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अधिक समय क्यों नहीं दिया जाता; और

(ख) वर्तमान सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी): (क) सम्बलपुर रेडियो स्टेशन पूर्णरूपेण रेडियो स्टेशन नहीं है। यह एक सहायक केन्द्र है। यह आकाशवाणी के कटक और दिल्ली केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को रिले करता है। यह मूल रूप से प्रतिदिन केवल 90 मिनट की अवधि के ही कार्यक्रम प्रसारित करता है। जब यह मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाला पूर्णरूपेण केन्द्र बन जायेगा तब इसके लिए अधिक स्थानीय कार्यक्रम प्रसारित करना सम्भव हो सकेगा।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण सम्बलपुर में आकाशवाणी के स्थायी स्टूडियो उपलब्ध करना सम्भव नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इस केन्द्र पर स्थायी स्टूडियो का निर्माण छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जायेगा। इससे यह केन्द्र मूल रूप से अधिक कार्यक्रम प्रसारित कर सकेगा।

वाराणसी में अवैध हथियार बनाने के कारखाने

4187. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जून, 1977 को वाराणसी में अवैध आग्नेय हथियार बनाने वाले दो भूमिगत कारखानों का पता लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसके प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

जोरबाग, नई दिल्ली में त्यागी गई डिप्लोमेटिक कार

4188. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी के जोरबाग क्षेत्र में त्यागी गई उस डिप्लोमेटिक कार के मामले की ओर दिलाया गया है जिसमें 30 लाख रुपये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या त्यागी गई कार इस समय पुलिस के कब्जे में है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस को ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू कार्यक्रम के पारेषण में गड़बड़

4189. **श्री रशोद मसूद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिडीयम और शार्ट वेव पर पारेषण में गड़बड़ के कारण भारतीय श्रोताओं को उर्दू सर्विस का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाता है;

(ख) क्या "पक्का राग" जिसका उर्दू के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है रात के समय 23.05 बजे के बाद अधिकांश समय ले लेता है; और

(ग) पारेषण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि गलत न सुनाई दे और कोई गड़बड़ न हो तथा कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि यह उर्दू के सामान्य श्रोताओं के लिए अधिक सार्थक और आकर्षक हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) प्राथमिक सेवा क्षेत्र से मीडियम वेव ट्रांसमिटरों पर नियमित श्रवण रिपोर्टें नहीं हैं। तथापि, भारतीय श्रोताओं से प्रति मास प्राप्त लगभग 12,000 पत्रों को सन्तोषजनक श्रवण का सूचक माना जा सकता है। जहां तक शार्ट वेव आवृत्तियों पर श्रवण का सम्बन्ध है, श्रीनगर, जम्मू, जालन्धर और लखनऊ जैसे कुछ केन्द्रों की तकनीकी श्रवण रिपोर्टों से यह पता चलता है कि विभिन्न पारेषणों में श्रवण सामान्यतया साफ है।

(ख) शास्त्रीय संगीत, उर्दू सेवा के अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भांति, कार्यक्रम ढांचे का अंग होता है, और वह भारतीय संगीत की सम्पन्न परम्परा को प्रतिबिम्बित करता है।

(ग) ट्रांसमिटरों की शक्ति बढ़ाने से पारेषण में और सुधार किया जा सकता है और सेवा क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। यह संसाधनों के उपलब्ध होने पर ही संभव हो सकेगा। जहां तक कार्यक्रमों की पुनः रचना का सम्बन्ध है, कार्यक्रमों की योजना उपमहाद्वीप के उर्दू के सामान्य श्रोताओं को ध्यान में रखते हुई बनाई जाती है।

Funds for National Highways in Bihar

4190. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Central Government have sanctioned some funds to Bihar in the current year for national highways ;

(b) if so, the amount thereof and the number of incomplete national highways which are to be completed thereby ; and

(c) when these are likely to be completed ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Yes , Sir.

(b) & (c). A sum of Rs. 235 lakhs was allocated to the Government of Bihar for expenditure on National Highways (Original) works during four months' period from 1st April, 1977 to 31st July, 1977 covered by the Vote on Account and a sum of Rs. 140·32 lakhs has so far been released for maintenance. For the remaining period of the current year, allocation will be made after the Budget for the current year is passed.

Bihar has 9 National Highways , Nos. 2, 6, 23, 28, 28A, 30, 31, 32 and 33. Of these, National Highway No. 6 is already to the required standard. On 7 out of the remaining 8, except No. 23, a number of development works for improvement of their standard including double laning, reconstruction of some bridges, construction of bye passes, railway overbridges, etc. have been sanctioned since the beginning of the Fourth Five Year Plan for a total sum of Rs. 40·43 crores, of which some works have been completed already and some are in progress and expected to be completed, funds permitting, by the end of the 5th Plan period National Highways No. 23 was added to the National Highway System in March, 1972.

Consumption of Energy in the Country

4191. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the consumption of energy in the country at present ;

(b) the shortage thereof and the expenditure incurred by Government every year for making up this shortage ; and

(c) when the country is likely to become self-sufficient in it ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The total consumption of energy in the country at the consumers and during 1976-77 was about 72,335 million units.

(b) There was a shortage of about 5124 million units during 1976-77. No reliable estimate of the expenditure incurred for making up this shortage is available.

(c) Efforts are being made to commission additional hydro and thermal power stations to meet the rising load demand in the country. While planning for additional generating capacity, the anticipated peak demand and energy requirements by 1983-84 are being kept in view. It is hoped to achieve self-sufficiency by the end of the VIth Five Year Plan.

कलाई की घड़ियों की कीमतें

4192. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित कलाई की घड़ियों की कीमतें हाल में बढ़ाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस): (क) और (ख). कलाई घड़ियों के उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी और पुर्जों के आयात शुल्क में कमी करने सम्बन्धी बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप हिमटू ने 22 जून, 1977 से कलाई घड़ियों के मूल्यों में संशोधन किया है। संशोधन करने से कुछ ब्रांड की हिमटू घड़ियों के मूल्य कम हुए हैं और कुछ के मूल्य बढ़े हैं।

Pension to Ex-Servicemen

4193. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reconsider the pension paid to the ex-servicemen ; and

(b) if so, the details of the scheme likely to be made in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir. The rates of pension were revised recently in 1975 for personnel below Officer rank and in 1976/77 for Officers. The revised rates are applicable to all Service personnel who became non-effective on or after 1-1-1973.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकारी अधिकारियों के रूप में कथित घुसपैठ

4194. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरकारी अधिकारियों, विश्व-विद्यालय परिसरों तथा जन संचार के सरकारी साधनों में घुसपैठ के योजनाबद्ध प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस खतरनाक उद्देश्य को असफल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को सरकारी अधिकारियों के पदों तथा विश्वविद्यालयों के परिसरों में घुसपैठ करने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा किसी प्रकार के योजनाबद्ध प्रयासों की जानकारी नहीं है। तथापि, आदेश हैं जिनमें व्यवस्था की गई है कि कोई सरकारी कर्मचारी, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा उसकी गतिविधियों से सम्बद्ध है, के विरुद्ध उस पर लागू होने वाले आचरण नियमों के अन्तर्गत अनुशानात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

4195. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निम्न आय समूह के लोगों के लिए जनता सिनेमा घर

4196. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निम्न आय समूह के लोगों के लिए जनता सिनेमा घर बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख). सिनेमा राज्य विषय है। तथापि इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से यह सिफारिश की है कि वे अपने सिनेमा निर्माण विनियमों में संशोधन करें ताकि निम्न आय समूह के लोगों के लाभ के लिए छोटे सिनेमाघरों का निर्माण हो सके। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार के सिनेमाघरों में, बालकनी के बिना, हाल में 500 व्यक्तियों के बैठने की जगह हो और वातानुकूलन जैसी खर्चीली बातों; कार ठहराने के लिए पर्याप्त स्थान, जोनों, गलियारों, आदि की चौड़ाई जैसे वास्तु डिजाइनों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

अन्तर्राज्यीय विवादों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

4197. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अन्तर्राज्यीय विवाद राष्ट्रीय एकता के महान उद्देश्य के विरूद्ध वर्षों से बाधक बने हुए हैं;

(ख) क्या सीमा विवाद, जल विवाद और अन्य विवादों जैसे अन्तर्राज्जीय विवादों का समाधान करने के लिए सांविधिक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को संविधान में नया अनुच्छेद या खंड शामिल करके संविधान के उपबन्धों में आवश्यक परिवर्तन करके सांविधिक अधिकार दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान करने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (ड़) . विभिन्न मामलों से संबंधित कई अन्तर्राज्यीय विवाद अनिर्णीत पड़े है। अन्तर्राज्यीय विवदों के सम्पूर्ण प्रश्न वर्तमान सपकार द्वारा अभी पुनरीक्षित किए जाने है और संबंधित राज्यों के परामर्म प्रत्येक मामले में उचित कारवाई की जाएगी। फिलहाल सांविधिक न्यायधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

विभिन्न संगठनों के अतिशय उत्साह से उपाय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच

4199. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य ऐसे ही संगठनों के उन अधिकारियों और व्यक्तियों के बारे में विभागीय जांच कराई गई है अथवा कराई जाएगी जिन्होंने भूतपूर्व कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों को लागू करने के लिए अतिशय उत्साह से उपाय किए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा ऐसी जांच के निष्कर्षों की सामान्य बातें क्या है;

(ग) क्या इन जांचों के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को समयपूर्व सेवानिवृत्त पदावनत अथवा स्थानान्तरित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन दोषी अधिकारियों अथवा व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). अभी तक कोई विभागीय जांच आरम्भ नहीं की गई है, परन्तु जब कभी विशेष मामले ध्यान में आयेंगे, तो कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

चार्ल्स शोभराज के मामले में मुखबिरों द्वारा आत्महत्या का प्रयास

4200. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी तथा षडयंत्र के मामलें में, जिसमें चार्ल्स शोभराज अभियुक्त है, दो महिला मुखबिरों द्वारा आत्महत्या करने के कथित प्रयास की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). इस मामले के बारे में पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी की गई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

Permits for Public Carriers in the country

4201. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the State-wise number of national permits issued for the operation of public carriers in the country and the number of persons given such permits in Gujarat ;

(b) the number of persons of Gujarat whose applications for issue of permits were pending on 1st April, 1977 and the reasons therefor and when they would be issued permit ; and

(c) whether there is any policy in regard to issue of national permits for public carriers; if so, the details thereof ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). A Statement giving the information required is laid on the Table of the House.

Statement-I

(a) & (c). A scheme for grant of national permits for public carriers (trucks plying for hire) was introduced in 1975. It provides for the grant of national permits for such vehicles by each State and Union Territory upto the number specified by the Central Government for the State/Union Territory. A vehicle covered by a national permit can operate throughout the country, subject to within a minimum of four contiguous States, besides the "home" State. While all the taxes due in respect of a truck in the "home" State and an "authorisation fee" of Rs. 500 per vehicle per annum will be paid to the State, a "composite fee" of Rs. 700/- per vehicle annum and Rs. 150 per vehicle per annum for each other State and Union Territory respectively will also be paid in the "home" State itself.

Originally, a ceiling of 5,300 national permits was fixed for the entire country on the basis of the number of trucks in the States. This was increased to 8050 in December, 1976. In doing so, a weightage of 50 permits has been given to States which are not adequately served by Railways (Assam, Himachal Pradesh and J & K).

The number of national permits issued by the States (including Gujarat) and Union Territories is shown in the annexed statement.

Information in regard to the number of persons, who have been granted these permits in Gujarat, is being collected from the State Govt. and will be laid on the Table of the Sabha, when it is received.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, when it is received.

Statement—II

Sl. No.	Name of State/Union Territory	No. of National permits issued
1.	Andhra Pradesh	219
2.	Assam	76
3.	Bihar	254
4.	Gujarat	250
5.	Haryana	278
6.	Himachal Pradesh	200
7.	Jammu & Kashmir	185
8.	Kerala	240
9.	Madhya Pradesh	250
10.	Maharashtra	189
11.	Meghalaya	20
12.	Karnataka	277

Sl. No.	Name of State/Union Territory	No. of National permits issued
13.	Nagaland	5
14.	Orissa	315
15.	Punjab	384
16.	Rajasthan	240
17.	Tamil Nadu	220
18.	Uttar Pradesh	233
19.	West Bengal	419
20.	Chandigarh	45
21.	Dadra & Nagar Haveli	—
22.	Delhi	192
23.	Goa, Daman & Diu	19
24.	Manipur	9
25.	Pondicherry	40
26.	Tripura	26
27.	Arunachal Pradesh	1
28.	Mizoram	2
	TOTAL	4588

उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता जज

4202. **श्री एस० आर० दामाणी :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-77 को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को विभिन्न विद्यमान मुख्य उद्योगों में कितनी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी थी ?

(ख) मात्रा तथा मूल्य के हिसाब से उत्पादन में कितनी हानि हुई; और

(ग) इस के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख). तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज चुने हुए उद्योगों की वर्ष 1976-77 के अन्त की अधिष्ठापित क्षमता, क्षमता उपयोग और उत्पादन में हुई हानि (अथवा लाभ) का प्रतिशत बताने वाला एक विवरण संलग्न अनुबन्ध के रूप में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-775/77]** अधिकांश मामलों में उत्पादन में हुई हानि को मूल्य के अनुसार आंकलित कर पाना कठिन है।

(ग) कुछ उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वर्ष 1976–77 में अतिरिक्त क्षमता में वर्ष 1976–77 में अतिरिक्त क्षमता के फलीभूत होने के कारण जिसके अनुपात में उत्पादन नहीं किया जा सका गिरावट आई है। नई क्षमता के उत्पादन शील होने में अभी कुछ और समय लगेगा। उत्पादन में गिरावट आने का एक अन्य प्रमुख कारण वर्ष के अन्त में कुछ राज्यों में बिजली पर नियंत्रण रहा है। फिर भी, इन्जीनियरी और अधिकांश अन्य उद्योगों में अनुकूलतम उत्पादन जिसकी आशा की जा सकती है, 75% से 80% के बीच रहा है।

अण्डमान द्वीप समूह के 'जखा' जनजाति द्वारा मारे गये व्यक्ति

4203. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान द्वीप समूह में विद्रोही 'जखा' जनजाति द्वारा पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को कोई सहायता दी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान में विद्रोही जखा जनजाति द्वारा की गई ऐसी घटनाओं और हत्याओं की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान। 20 अप्रैल, 1977 को 6 व्यक्ति जखा आदिवासी आरक्षित क्षेत्र, जहां बिना अनुमति के प्रवेश पर कानूनी प्रतिबन्ध है, में घुस गए थे और उनमें से 5 व्यक्ति जखाओं द्वारा मारे गए थे। एक मात्र जीवित बचे व्यक्ति ने 8 दिन बाद पुलिस अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट की।

(ख) शोक संतप्त परिवारों के किसी सदस्य ने अभी तक अण्डमान व निकोबार प्रशासन से सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है। यदि ऐसे अनुरोध प्राप्त होंगे तो स्थानीय प्रशासन द्वारा उन पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) 1975 में 5 घटनाएं जिनमें जखाओं द्वारा दो व्यक्ति मार दिए गए थे और एक को वे उठाकर ले गए थे। 1976 में फिर 5 घटनाएं हुईं जिनमें एक व्यक्ति मारा गया। 1977 में 15 जुलाई, 1977 तक दो घटनाएं हुई हैं जिनमें 6 व्यक्ति मारे गए हैं।

भारतीय राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड में विदेशी नौकाएं

4204. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारतीय राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड में बहुत सी विदेशी नौकाएं आती हैं, यदि हां, तो उनमें से कितनी पकड़ी गई हैं;

(ख) क्या पकड़ी गई नौकाएं जब्त की जाती हैं; और

(ग) क्या अनेक नौकाएं पोर्ट ब्लेअर में मेरीन गोदी के पास खराब हो रही हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क). प्राय: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारतीय राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड में विदेशी नौकाएं दिखाई देती हैं। किन्तु इनकी संख्या अधिक नहीं है। 1976 के दौरान केवल 4 विदेशी नौकाएं दिखाई दी थीं। किन्तु इस वर्ष 3 जून, 1977 तक संख्या 21 नौकाएं हो ग: हैं। इस वर्ष 3 नौकाएं दिखाई दी थीं जिन्हें पकड़ लिया गया है।

(ख) कोई नौका जब्त नहीं की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। दो मछली पकड़ने वाले जलयानों को जब्त करने की कार्यवाई की जा रही है।

Drinking Water arrangements at D. T. C. Bus Stops

†4205. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal from Delhi Transport Corporation for making drinking water arrangement at main bus stops ; and

(b) if so, broad facts in regard thereto ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Cement Factories in Rajasthan

4206. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of cement factories in Rajasthan and the locations thereof ;

(b) whether most of the cement factories are working below their capacity and there is shortage of cement in the market ; and

(c) if so, action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (c). There are 5 units in Rajasthan engaged in the manufacture of cement with a total installed capacity of 2·26 million tonnes per annum. Their locations are Lakheri, Chittorgarh, Sawaimadhopur, Nimbahera and Udaipur. Their average capacity utilisation during the period April to June. 1977 is in the range of 75% to 106%. Lower capacity utilisation by some of these units has been due to labour trouble, power cuts and mechanical troubles.

State Governments, where power cuts are in force, were requested to make more power available to the cement industry. The Government Departments/Public Sector undertakings were also requested to stagger their demand to enable more cement being made available in the market for the public. Besides, Government have also allowed the factory at Nimbahera to expand their capacity by another 4·2 lakh tonnes per annum. A new factory at Morak for a capacity of 4·0 lakh tonnes per annum has also been approved.

कोंकण लाइन (बंबई गोआ) का समुद्र परिवहन

4208. **श्री बापू साहिब परुलेकर : : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण लाइन (बंबई-गोआ) के समुद्री परिवहन का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था;

(ख) क्या यात्रा का किराया प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाता है और यदि हां, तो इस वृद्धि का अनुपात क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व किराए की तुलना में किराए में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या इस लाइन पर केवल दो जहाज चलते हैं जिससे इस लाइन पर बहुत से छोटे और बड़े भाग में गत दो वर्षों में जहाज नहीं आते हैं, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बढ़ते हुए परिचालनात्मक लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए निम्न प्रकार से भाड़ा में वृद्धि करनी पड़ी :—

वर्ष	वृद्धि की गई
नवम्बर, 1973 . . .	30 प्रतिशत
अप्रैल, 1974	10 प्रतिशत
नवम्बर, 1974	60 प्रतिशत

परंतु, मई, 1975 में समीक्षा करने के बाद, भाड़े के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया और लगभग 14.5 प्रतिशत तक की कटौती की गई । बम्बई से कोंकण के सभी पत्तनों तक निम्न डेक श्रेणी भाड़े आज भी राज्य परिवहन बस सेवा के भाड़ों से कम हैं ।

(घ) इस मार्ग पर केवल दो जहाज चलते हैं । मार्ग में जिन पत्तनों पर इन जहाजों को जाना होता है उसका निश्चित संबंधित राज्य सरकारों को करना होता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के पिछले प्रशासन के विरुद्ध आरोप

4209. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या सरकार को गत चार महीनों में दिल्ली के पिछले कांग्रेस प्रशासन के विरुद्ध आरोप पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद, कार्यकारी पार्षद तथा दिल्ली की विभिन्न एजेन्सियों जैसे नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम तथा दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के दो ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए हैं। दोषारोपों की छानबीन की जा रही है।

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल-निस्सारण संस्थान, 'डेसू', दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मारुति से की गई खरीद

4210. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल-निस्सारण संस्थान, 'डेसू' तथा दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मारुति लिमिटेड, मारुति हैवी वेहीकल्स तथा मारुति टैक्नीकल्स से की गई खरीद का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन खरीदों में क्या-क्या अनियमितायें थीं ;

(ग) सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं ;

(घ) क्या किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित खरीद की गई थी :—

(1) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल-निस्सारण संस्थान ने मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि० से 96,350 कि० ग्रा० क्विक फ्लाक पालिमिक्स खरीदा।

(2) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि० से 600 कि० ग्रा० क्विक फ्लाक पोलिमिक्स खरीदा।

(3) दिल्ली नगर निगम ने मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि० से 100 कि० ग्रा० क्विक फ्लाक पोलिमिक्स खरीदा।

(4) दिल्ली नगर निगम ने मारुति हैवी वेहीकल्स (प्रा०) लि० के विक्रेता एजेन्ट मैसर्स जालान मोदी ऑटोमोबाइल्स से 3 मारुति ब्रान्ड रोड रोलर खरीदें।

(5) नई दिल्ली नगर पालिका ने मारुति हैवी वेहीकल्स (प्रा०) लि० के विक्रेता एजेन्ट मैसर्स जालान मोदी ऑटोमोबाइल्स से 3 मारुति ब्रान्ड रोड रोलर और कुछ स्पेयर पार्टस् खरीदे।

(ख) से (ङ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली जल प्रदाय तथा मल-निस्सारण संस्थान द्वारा मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (प्रा०) लि० से क्विक फ्लाक पोलिमिक्स की खरीद के बारे में 24-5-77 को एक मामला दर्ज किया। जांच पड़ताल पूरी होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 14-7-77 को दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 5 के अधीन पठित भारतीय

दण्ड संहिता की धारा 120–बी और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 के अधीन श्री संजय गांधी और श्री आर० सी० सिंह के विरुद्ध एक आरोप पत्र दाखिल किया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्विक फ्लाक पोलिमिक्स की खरीद में कुछ अनियमितताएं भी मिली हैं। अन्य मामलों में अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है ।

Victimisation of persons in Andhra Pradesh during emergency

4211. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri P. Sundarayya reported in the "Deccan Herald" dated the 3rd June, 1977 that about 350 persons were victimised to death in Andhra Pradesh during emergency ; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) **Yes**, Sir.

(b) According to the Government of Andhra Pradesh, the allegation is baseless. During the emergency, there were 30 armed encounters between the police and the extremists in which 34 extremists were killed. A Commission of Inquiry headed by Shri V. Bhargava, a retired Judge of the Supreme Court has already been appointed by the Government of Andhra Pradesh to inquire into such allegations.

Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons in the All India Services

4212. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons in various All India Services such as Indian Administrative Service, Indian Engineering Service etc., separately ;

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates recruited in the said services during the last three years and the percentage thereof to the total number of candidates recruited ; and

(c) whether the number of Scheduled Castes candidates recruited was less than the percentage reserved for them and if so, the action taken or proposed to be taken to complete the percentage of reservation ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) The percentage of posts reserved for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the three All India Services, namely, the Indian Administrative Service, the Indian Police Service and the Indian Forest Service, is 15% for Scheduled Castes and 7½% for Scheduled Tribes of direct recruitment posts. The Indian Service of Engineers has not yet been constituted.

(b) Number of Scheduled Castes :

Year of Recruitment	Number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes recruited with percentage to total number of persons recruited					
	I.A.S.		I.P.S.		I.F.S.	
	SC.	ST.	SC.	ST.	SC.	ST.
1974 . .	21 14·5	10 6·9	15 15·9	7 7·4	5 17·2	3 10·3
1975 . .	19 14·6	12 9·2	12 14·6	6 7·3	6 13	4 8·7
1976 . . .	21 15	6 4·3	17 15·9	9 8·4	9 16·7	5 9·2

(c) There was no shortfall in the recruitment of Scheduled Castes candidates. The vacancies for them are reserved on the basis of the prescribed roster. The unfilled vacancies, if any, in a particular year are carried forward and filled on the basis of the results of subsequent examinations.

केन्द्रीय सचिवालय की कैंटीनें

4213. **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा राजसहायता और अन्य सुविधायें देने के बावजूद केन्द्रीय सचिवालय में अधिकांश विभागीय कैंटीनें घाटे में चल रही हैं ;

(ख) गत एक वर्ष में प्रत्येक कैन्टीन को कितनी राजसहायता दी गई और उनमें से कौन सी कैंटीनें घाटे में चल रही हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कैन्टीनों को गैर सरकारी ठेकेदारों को देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कैंटीनों में होने वाले कदाचारों को रोकने के और इनमें सस्ते, पौष्टिक और बढ़िया किस्म के खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—776/77]**

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) सरकारी कार्यालयों में चल रही विभागीय/सहकारी कैंटीनों के कार्य-विवरणों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है । उच्चाधिकार समिति की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने से यह आशा की जाती है कि विभागीय/सहकारी कैंटीनों की कार्य प्रणाली में काफी सुधार आ जाएगा ।

सहायकों के ग्रेड में गतिरोध

4214. **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सहायक कितने हैं जो उसी ग्रेड में 22 वर्ष से अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं और जिन्हें कोई वेतन वृद्धि नहीं मिल रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सीधी भर्ती वाले सहायकों को इस ग्रेड में 10 से 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेक्शन आफिसरों के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है जब कि विभागीय सहायकों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिलता है तथा जिन्हें सहायक के रूप में 25 से 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी चयन सूची में शामिल नहीं किया जाता है ; और

(ग) सहायकों में गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सहायक ग्रेड में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 348 सहायकों ने 22 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा कर ली है । सहायक ग्रेड

एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है इसलिए जिन्हें कोई वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है उनकी संख्या के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित जोनों के अनुसार 15 वर्ष अथवा उससे कम सेवा का कोई भी सीधी भर्ती का सहायक नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने का हकदार नहीं है अनुभाग अधिकारी ग्रेड भी एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है इसलिए विभिन्न संवर्गों द्वारा की गई अल्पकालीन अस्थायी पदोन्नति के संबंध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम के अधीन अनुभाग अधिकारियों को 16 प्रतिशत स्थायी रिक्तियां आई० ए० एस० आदि परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं और शेष रिक्तियां सहायकों की पदोन्नति द्वारा निम्न प्रकार से भरी जाती हैं :—

28 प्रतिशत वरिष्ठता-एवं उपयुक्तता के आधार पर, 28 प्रतिशत लम्बी सेवा की अवधि वाले सहायकों में से योग्यताक्रम के आधार पर और 28 प्रतिशत विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ।

सहायकों में गतिरोध को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : —

(i) अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए सहायकों के ग्रेड में 22 वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा वाले सहायकों के लिये अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थायी रिक्तियों का 28 प्रतिशत विशेष कोटा निर्धारित किया गया है। अल्पकालीन नियुक्तियों के लिए ऐसे सहायकों के लिए कोटा 50 प्रतिशत है।

(ii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 28 प्रतिशत रिक्तियों में भर्ती के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। इससे लम्बी अवधि वाले ऐसे सहायक भी जिनका वरिष्ठता में नीचे स्थान है विभागीय परीक्षा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठ सकेंगे।

(iii) विकेंद्रीकृत ग्रेडों में 28 प्रतिशत वरिष्ठता कोटा में पदोन्नतियों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जोनिंग योजना के जरिए नियमित किया जाता है ताकि किसी मंत्रालय/विभाग में रिक्तियां न होने के कारण यदि वरिष्ठ पात्र व्यक्ति पदोन्नति नहीं किए जा सके हों तो वे अपनी पारी पर अन्य मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध रिक्तियों में नामांकित किए जाते हैं ।

(iv) मंत्रालयों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे मंत्रालयों में तथा उनके अधीन संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों पर विचार करें ।

Giving of Jeeps, Cranes etc. to Social Organisations etc. by Defence Ministry

4215. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of trucks, jeeps, cranes and quantity of scrap given to social organisations, schools and hospitals by the Ministry at concessional rates during the period from January, 1974 to May, 1977 indicating the names of such social organisations, schools and hospitals; and

(b) whether Government while giving quota of those things to these institutions have checked passbooks, receipts and Members' registers of these institutions to know that they are functioning properly?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Trucks and cranes are not issued at concessional rates, and even the issue of jeeps at concessional rate is restricted to one in each case. Scrap is also issued at concessional rate.

A statement showing the names of social organisations, schools and hospitals which have been given jeeps and scrap at concessional rates during the period from January 1974 to May 1977 is enclosed. [*Placed in the Library See.* No. L. T.-777/77].

(b) The Government have laid down detailed instructions for allotment of surplus defence stores to welfare/charitable/educational organisations which *Inter alia* require that the bonafides of the organisations and the reasonableness of the requirements are certified by the concerned Ministry of the Government of India or the Department of the State. The instructions also stipulate that such certification should specifically cover the financial standing of the institutions after verifying their balance-sheet and accounts. This procedure, however, is not insisted upon in the case of well known educational, welfare and charitable institutions. The allotments to the organisations listed in the enclosed statement have been made in accordance with these instructions.

उडीसा में लघु उद्योग

4216. **श्री डी० अमात** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगपतियों को उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सुविधायें देने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग). उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में एककों को अनेक सुविधाएं/प्रोत्साहन दिये जाते हैं जिनमें आई० डी० बी० आई० की पुर्नवित्त योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देना शामिल है । ये वित्तीय रियायतें कम दर पर ब्याज अधिक लम्बी वित्तीय अवधि आदि के रूप में दी जाती हैं । पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को आयकर निर्धारण करने में लाभ एवं उपलब्धियों से 20 प्रतिशत की कटौती करने का लाभ मिलता है; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों को दी गई मशीनों के मूल्य के 10 प्रतिशत पर रियायती धरोहर राशि पर किराया-खरीद के आधार पर मशीनें दी जाती हैं । पिछड़े क्षेत्रों के उद्यमियों के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर भी कम है । इन क्षेत्रों के लघु एककों को स्वीकृत निजी परामर्शदाताओं द्वारा निःशुल्क परामर्श भी दिया जाता हैं । कुछ उद्योगों के जिन पर अन्य क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगा हैं पिछड़े जिलों में स्थापित किये जाने की अनुमति दी जाती है । इन पिछड़े जिलों में कच्चा माल आयात करने की विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं । कुछ पिछड़े जिलों में नये उदयमियों को भूमि, भवन, सयंत्र तथा मशीनों में निवेश पर 15 प्रतिशत तक पूंजीगत राजसहायता दी जाती है । ये रियायतें उन नये उद्यमियों को भी उपलब्ध होगी जो उड़ीसा राज्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं । इनके अलावा उन उद्यमियों को जो पिछड़े जिलों में निर्माण करने वाले एकक स्थापित करना चाहेंगे उन्हें उड़ीसा सहित राज्य सरकारों से जो भी वे उचित समझे रियायतें भी मिल सकती हैं ।

उड़ीसा में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस

4217. **श्री डी० अमात :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में लघु क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों ने कितने लाइसेंस मांगें ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(ग) उनमें किन-किन मदों का उत्पादन करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए आम तौर पर औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी है। उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने हेतु 1974–75 के दौरान 96 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे ?

(ख) 30

(ग) ये धातुकर्मिक उद्योग, औद्योगिक मशीनें , रसायन, वस्त्र, कागज और कागज उत्पाद, खाद्य परिष्करण उद्योग, खाद्य तेल और वनस्पति, रबड़ की वस्तुएं, चीनी मिट्टी का सामान और सीमेंट उद्योगों से सम्बधित थे ।

उड़ीसा के गांवों का विद्युतीकरण

4218. **श्री डी० अमात :**

श्री गोविन्द मुंडा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) चालू वर्ष (1977-78) के दौरान उड़ीसा में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) उड़ीसा में 46,992 गांव है । 31 मई, 1977 तक 13062 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

(ख) 1977-78 के दौरान उड़ीसा के 1,200 गांवों को विद्युतीकृत करने का राज्य बिजली बोर्ड का प्रारंभिक कार्यक्रम हैं ।

(ग) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि यदि आवश्यक साधन उपलब्ध हुए तो छठी योजना के अंत तक राज्य के सभी गावों का पूर्ण विद्युतीकरण करने का उनका प्रस्ताव है ।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विदेशी धन का आगमन

4219. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित व्यक्तियों अथवा संस्थानों की किन्हीं श्रेणियों को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होने के बाद विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ है ।

(ख) क्या किसी राजनैतिक व्यक्ति पर राजनैतिक पार्टियों ने हाल के लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनाव के दौरान विदेशी स्त्रोतों से चुनाव के लिए धन प्राप्त किया है; और

(ग) क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) . अब तक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 4 में राजनैतिज्ञों तथा राजनतिक दलों समेत उल्लिखित व्यक्तियों तथा संस्थानों की किसी भी श्रेणियों को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होने के बाद विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ?

राजनीतिक स्वरूप वाले संगठन

4220. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम की धारा 5 की परिभाषा के अन्तर्गत किन-किन संगठनों को "राजनीतिक स्वरूप वाले संगठन" घोषित किया गया है ;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद उनमें से किसी संगठन को विदेशी स्त्रोत से धन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है तथा ऐसी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विदेशी मुद्रा (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 5 (1) के अधीन 106 संगठन अधिसूचित किये गये है । ऐसे संगठनों की एक सूची संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-778/77]

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की धारा 6 के अधीन विदेशी धन का आगमन

4221. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कौन सी संस्थायें है, जो किसी विदेशी स्त्रोत से धन अथवा अन्य किस्म का अंशदान प्राप्त कर रही है ;

(ख) ऐसी संस्थाओं ने अब तक पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि प्राप्त की है और किस देश से प्राप्त की है ; और

(ग) क्या उक्त अधिनियम के अनुसार आवश्यक अपेक्षित सूचना देने में कोई चूक पाई गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). ऐसी संस्थाओं/संस्थानों तथा उनके द्वारा। प्राप्त की गई अलग-अलग धनराशि तथा वह देश जिससे धन प्राप्त किया गया की सूची तैयार की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अब तक कोई चूक ध्यान में नहीं आई है।

Lay of in Gayday Iron and Steel Co., Ltd. Hirodih (Bihar)

4222. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the management of Gayday Iron and Steel Company Limited, Hirodih (Koderma), Bihar had declared 'Lay off' in the company in July, 1976 as a result of which more than 500 employees of the company are on the verge of starvation ;

(b) whether payment is not being made to the employees in spite of the fact that the only spun pipe factory in this backward area was closed down completely in July, 1976 and the finished goods worth Rs. 32 lakhs were also sold ;

(c) whether a labour deputation led by a Member of Parliament of this area made an appeal in the first week of April, 1977 for financial assistance of Rs. 14. 50 lakhs for recommissioning this factory as per request of the Government of Bihar; and

(d) whether Government will save this industry by taking it over by all means and protect the interest of more than 500 employees rendered jobless.

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) :

(a) Consequent upon a financial crisis, Messrs Gayday Iron and Steel Company Ltd., had to cease their operations since July, 1976.

(b) The State Government have been requested to let us have the necessary details.

(c) Yes, Sir.

(d) Government, the Banks and Financial Institutions are engaged in an appraisal of the financial and technical viability of the unit with a view to decide upon the best method of reviveing the unit.

Setting up of Industries by Indians living abroad

4223. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that persons of Indian Origin living abroad possess adequate capital and industrial progress in India can be accelerated with their cooperation ;

(b) if so, the efforts made by Government to encourage tham to return to India and set up their industries ; and

(c) the results thereof ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes. Sir.

(b) Government had announced, through a Statement laid on the Table of the Lok Sabha on April 5, 1976, a package of additional incentives to attract investment by non-resident Indians in setting up industries in India.

(c) Government has approved two proposals, in principle, for setting up units in the small scale sector.

हल्दिया डाक सिस्टम

4224. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हल्दिया डाक सिस्टम को कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी हां ।

Crimes since formation of Janata Government

4225. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of incidents of murders, dacoity, theft, stabbing, high-way robbery, eve-teasing and smuggling in the country since the formation of Janata Party Government and during the corresponding period last year; and

(b) the steps being taken now for checking such incidents effectively?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) This question will only arise after the compilation of all the information.

Expenditure incnrred on Uranium Corporation of India Ltd.

4226. **Shri Jagdambi Prasad Yadav**: Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state the expenditure incurred so for on Uranium Corporation of India Ltd., the total capital invested therein and the quantum of production made so far by the Corporation as also the capacity thereof ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): The total investment in the share capital of Uranium Corporation of India Ltd. by Government of India is Rs. 826 lakhs. In addition, a loan of Rs. 80. 61 lakhs is outstanding as on date. It is not in the public interest to disclose the quantum of production made so far and also the capacity of the Company's Plant as uranium concentrate is a strategic raw material.

Letter of Commendation for Films

4227. **Shri Jagdambi Prasad Yadav**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of films, language-wise, prepared in the country during the last three years, year-wise ;

(b) the number of such films as were given letters of commendation by Government and the names of the films which were screened in a hall for larger number of days indicating the language of the film and the number of days for which it was screened and whether rewards and letters of commendation were given also by Government to such films?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) A statement showing the number of films sanctioned for public exhibition by the Central Board of Film Censors under the Cinematograph Act 1952 during the last three years is attached.

(b) The number of films that were given awards at the National Film Festival during the last three years was as below :—

Year	Feature films	Short films
1974	9	6
1975	8	7
1976	11	8

No National Award was given to any film on the basis of the number of days it was screened. In addition to National Awards according to press reports, a few State Governments and private organisations also gave away awards to films. Film exhibition being in the private sector, Government have no information about, the duration for which various films were screened in cinema houses.

Statement

Number of Indian feature and short films sanctioned for public exhibition by the Central Board of Film Censors during the last three years

A. Feature films.

Language	1974	1975	1976
Hindi (including Rajasthani, Bhojpuri, Hidustani, Avadhi, Nagdhi, Urdu, Dogri and Haryanvi)	136	120	106
Marathi	11	17	10
Gujarati	7	12	29
Punjabi	4	5	10
Konkani	—	1	1
English	1	1	2
Tamil	79	71	81
Telugu	69	88	93
Kannada	32	39	47
Malayalam	54	77	84
Bengali	36	35	32
Oriya	1	3	6
Assamese	3	6	5
Manipuri	2	—	1
Total	435	475	507
B. Documentary/Short films	1311	1220	1210

Damodar Valley Corporation

4228. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the megawatt electricity generated annually by the Damodar Valley Corporation and how much out of it is supplied to Bihar and West Bengal annually, separately ;

(b) whether power production by this Corporation falls every year during summer season;

(c) if so, by what megawatts; and

(d) measures proposed to be taken by Government to ensure that there is no fall in production ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Power expressed in megawatts is a measure of demand of electricity at a point of time. It is not possible to indicate the generation in megawatts and its allocation on an annual basis. However, the

total energy sold by Damodar Valley Corporation during 1976-77 was 4486 million units out of which 1894 million units were supplied to West Bengal and 2592 million units were supplied to Bihar.

(b) & (c). The hydro generating capacity in the Damodar Valley Corporation is about 100 megawatts. During summer months power generation from hydel stations goes down particularly during non irrigation months from mid-April to mid-June. However, the total demand of energy is met by stepping up generation from thermal generating units.

(d) Schemes for installing additional generating capacity have been sanctioned and they are under various stages of execution.

1980 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

4229. **श्री गोविन्द मुंडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) तथा (ख) संविधान के अनुछेद 354 में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 25-1-1980 तक जारी रहना है। सरकार आरक्षणों के प्रश्न पर उचित समय पर विचार करेगी।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को ऋण

4230. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को उस की स्थापना के समय से अब तक कितनी धनराशि दी है और इसमें से कितनी राशि वर्ष के अन्त में लौटाई गई है अथवा समायोजित कर दी गई है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई उल्लंघन किया गया है ;

(ग) क्या भूतपूर्व अध्यक्षों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध अधिकार के दुरुपयोग तथा वित्तीय शक्तियों की सीमा का अतिक्रमण के आरोप लगाये गये हैं ;

(घ) क्या आयोग का संस्थापना व्यय प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और यदि हां तो किस कारण से; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उनके कार्यकरण में सुधार करने और प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने के लिए कोई कदम उठाने का है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद

4231. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई 2000 बसों में से दिल्ली परिवहन निगम ने 850 बसें खरीदी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने पांचवीं योजना के मूल मसौदे के अनुसार पांचवीं योजना की पूरी अवधि के लिए 2000 बसों की खरीद की व्यवस्था की तुलना में 821 नई बसें खरीदीं । इसके अलावा 252 बसें चौथी पंचवर्षीय योजना से बची बसों के तौर पर भी प्राप्त हुई ।

(ख) वार्षिक योजनाओं में की गई व्यवस्थाओं के आधार पर प्रति वर्ष बसों की खरीद के लिए आर्डर दिये जाते हैं । 1974–75 के दौरान, एक डैक वाली सभी 400 बसें, जिनके लिये व्यवस्था की गई थी, खरीदी गई । परन्तु दो डकों वाली 90 बसों की खरीद की व्यवस्था में से, केवल एक बस खरीदी गई और शष 89 दो डक वाली बसों के लिए आर्डर नहीं दिया गया क्योंकि मैसर्स अशोक लीलेंड दो डैक वाली चेसिस की आपूर्ति नहीं कर सका और दो डैक वाली नई चेसिस का परीक्षण भी किया जाना था । 1975–76 में, 450 बसों की खरीद की व्यवस्था में से 420 बसें खरीदी गई । 30 बसें कम खरीदने के कारणों का पता लगाया जा रहा है । 1976–77 के दौरान 150 बसों की खरीद के आवंटन में से, कोई बस नहीं खरीदी गई, प्रकटत: इस कारण से कि बेड़े के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे, इन्फ्रास्ट्रक्चर की संपूर्णता एवं समन्वय को वरीयता दी जाय और यह कि अंतर्राज्यीय रूटों से बसें हटाने से अतिरिक्त बसें उपलब्ध हो जाएंगी ।

उत्तरी और पश्चिमी कमांड में ठेकेदारों को दिये गये काम

4232. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के लागू होने के आरम्भ से ही उत्तरी और पश्चिमी कमांडों में छोटे और रख-रखाव के काम, इन कमांडों के कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ न उठाकर, ठेके पर दिए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने काम ठेके पर दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का इस मामले में उपयोग किये जाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एम० ई० एस० द्वारा किया जाने वाला रख-रखाव संबंधी निर्माण कार्य निम्नलिखित वर्गों में आता है :—

(क) भवनों/सड़कों की छोटी छोटी मरम्मत का दिन प्रतिदिन का कार्य ; फर्नीचर/बिजली/मैकेनिकल सेवाएं और मरम्मत कार्य ।

(ख) बिजली/जल पूर्ती और मलजल निकासी संबंधी शिकायतें ।

(ग) सफेदी/रंग कराने और रोगन करने जैसी आवधिक सेवाएं ।

(घ) नए निर्माण कार्य करना—छोट और एक लाख रुपए तक की लागत के निर्माण कार्य ।

एम० ई० एस० के नियमित कर्मचारियों की सेवाएं उपर्युक्त (क) और (ख) पर दिए गए रख-रखाव संबंधी निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और तदनुसार उनकी संख्या निश्चित की जाती है। इन निर्माण कार्यों को प्राय: नापा नहीं जा सकता इस लिए इन्हें ठेकेदारों को नहीं दिया जाता ।

उपयुक्त (ग) और (घ) पर दिए गए निर्माण कार्यों को नापा जा सकता है इसलिए उन्हें ठेकेदारों की को मुश्त अथवा निबंधन ठेकों के रूप में दिया जाता है। आमतौर से प्रति स्टेशन/गैरिजन इंजीनियर एक अथवा दो निबंधन ठेके होते हैं और निर्माण कार्य चल रहे निबंधन ठेकें के दौरान ही दिए जाते हैं जो सामान्यत: एक वर्ष के लिए होते हैं । ठेकेदारों को दिए गए निर्माण-कार्यों की कुल संख्या के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह प्रणाली पहले से ही लागू रही है । इसे आपातकाल के दौरान लागू नहीं किया गया था ।

कोका कोला निर्यात निगम को तदर्थ आयात लाइसेंस दिये जाना

4233. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम को वर्ष 1972 से तदर्थ निर्यात लाइसेंस जारी होते रहे हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1976 में निगम को 2.61 लाख रुपए का तदर्थ लाइसेंस जारी किया गया था;

(ग) कम्पनी ने वर्ष 1974, 1975 और 1976 में, वर्षवार, कितना निर्यात किया; और

(घ) किन-किन कम्पनियों को तदर्थ आयात लाइसेंस प्राप्त हुये और उनकी कीमत कितनी थी?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख). जी हां । कोका कोला निर्यात निगम को 1972 से तदर्थ आधार पर निम्नलिखित राशि का 'वास्तविक उपयोक्ता' आयात लाइसेंस जारी किया गया है :—

वर्ष	वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस का मूल्य
	(लाख रु० में)
1972	7.00
1973	16.00
1974	कुछ नहीं
1975	14.25
1976	2.61

इस कम्पनी के निर्यात की जहाज तक भाड़ा मुक्त मूल्य के रूप में पुनपूर्ति की दर 20 प्रतिशत से घटकर 1971–72 से 4.5 प्रतिशत हो जाने के पश्चात् कम्पनी द्वारा 1971 में अपेक्षित आयातित कच्चे माल की मात्रा के आधार पर जिसका निर्धारण अन्तर-मंत्रालयीय समिति द्वारा किया गया था कम्पनी को प्रतिवर्ष 16 लाख रु० मूल्य का वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया था। वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के मूल्य में 1974–75 से प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत की कमी करने का भी निर्णय किया गया था। तदनुसार वर्ष 1974–75 में 14.25 लाख रुपये का वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस दिया गया था। कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन दिए गए आवेदन पर निर्णय होने तक दिसम्बर 1976 में केवल 2.61 लाख रुपए का कच्चा माल मंगाने का अग्रिम लाइसेंस दिया गया था।

(ग) कम्पनी द्वारा 1974 से 1976 तक के तीन वर्षों में निर्यात द्वारा क्रमशः 129.38 लाख, 5.52 लाख और 2.94 लाख रुपये की राशि अर्जित की गई थी।

(घ) तदर्थ आधार पर जारी किए गए लाइसेंसों सहित जारी किए गए सभी आयात लाइसेंसों से सम्बन्धित नाम, मूल्य आदि के विवरण आयात एवं निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के साप्ताहिक प्रकाशन "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज" 'इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज' में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

उदयगिरि, उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के बारे में सर्वेक्षण

4234. **श्री बाढचा डिगल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयगिरि, उड़ीसा में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख). सम्बलपुर के अलावा वर्तमान योजना अवधि में उड़ीसा में उदयगिरि या किसी अन्य स्थान पर कोई अन्य दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है।

आलोक उद्योग वनस्पति एंड प्लाईवुड लिमिटेड, बज-बज, पश्चिम बंगाल

4235. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटड, बज-बज, पश्चिम बंगाल, मार्च, 1975 से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द होने के समय उसमें कितने कर्मचारी थे ;

(ग) क्या इस एकक के लिए कच्चा माल उसकी एक ही सहायक कम्पनी एलबियन प्लाईवुड लिमिटड फक्टरी, अन्दमान द्वीप-समूह से लाया जा रहा था ;

(घ) क्या उसके वर्तमान मालिक अन्दमान में एलबियन प्लाइवुड प्लाण्ट और मशीनरी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस ग्रुप का बज-बज एकक कभी कार्य नहीं कर सकेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) एकक जनवरी 1975 से बंद हैं ।

(ख) लगभग 900 व्यक्ति ।

(ग) अंशत: कम्पनी अपने लिए आवश्यक वीनर मैसर्स एलबियन प्लाइवुड लिमिटेड से लिया करती थी ।

(घ) इस मंत्रालय के पास इस समय कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता

चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

4236. **श्री जी० एम० बनतवाला**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी साक्ष्य या जानकारी है कि हाल ही के संसदीय या विधान सभाओं के चुनावों के लिए किसी दल या सदस्य विशेष को विदेशों से आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सदस्यों या दलों के नामों, आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता की राशियों और सहायता देने वाले देशों के नामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है, तो वह क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) जहां तक विदेशों से किसी दल अथवा उम्मीदवार को आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता मिलने का सम्बन्ध है, सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार पत्रों के टेलीफोनों, टेलीप्रिंटरों और बिजली की लाइनों का काटा जाना

4237. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित कुछ समाचार पत्रों और मुद्रणालयों के टलीफोन, टेलीप्रिंटर और बिजली की लाइनों को श्रीमती इन्दिरा गांधी के कहने पर श्री संजय गांधी की देख-रेख में काटा गया था और एसा किया जाना एक संक्षेय अपराध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उन पर मुकदमा चलाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग), 25-6-1975 को आपातस्थिति की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप ऐसी लाइन काटने का सरकार को पता है । शाह जांच आयोग के विचारार्थ विषय बहुत विस्तत हैं ताकि आयोग इस मामले की जांच कर सके ।

बंगाली फिल्मों को नये कर की परिधि से छट

4238. **श्री सौगत राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध फिल्म निदेशक, श्री सत्यजीत रे ने मंत्री महोदय को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा हैं कि बंगाली फिल्म उद्योग को बचाने के लिए ब गाली फिल्मों को नये कर की परिधि से छूट दी जाए;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी प्रकार का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) :(क) और (ख). श्री सत्यजीत रे और पश्चिमी बंगाल की सरकार से भी पत्र प्राप्त गए हैं जिनमें उन्होंने अपना बहुमत व्यक्त किया है कि प्रस्तावित उत्पाद शुल्क का क्षेत्रीय फिल्म उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ।

(ग) फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त मत को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री ने 15 जलाई, 1977 को वित्त (2) विधेयक को पेश करते हुए, शल्क में कतिपय परिवर्तनों की घोषणा की है । इसके अन्तर्गत, यथा मुल्य शल्क, जिसको लगाने का प्रस्ताव किया गया था, को अब फीचर फिल्मों की प्रिंटों की संख्या पर आधारित विशिष्ट दरों पर लगाने का प्रस्ताव है । पहले प्रत्येक फीचर फिल्म की प्रथम 12 प्रिन्टों के लिए जो छूट थी, उसको भी बहाल करने का प्रस्ताव है । यह आशा की जाती है कि इन परिवर्तनों से क्षेत्रीय फिल्म उद्योग सहित समूचे फिल्म उद्योग को काफी लाभ होगा ।

विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय समाचार-पत्रों को भेजे गये समाचारों के प्रयोग पर रोक

4239. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय समाचारपत्रों को भेजे गये समाचारों के प्रयोग पर कांग्रेस द्वारा आपात स्थिति के दौरान जो रोक लगाई गई थी, वह अब तक लागू है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय समाचारपत्रों को भेजी गई खबरों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख). आपात स्थिति के दौरान, समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत, अधिकारियों को निर्दिष्ट विषयों पर समाचारों के पूर्व-सेंसर के अधिकार थे चाहे वे भारतीय स्रोतों से आते थे या विदेशी एजेंसियों से। ये आदेश अब प्रवृत्त नहीं हैं।

(ग) विदेशी समाचार एजेंसियों द्वारा भेजे जाने वाले समाचारों को भारतीय समाचार एजेंसियों के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों को वितरित कर दिया जाता है। समाचर पत्रों को उनका उपयोग करने या न करने की स्वतंत्रता है।

Manufacture Of 'Saktiman' Trucks

4240. **SHRI ISHWAR CHOUDHARY** :Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the production of Shaktiman trucks and requirement of Government during the last two years ;

(b) whether the production of these trucks has fallen short of the requirement and Government had also to request Tata to meet the mdemand; and

(c) if so, the efforts made by Government to become self-reliant in this matter-

The Minister Of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Production of Shaktiman trucks 3-Ton 4x4 in the Vehicle Factory, Jabalpur is regulated by annual targets against the indents placed on it by Army, Border Roads and other organisations. During the years 1975-76 and 1976-77 the Vehicle Factory met in full the targets fixed.

(b) Government have placed an order on M/s TELCO through DGS&D for 6.5 ton 4x2 TATA trucks, as the Vehicle Factory, Jabalpur is not yet in a position to supply such higher pay load vehicles.

(c) Vehicle Factory, Jabalpur is making efforts to produce prototypes of a higher pay load vehicle.

कछार और नौगांग कागज परियोजनाओं के लिए अन्य देशों से निविदा दरें

4141. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कछार और नौगांग कागज परियोजनाओं हेतु 175 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों के लिए भारतीय निर्माताओं को ऋयादेश देने के बजाय अन्य देशों से निविदा दरें मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा व्यय में कटौती

4242. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान बजट में रक्षा व्यय में कटौती करने से देश की प्रतिरक्षा तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) क्या जवानों के लिए उनके आवास निर्माण के बजट में कोई कटौती तो नहीं की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा व्यय में कटौती संक्रियात्मक दक्षता की कीमत पर अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर में कमी करके नहीं की गयी है इसलिए हमारी रक्षा तत्परता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) इस कटौती से सैनिकों और तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंकों के रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए अनुमोदित योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

भूतपूर्व रक्षा मंत्री के विशेष सहायक की गिरफ्तारी

4243. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल के विशेष सहायक को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख). हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आर० सी० मेहतानी को 6 जुलाई, 1977 को पुलिस स्टेशन एन० आई० टी फरीदाबाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध दर्ज किये गये एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध उस अवधि से संबंधित आरोप थे जबकि वह श्री बंसी लाल के, जिन दिनों वे हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, वैयक्तिक सहायक एवं विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा था। राज्य पुलिस द्वारा जिन आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है, उनका संबंध श्री मेहतानी द्वारा अवैध परितोषणा स्वीकार करने और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने से है।

दिल्ली परिवहन निगम की रूट नम्बर 770 पर चलने वाली बसें

4244. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसें रूट नम्बर 770 पर प्रतिदिन कितने ट्रिप लगाती हैं तथा कब से;

(ख) इस रूट पर दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें कब से चल रही हैं;

(ग) जनवरी, 1977 से जून, 1977 के दौरान महीने-वार कितने ट्रिप नहीं लगाये गये; और

(घ) इसके कारण कितने दोषी कर्मचारियों को दंड दिया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 25 मई, 1977 से इस मार्ग पर व्यवस्थित फेरों की निर्धारित संख्या 116 है।

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से इस मार्ग पर सुबह की पारी में 8 बसें तथा दोपहर बाद की पारी में 7 बसें लगानी निश्चित की गई हैं।

(ग)

माह	लुप्त फेरों की संख्या
जनवरी, 1977	113
फरवरी, 1977	113
मार्च, 1977	301
अप्रैल, 1977	508
मई, 1977	737
जून, 1977	738

(घ) दिल्ली परिवहन निगम ने लुप्त फेरों में वृद्धि के लिये उत्तरदायित्व निश्चित करने के प्रश्न को उठाया है।

Scheme for Generation of Atomic Energy for Peaceful Purposes

4245. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to State the schemes which are being implemented for generation of Atomic Energy for peaceful purposes -

The Prime Minister (**Shri Morarji Desai**): The following schemes are being implemented for generation of nuclear power :

Rajasthan Atomic Power Project	Unit II
Madras Atomic Power Project	Unit I
Madras Atomic Power Project	Unit II
Narora Atomic Power Project	Unit I
Narora Atomic Power Project	Unit II

Setting up of Industries in U. P.

4246. **Shri Surendra Bikram**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state the number of industries to be set-up in Uttar Pradesh during the current financial year and the names of the places where these will be set up ?

The Minister of Industry (**Shri George Fernandes**): According to the information supplied by the State Government about 2100 small scale units, are likely to be set up in Uttar Pradesh during the current financial year, at the locations indicated in Annexure—I. [*Placed in the Library See No. LT—779/77.*

As regards projects falling within the purview of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, according to the information supplied by the Administrative Ministries and the Directorate General of Technical Development, 34 units are likely to be set up during the year, of which the 7 units for manufacture of sugar, are expected to commence production during the next crushing season (Oct. 77 to Sept. 1978). A statement indicating the name of the unit, item of manufacture and location is enclosed as Annexure-II. [*Placed in the Library. See No. LT—779/77).*

Amendment of Arms Act

4247. **Shri Surendra Bikaram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Indian Arms Act; if so, when; and

(b) whether Government propose to fix a limit for possession of arms ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) & (b). The question of amending the Arms Act, 1959 is under consideration. The question of fixing a limit for possession of arms will be examined while amending the Arms Act, 1959 and the Arms Rule, 1962.

इंडियन आर्डिनेंस फैक्टरीज सुपरवाइजर्स एसोसियेशन से ज्ञापन

4248. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन आर्डिनेंस फैक्टरीज सुपरवाइजर्स ऐसोसिएशन से पर्यवेक्षकों के वेतनमानों के लिए स्वीकृति देने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या एसोसिएशन ने पर्यवेक्षकों के केडर में सीधी भर्ती के बारे में भी कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) इन ज्ञापनों में क्या मुख्य मांगें प्रस्तुत की गई हैं; और

(घ) सरकार ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस एसोसिएशन से समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों में की गई मुख्य मांगें पर्यवेक्षकों और संबद्ध वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की तरह वेतन-मानों में समानता लाने से संबंधित थीं।

(घ) इन अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया गया और कर्मचारियों के कुछ मुख्य वर्गों के वेतनमानों में संशोधन करने के सरकारी आदेश 10 मई, 1977 को जारी किये गये।

एम० ई० एस० बंगलौर में गैरिसन इंजीनियर्स

4249. **श्री एम० श्रीकान्तन नायर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०ई०एस० बंगलौर में गैरिसन इंजीनियर्स के विरुद्ध हाल ही में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी द्वारा कोई शिकायतें की गई थीं और यदि हां, तो क्या उसे दण्ड दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). एम०ई०एस० बंगलौर के एक गैरिसन इंजीनियर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी। उसे ठेका देने में गम्भीर भ्रष्टाचार करने के लिए सेवा से बरखास्त कर दिया गया था।

(ग) एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ड्यूटी से फरार होने और अवज्ञा करने के आरोप में उसके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेवा से बरखास्त कर दिया गया था। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य के विरुद्ध शिकायतें की थीं। यह मान लेने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि उसे शिकायत करने के कारण दंड दिया गया था परन्तु इस पहलू पर और आगे विचार किया जा रहा है।

दल-बदल विरोधी विधेयक

4250. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विपक्षी दलों से परामर्श करने के बहाने दल-बदल विरोधी विधेयक को लाने में जानबूझ कर देरी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1977 से दल-बदल अधिक संख्या में हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1977 से अब तक कितने लोगों ने दल बदले हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). इस संबंध में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

मि० फेरर द्वारा प्राप्त विदेशों से सहायता

4251. **श्री दारुर पुलय्या :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गरीबों की उन्नति के लिए मि० फेरर को विभिन्न विदेशी स्वैच्छिक संगठनों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या सरकार को मि० फेरर द्वारा सहायता प्रयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) ने 1973 में मि० फेरर की गतिविधियों के बारे में खराब रिपोर्ट सरकार को भेजी थी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 1975-76 के दौरान मि० फेरर को सामान तथा नकदी के रूप में 2 45,86,740-00 रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दी गई थी ।

आल केरल एक्स-सर्विस मैन एसोसियेशन से ज्ञापन

4252. **श्री वी० के० नायर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल केरल एक्स-सर्विसमैन ऐसोसिएशन से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें सेवा पेंशन परिवार पेंशन, पदों के आरक्षण तथा पुनर्वास संबधों जैसे मामलों पर शिकायतों का वर्णन था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) एसोसिएशन के ज्ञापन में उल्लिखित मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है और तदनुसार एसोसिएशन को समुचित रूप से सूचित कर दिया गया है ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निजी सचिव के विरुद्ध शिकायतें

4253. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व प्रधान मंत्री के नीजी सचिव श्री आर० के० धवन के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) तथा (ख). सरकार को मालूम है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के अपर निजी सचिव, श्री आर० के० धवन द्वारा कथित भ्रष्टाचार तथा शक्तियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में तथा अन्यत्र समाचार प्रकाशित हुए हैं ।

(ग) यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होगी, अथवा इस प्रकार के दुरुपयोग का कोई विशिष्ट उदाहरण अन्यथा प्रकाश में आएगा, तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी । यदि नियुक्त किए गए आयोगों द्वारा जांच के दौरान, ऐसा कोई मामला सामने आयेगा जिसमें वे अन्तर्ग्रस्त हैं, तो आयोग ऐसे मामलों पर कानूनी हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होंगे ।

दिनांक 20-6-77 के अतारांकित प्रश्न 2240 के उत्तर में शुद्धि करने संबंधी वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO U.S.Q. DATED 20-6-77

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :

29-6-77 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2240 के भाग (क) का उत्तर देते समय यह बताया गया था कि मराठवाडा जनता विकास परिषद औरंगाबाद से 20 मई, 1977 को कोई पत्र इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तरों का प्रश्न नहीं उठता। बाद में यह पता चला है कि मराठवाडा जनता विकास पारिषद, औरंगाबाद से दिनांक 30 मई, 1977 का एक पत्र मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। सरकार को इस गलती पर खेद है।

2. पत्र में (i) कृषि अधिकारियों, फील्डमैनों आदि के मामलों और कुछ अन्य अनिर्दिष्ट विभागों के मामलों; तथा (ii) राजस्व अधिकारियों के मामलों का उल्लेख किया गया है।

3. पत्र में उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों से सम्बन्धित व्यक्तियों को यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 830 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 832 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 477(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 478 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-752/77]

भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 10क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां०आ० 831 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०–753/77]

नौ सेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-डिगामा, गोआ, मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई आदि

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौसेना छुट्टी (संशोधन) विनियम, 1977 जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि० आ० 233 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौसेना (पेंशन) तीसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि० आ० 238 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०-754/]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडिगामा, गोआ के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा ।

(ख) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडिगामा, गोआ के वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा, उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० – 755/77]

(दो) (क) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा ।

(ख) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—756/77]

(तीन) (क) गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–757/77]

(चार) (क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा ।

(ख) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी०–758/77

घरेलू विद्युत उपकरण (गुण प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत घरेलू विद्युत उपकरण (गुण-प्रकार नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एकप्रति, जो दिनांक 26 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 424 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया, दखिए संख्या एल०टी० 759/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

वित्त, राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 482(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 760/77]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन अधिसूचनाओं संख्या 160/77-कस्टम्स और 161/77 कस्टमस (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति जो दिनांक 20 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 761/77]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा ने 18 जुलाई, 1977 की अपनी बैठक में मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1977 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 19 जुलाई, 1977 की अपनी बैठक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1977 पास किया है।

राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक सभा पटल पर रखे गये

सचिव ने निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में सभा पटल पर रखे :—

(1) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1977

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1977 ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLNIG ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTENCE

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारतीय कपड़े के आयात पर लगाये गये कथित प्रतिबन्ध

श्री वयालार रवि : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री का ध्यान दिलाता हूं :—

यूरोपीयन, आर्थिक समुदाय द्वारा भारतीय कपड़े के आयात पर लगाए गए कथित प्रतिबन्ध

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

अध्यक्ष महोदय,

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भारत सहित नौ देशों से सूती धागे तथा सूती वस्त्रों के आयातों पर समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के बारे में पिछले सप्ताह के दौरान अखबारों में खबरें छपी हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12 जुलाई, 1977 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने फ्रांस में भारत से सूती धागे के आयातों पर 205 मे० टन की मात्रा सम्बन्धी सीमा लगा दी जो 1—7—77 से 31—12—77 तक के लिये वैध है। उसी दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कतिपय अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबन्ध की घोषणा की। परन्तु, इनमें से कोई भी प्रतिबन्ध भारत पर लागू नहीं है, इस बात की पुष्टि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ब्रसेल्स स्थित हमारे मिशन ने कर दी है ।

भारत से फ्रांस में होने वाले सूती धागे के आयात पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा लगाया गया एक पक्षीय प्रतिबन्ध, वस्त्रों के बारे में हमारे द्विपक्षीय करार का उल्लघंन है।

फ्रांस में सूती धागे के आयातों पर प्रतिबन्धों के बारे में औपचारिक सूचना देते हुए यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने परामर्श करने के लिए अनुरोध किया है। इन परामर्शों के बाद, अगर आवश्यक हुआ तो हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की इस कार्यवाही के विरुद्ध वस्त्र निगरानी निकाय के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस निकाय की स्थापना, वस्त्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में गाट्प्रबन्ध के अन्तर्गत, इस प्रबन्ध के कार्यचालन की देख-रेख करने तथा जो विवाद उठें उन्हें सुलझाने के लिए, की गई है

[श्री मोहन धारिया]

यह स्मरण रहे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ऐसे ही आयात प्रतिबन्ध कुछ अन्य सूती वस्त्र उत्पादों पर भी लागू किए हैं जिनके सम्बन्ध में द्विपक्षीय करार में किसी प्रकार की मात्रा सम्बन्धी सीमा की व्यवस्था नहीं है । 18 मार्च, 1977 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने महिलाओं के सूती ब्लाउजों तथा कमीजों और पुरुषों के सूती कमीजों के सम्बन्ध में समुदाय स्तर कोटाओं की घोषणा की । इन कोटाओं में हथकरघा तथा मिल निर्मित माल के बीच अन्तर नहीं किया गया है । 25 अप्रैल, 1977 को ब्रिटेन के लिए 'टी' शर्ट तथा सूती धागे के लिए कोटे शुरू किये गये । ये कोटे 1977 के अन्त तक लागू रहेंगे ।

सरकार को भारतीय वस्त्रों के आयातों, विशेषकर हथकरघा क्षेत्र से सम्बन्धित वस्त्रों के आयातों पर, लगाए गए इन प्रतिबन्धों से गम्भीर चिन्ता है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से उनके दूरगामी फलितार्थ हैं ।

इन प्रतिबन्धों से उत्पन्न समस्याओं के मैत्रीपूर्ण समाधान की संभावनाएं समाप्त हो जाने पर, हमने वस्त्र निगरानी निकाय से इन प्रतिबन्धों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की है । वहां सुनवाई चल रही है तथा शीघ्र ही निर्णय हो जाने की संभावना है ।

श्री वयालार रवि : यूरोपीय आर्थिक समुदाय निर्यात करने वाले देशों के ग्रुप में एक प्रमख ग्रुप है। अब निर्यात, 1,000 करोड़ रुपए का है जबकि पहले यह केवल 50 करोड रुपए था। हम इस समुदाय से आयात करने वालों में भी प्रमुख है। इसलिए उस समुदाय को हम से लाभ ही है। 1972 में जब ब्रिटेन इस ग्रुप में शामिल हुआ तब उन्होंने कई अस्पष्ट घोषणाएं कीं। भारत के बारे में तो कुछ अधिक ही प्रतिबन्ध लगाए गए लगते है।

एशिया के विकासशील देशों के प्रति ब्रिटेन का विशेष दायित्व हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रेसिडेंट भी ब्रिटेन के एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ है। उन्हें इस बारे में ध्यान देना चाहिए। यह समुदाय देशों की संवेदनशील और अर्ध-संवेदनशील ग्रुपों में बाटता है । इसका हमारे निर्यात पर बहुत असर पड़ा है। अनकटाड को भी निःशुल्क की निर्यात स्कीम लागू की थी पर उससे भी हमारे निर्यात में सुधार नहीं हुआ।

अब तक इन देशों को हमारे कुल निर्यात में 35% की कमी हो चुकी है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की आय कम होगी बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से इस बारे में बातचीत करके कोई हल निकालेंगे और इस बारे में अब तक क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य और सभा को इस बारे में जो चिन्ता है, मुझे उसकी पूरी जानकारी है। इस आर्थिक समुदाय ने जो एकतरफा निर्णय लिया है वह समझौते के विरुद्ध और अवैध है। हमें जैसे ही इस निर्णय की सूचना मिली हमने उन्हें सूचित किया

कि हम इस बारे में चर्चा करना चाहते है। तदनुसार आपसी चर्चा हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला।

इसलिए हम मामले को वस्त्र निगरानी निकाय के पास ले गए । इस निकाय को 'गाट' ने कतिपय विवादों को निपटाने के लिए गठित किया ह । इस समुदाय के वाइस प्रेसिडेंट मई महीने में भारत आए थे। मैंने उनसे इस मामले पर बात की थी और अपना असंतोष प्रकट किया था। बातचीत के लिए हमारा दल वहां जाना था। पर इस बीच एक तरफा निर्णय ले लिया गया ।

इसका एक कारण यह हो सकता है कि ये देश सिले सिलाए वस्त्र एवं हाथ निर्मित वस्त्रों का निर्यात करते थे। वहां ये वस्त्र बहुत संख्या में पहुच गए है और उन्हें यह भय है कि इस से इन देशों में भारी बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हो सकते है। ये प्रतिबन्ध न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के लिए भी है। यह बड़ा अनुचित कार्य है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने व्यापार का विविधकरण करना चाहिए।

महोदय, मैंने न केवल यूरोपीय आर्थिक समुदाय के वाईस प्रेसिडेंट और मंत्री से बात की है बल्कि विदेश मत्री जी से भी इस विषय को उठाने का अनरोध किया है। हाल ही में अपनी विदेश यात्रा में उन्होंने सम्बन्धित मंत्रियों से अनौपचारिक वार्ताएं की हैं ।

एक अन्य सुझाव यह दिया गया है कि क्या हम उन देशों से अपने आयात के बारे में कोई शत नहीं लगा सकते ? जहां भी ठीक समझा जाएगा हम यह काम करेंगे लेकिन जब हम अपनी चीजें उन्हें बेचना चाहते है तो हम कोई शर्त नहीं लगा सकते। फिर भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात से यरोपीय आर्थिक समुदाय ने अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उपहास किया है। समझौता करते वक्त तो मित्रता और सहकारिता की डीगें मारी गई थीं लेकिन अब उसी को इस प्रकार तोड़ा जा रहा है।

इस बात से उनका अभिप्राय स्पष्ट हो गया । वे हमारी आर्थिक उन्नति के मार्ग में रोड़ा अटकाना चाहते है।

हमारा यह नारा कि निर्यात करो या मरो बहुत खतरनाक है। मंत्री जी आप तो जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं का भी निर्यात कर रहे है और उनके लिए उत्पादन लागत से भी कम मुल्य लिया जाता है ।

एक ओर तो पूंजीपति देश हमें अपने जाल में फसा लेते है दुसरी ओर देश में बड़े व्यापारी, पूंजीपति और बिचौलिए गरीब दर्जियों को लूट रहे है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3 लाख से अधिक अल्प संख्यक समुदायों के लोग दर्जी का काम कर रहे है। पर उनकी स्थिति पर कोई विचार नहीं करता। दुसरी ओर निर्यातकों को कई प्रकार की छूट दी जाती है। वे खूब लाभ कमाते है और अपने खातों में लाभ नहीं दिखाते।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने एकतरफा कार्यवाही करके समझौता तोड़ दिया है। कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए है। इस समुदाय के देशों की बन्दरगाहों पर जो निर्मित वस्त्र का अम्बार लगा है उसका मूल्य 35.0 करोड़ रुपए बैठता है। उस कपड़े को कोई नहीं उठा रहा।

अत: अब यदि सरकार इन वस्त्रों का निर्माण करने वाले एककों को बन्द नहीं होने देना चाहती तो उसे कड़े उपाय करने होंगे अन्यथा 10 लाख 50 हजार आदमी बेरोजगार हो जायेंगे। सरकार को इस उद्योग की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि इसमें अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग लगे है।

आप हमें एक समिति बनाने का आश्वासन दें जो वस्त्रों की सिलाई उद्योग के पूरे कार्यकरण पर विचार कर अपना प्रतिवेदन दे। उसकी रिपोर्ट इस वर्ष की समाप्ति तक आनी चाहिए।

श्री मोहन धारिया : जैसा मैंने कहा है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति से हमें बहुत चिन्ता है। हम इस बारे में कदम उठा रहे हैं। यदि स्थिति को बचाने के लिए प्रधान मंत्री स्तर पर वार्ता करनी हुई तो उस स्तर पर भी वार्ता की जाएगी। उनके प्रमुख से हमारे प्रधान मंत्री की बातचीत हो सकती है। हम सभी सम्भव उपाय करेंगे।

जहां तक समिति गठित करने का प्रश्न है इस बारे में श्रम मंत्री जी विचार करेंगे। माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में दर्जियों की एक सहकारी समिति गठित कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 3 लाख लोगों की सहकारी समिति नहीं बन सकती। आप कोई और उपाय सोचिए।

***श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी)** : यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने जो एकतरफा निर्णय लिया है उसके क्या गम्भीर परिणाम होंगे इस बारे में चर्चा की जानी है। हमारे देश को इस निर्णय से प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की हानि हो जाएगी। तमिलनाडु में लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

मंत्री जी को शायद जानकारी हो कि 65 करोड़ रुपए के वस्त्र रुके पड़े हैं।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि भारतीयों द्वारा विदेशों में वस्त्र निर्माण एकक स्थापित करने पर रोक लगाई जाए अन्यथा वे लोग भारत को मिलने वाली विदेशी मुद्रा खुद हड़प जायेंगे।

शांताक्रुज बम्बई, को निर्यात उपयोगी क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां छोटे औद्योगिक शेड लगाए गए है जिन पर लाखों रुपया व्यय हुआ है। पर संतोषजनक विद्युत उद्योग के अभाव में वे बेकार पड़े है।

अमरीका कपड़ा बनाकर यहां से वस्त्र सिलवाएगा, क्योंकि यहां पर सिलाई सस्ती है और बाद में उन वस्त्रों का पुन: निर्यात किया जाएगा। यह बात बहुत अनुचित है। यदि अमरीका में

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर
Summarised Translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

कपड़ा बनेगा तो इससे देश में समूचे हथकरघा उद्योग को बहुत ठेस पहुंचेगी। देश में पहले ही बहुत बेरोजगारी है अत. देश में ही कपड़ा बनाना चाहिए यहीं वस्त्र सिलने चाहिए। सरकार को अफ्रीकी तथा महत्वपूर्ण देशों में सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात की संभाव्य मंडी ढूंढनी चाहिए।

ऐसा समझा जा रहा है कि सरकार, सिलेसिलाए वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के गठन के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। मैं यह चाहता हूं कि जब यह परिषद बनाई जाए तो हथकरघा बुनकरों को इस परिषद में अवश्य प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि ऐसी परिषदों का लाभ बड़े कपड़ा मिल मालिक ही उठाते है। अतः मंत्री महोदय को उनको प्रतिनिधित्व देने की बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

निर्यात होने वाले सिले सिलाए वस्त्रों की जांच के लिए एक जांच अभिकरण बनाया जाना चाहिए क्योंकि अब घटिया माल भी यहां से भेजा जा रहा है और विश्व मडी में इसकी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मंत्री महोदय को जल्दी ही सिले सिलाए वस्त्रों के लिए एक निर्यात जांच अभिकरण बनाया जाना चाहिए ताकि हम निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमा सकें। साथ ही इस प्रकार के लाखों हथकरघा बुनकारों को भी आजीविका प्राप्त होगी।

श्री मोहन धारिया : मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि हम केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का ही अपने कोटे से निर्यात करेंगे और उसमें बाहर निर्मित किसी वस्तु का समावेश नहीं होगा। माननीय सदस्य ने मारीशस की श्री जैन के सम्बन्ध में उल्लेख किया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मारीशस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य भी नहीं है अतः वह हमारे निर्यात को प्रभावित नहीं कर सकते।

सिले सिलाए वस्त्र उद्योग ने न केवल अच्छी प्रगति की है बल्कि इस देश के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हमारा निर्यात 250 करोड़ रुपये से बढ़ गया है। अतः सरकार ने सिले सिलाए वस्त्रों के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद् बनाने का निर्णय किया है। परिषद् में हथकरघा सहित छोटे निर्माताओं को उचित प्रतिनिधित्व देने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हथकरघा बुनकरों को भी इस परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। छोटे निर्माताओं जिनमें हथकरघा उद्योग के लोग भी शामिल हैं उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

जहां तक निर्यात किए जाने वाले माल की क्वालिटी का सम्बन्ध है हम निर्यात किए जाने वाले माल की अच्छी तरह जांच करते हैं। यदि बुरा माल निर्यात होगा तो हमारे देश का नाम बदनाम होगा। हमारा यह जांच तन्त्र काफी सशक्त है। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि कुछ माल ठीक नहीं भेजा जा रहा तो वह मुझे उसकी सूचना दें, मैं इसकी जांच करूंगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

REPORT OF COMMITTE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTION

श्री यादवेन्द्र (जौनपुर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

नियम 377 के अंतर्गत मामले

MATTER UNDER RULE 377

दिल्ली में विभिन्न कालेजों में प्रवेश पाने में छात्रों को हो रही कठिनाईयां

श्री क० लकप्पा : (तुमकुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्री का ध्यान न केवल दिल्ली में बल्कि सारे देश में मेडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों सहित विभिन्न कालेजों में दाखिला लेने में छात्रों को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । दिल्ली में कुछ कालेजों में नियमों-विनियमों का पालन किए बिना दाखिले अनियमित तथा अवैध घोषित किए जाने की सम्भावना है । प्रवेश शिकायत सम्बन्धी समिति ने विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों का उल्लंघन करने वाले कालेजों की भर्त्सना की है और उपकुलपति से ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए कार्यवाही करने को कहा है ।

इसके अतिरिक्त दक्षिण राज्यों के छात्र दाखिले के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं और वे निराश हैं क्योंकि कालेजों में उनके लिए दाखिले बन्द हैं ।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले हेतु काफी भीड़ है और शिक्षा संस्थानों के सभी अभ्यर्थियों को दाखिला देने में असफलता से सारे देश में तनाव का वातावरण बन गया है । सभी छात्रों को पक्षपात के बिना विभिन्न कालेजों में दाखिला मिलना चाहिए । मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि इस बारे में नियम एवं सिद्धान्त बनाए जाएं । इस समय प्रवेश नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है । मन्त्री महोदय इसकी जांच करें और सभी तथ्य सदन के सामने रखें और सदन को यह आश्वासन दें कि सारे देश में विशेषकर दिल्ली में तनाव कम किया जाएगा ।

दो पटसन मिल मालिकों द्वारा की गई तालाबन्दी से हजारों पटसन मजदूरों की कथित जबरी छुट्टी

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं सदन का तथा मन्त्री महोदय का ध्यान सारे देश में पटसन मिल मालिकों द्वारा हजारों पटसन मजदूरों की जबरी छुट्टी करने जैसे मनमानी कार्यवाही करने की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि इससे देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

हाल ही में कानपुर की जे० के० पटसन मिल ने तालाबन्दी घोषित कर दी जिससे 2000 मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं । ऐसा काम करके ये 75000 लोगों को पहले ही बेरोज़गार बना चुके हैं । वाणिज्य मन्त्री जे० के० तालाबन्दी पर तथा पश्चिम बंगाल और अन्य क्षेत्रों में मजदूर के जबरी छुट्टी किए जाने के बारे में वक्तव्य दें ।

चाय (संशोधन) विधेयक

TEA (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं चाय संशोधन अधिनियम 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप सदस्यों को नियम 377 के अन्तर्गत अपने वक्तव्य देने की अनुमति दे रहे हैं। मैंने भी न्यायाधीश माथुर के त्यागपत्र के सम्बन्ध में नियम 377 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था लेकिन अब मुझे सचिवालय के अधिकारियों ने बताया है कि आज इस विषय पर गृह मन्त्री 3.30 बजे स्वेच्छा से वक्तव्य देंगे इस प्रकार हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। यह बात उचित नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे नियम 377 के अन्तर्गत अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर मुझे आपके नोटिस से पहले श्री श्यामनन्दन मिश्र का नोटिस प्राप्त हुआ था। अगर मुझे अनुमति देनी होती तो मैं पहले उन्हें अनुमति देता मैंने सोचा था कि मैं बाद में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहूंगा क्योंकि हम केवल एक सदस्य को अनुमति दे सकते हैं। मन्त्री महोदय केवल वही वक्तव्य यहां देंगे जो कि वह राज्य सभा में दे चुके हैं।

श्री मोहन धारिया : मैं चाय अधिनियम 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देना चाहता हूं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय संशोधन अधिनियम 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोहन धारिया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक

PETROLEUM (AMENDMENT) BILL

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : मैं पैट्रोलियम अधिनियम 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पैट्रोलियम अधिनियम 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION *Re.* REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1975-76

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो 4 अप्रैल, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन पर जो अप्रैल, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

श्री बी० राचैया (चमराज नगर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था । शिक्षा के सम्बन्ध में 1968 में दोनों सदनों ने एक राष्ट्रीय नीति अपनाई । विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया कालेजों, विश्वविद्यालयों के विभागों में इतने ही विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जितना कि वहां का स्टाफ अच्छी तरह पढ़ा सकता है साथ ही विद्यार्थियों की कुल संख्या ग्रन्थालय, प्रयोगशाला तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुरूप की जाएगी । नए विश्वविद्यालय बनाए जाएं स्नातकोत्तर शिक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जाए तथा इस स्तर पर प्रशिक्षण अनुसन्धान की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाए दुर्भाग्यवश योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान केवल 1200 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी । इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका लेकिन जितना भी काम उसने किया वह बहुत अच्छा किया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने का उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध कालेजों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना, शिक्षण मानक स्थापित करना, मानकों का समन्वय करना अनुसन्धान सुविधाओं आदि में सुधार करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न् भोजन के बाद जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा दो बजे तक मध्याह्न् भोजन के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sahha then adjourned till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर पांच मिनट पर लोक सभा पुनः समावेत हुई ।

The Lok Sabha reassenbled after lunch at five minutes past fourteen of the clock

[श्री सोनु सिंह पाटिल पीठासीन हुए]

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वतव्य जारी

MOTION *Re.* REPORT OF UNIVERSITY GRANT COMMISSION FOR 1975-76

श्री बी० राचैया: कई आयोगों, जैसे कि राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, गजेन्द्र गडकर आयोग, इत्यादि की नियुक्तियां की गई लेकिन प्रक्रिया अभी तक सरल नहीं बनाई जा सकी । यदि आप आंकड़े देखें तो आपको पता लगेगा कि वर्ष 1973 में 3856 कालेजों में से 910 कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष शहरी क्षेत्रों में थे । 22.4 लाख प्रदेश में से 19.6 लाख कालेज प्रवेश शहरी क्षेत्र में थे । 5.2 लाख छात्राओं के प्रवेश में से केवल 63,000 प्रवेश ग्रामीण क्षेत्रों में थे इससे पता चलता है कि हमारी शिक्षा शहरों भुख एवं शहरों पर आधारित है । जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह ग्रामीण समस्याओं, ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से विकास को प्राथमिकता देगी । अतः कालेजों एवं विश्वविद्यालयो का विस्तार करते समय हम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कालेज एवं विश्वविद्यालय खोले जाएं ताकि असंतुलन को समाप्त किया जा सके ।

कालेजों की कुल संख्या में से दो तिहाई कालेज संबद्ध कालेज हैं और इनमें कुल छात्रों का 70 प्रतिशत भाग है । उन्हें सरकार से अनुदान सहायता मिलती है । परन्तु यह कालेज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस तर्क पर प्रवेश नहीं देते हैं कि उनके पास कालेज के व्यय को पूरा करने के लिए धन नहीं है । सरकार को सभी कालेजों को अपने हाथ में लेना चाहिए उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समान समझना चाहिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबद्ध कालेजों में कुप्रशासन तंत्र एवं दुर्विनियोजन की शिकायतों की जांच करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । सरकार को अधिनियम में संशोधन करना चाहिए ताकि कालेज अपनी राशि का दुरुपयोग न कर सके । यदि किसी कालेज में कुप्रशासन है तो संबंधित विश्वविद्यालय को इसकी जांच करनी चाहिए ।

उन कालेजों में जहां 50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हैं वहां परिणाम अच्छे निकले हैं और वे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं । ऐसे मामलों में, उन कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर प्रोत्साहन न दिया जाए बल्कि इन कालेजों को और अधिक प्रोत्साहन दिए जाए ।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का संबंध है, अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति ने यह सुझाव दिया है कि सभी संबद्ध कालेजों का एवं विश्वविद्यालयों का सर्वेक्षण कराकर इस बात का पता लगाया जाए कि क्या विश्वविद्यालय में नियुक्ति के आरक्षण के बारे में सरकारी निदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वेक्षण कराने के लिए कोई विभाग गठित नहीं किया है । एक विभाग की स्थापना की जाए जो इस बात का सर्वेक्षण करे कि विश्वविद्यालय मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं ।

परीक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और इसका दैनक जीवन के साथ व्यवहारिक संबंध जोड़ा जाए । वर्तमान परीक्षा प्रणाली दैनिक जीवन के कार्यकलापों से संबंधित नहीं है वह केवल छात्रों को किताबी ज्ञान देती है ।

जहां तक छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने का संबंध है, छात्रों को सम्पूर्ण देश में आवास एवं खान पान की सुविधा नहीं मिल पाती । छात्र केन्द्रों की संख्या बहुत कम है । अतः छात्रवासों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जाए ।

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora). After reading the Report of the U.G.C. certain doubt's arose in our minds about the role of commission in regard to higher education.

The Commission has been set up to take steps for promotion and cordination of university education and for advancing the cause of higher education. But what do we find in this report? It has been stated therein that this year there has been an increase of only 2.5 percent in the number of students and the commission has expressed their sales factors over the fact that they have been able to restrict the number of students going in for higher education. Is this not contrary to the objective of setting up commission? Moreover, the claim is not justified by facts. The number of students going in for higher education has in fact been coming down since 1970-71. Upto 1969-70 there was an increase of 14:5 percent every year. But in 1970-71 it came down to 9 percent and then it has gradually come down to 2·5 percent. Therefore it will not be quite correct to say that the commission has reduced this percentage in this year itself by taking certain steps.

The commission has imposed restrictions on the opening of big colleges and universities. The question is whether it is proper to limit the number of students by putting such restrictions? It is not clear from the report whether any alternative arrangement has been made to divert the students so other channels. This has not been done what will those students do who have received education upto the secondary stage?

So far as the question of expenditure incurred on the U.G.C. is concerned in 1976-77 an amount of Rs. 77·5 crore was given. This is about 41 % of the total expenditure being incurred on education by the central Government .

The University Grants Commission has been a total failure in bringing about an improvement in the standard of University teachers and the standard of research and curricula. In this Connection Shri Satpal Kapur wrote a letter to Prof. Narul Hassan, which was placed before the panel of U.G.C. during 1976.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सदस्य जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं उसे सभा पटल पर रखा जाए । इस सम्बन्ध में भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हुकम सिंह के स्पष्ट निर्देश हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : वह एक अच्छा सुझाव है ।

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में दो बातें उठती हैं । एक तो यह कि क्या उक्त पत्र का उनके पास होना उचित है अथवा नहीं दूसरे उन्होंने उसकी प्रति पहले से नहीं दी अतः इस समय उसे सभा पटल पर रखने का आग्रह करने से कठिनाई होगी । मैं इसके सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दे सकता ।

Dr. Murli Manohar Joshi : There can be no two opinions in regard to the fact that the standard of higher education has been deteriorating and the University Grants Commission has done nothing except making the doctorate degree essential for the appointment of university teachers. It will tend to lower the standard of research. A close look is necessary to find out how for the scientific research that is undertaken at a great cost, is in consonance with the requirements and conditions prevailing in the country. A full review of the entire system should be undertaken. The University Grants Commission should see that the higher education that is imparted in the country, is utilised to solve the problems of the country. The research and the higher education has got to be linked with the pressing problems of the country.

The university Grants Commission has failed so far to realise the role that it is expected to play because it has still remained undefined as to in which direction the radical change should be brought about in our educational system. Unless the educational system is radically changed in the right direction there can be no progress in the country.

The University Grants Commission has adopted a very strange policy in regard to the medium of instruction for higher education. No efforts have been made by the University Grants Commission so far to impart higher education through the medium of regional languages, our country could also produce greatest scientists in the world.

The University Grants Commission paid attention only to a few central universities. Large amounts of grants have been given to them ignoring the demands of other colleges. One will like to know what is the performance of Jawahar Lal Nehru University when a grant of Rs. 1½ crores have been given to them this year. The University Grants Commission has not inspired the universities to discover a new technique or technology that will help in solving the problems faced by the country.

Students shall be actively associated with the management of universities. Efforts shall be made to seek their active participation in the administration of different faculties and the library in the universities.

A thorough probe shall be made into the activities and the performance of University Grants Commission. The findings of the Review Committee that is appointed last year in this regard, shall be placed before the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 118 उप-पैरा (2) (एक) में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई सदस्य कोई पत्र आदि सभा पटल पर रखना चाहे तो वह उसे अध्यक्ष द्वारा जांच किए जाने पर ही रख सकता है । इस नियम के अन्तर्गत आप अपना निर्णय दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

Shri Janeswar Mishra (Allahabad) : The report of the University Grants Commission should not have been taken up for discussion because the Commission is constituted only last year during the emergency. The Commission is constituted only of Congressmen or Communists. This University Grants Commission should be immediately reconstituted with persons of independent thinking.

It is said that during the last year, the academic atmosphere is very much quiet and it is an year of peace. But it is a peace of graveyard, because most of the tachers and students of independent thinking were behind the bars and there was a climate of fear all around. Such kind of peace deserved to be condemned.

It is our responsibility to bring about radical changes in the present system of education. All legislation that undermined the democratic structure of universities should be scrapped and especially, the democratic structure of Aligarh Muslim University should be restored. On the other side, a legislation shall be enacted to provide that no retired I.C.S. or P.C.S. is appointed to the post of Vice Chancellor.

The Jawaharlal Nehru University is a unique institution which imparts very costly education. There are 250 teachers for 1500 students. Then there are certain professors in this university who are trying to misrepresent the history of this country. Such persons shall be given most stringent punishment. We shall bear in mind the fact that University Grants Commission is openly giving assistance to such an institution which has twisted the historical facts.

It appeared that this report of the University Grants Commission has been prepared by people who are devoid of any vision direction or imagination. It is not the object of university education to prepare the students for appearing in competitive examinations for civil services. It is a great burden on our student community that they has to face two fold examination, one for obtaining university degree and the other for entering into services. This system can not go on for long in a poor country like India, Measures shall be taken to save our students community from the rigour sof this dual system of examination... and if the Government has to conduct examination through Public Service Commission, Railway Service Commission and Police Service Commission, in that case the system of holding university examinations should be done away with as there is no such need. The students will read in universities and whenever post of collector is advertised, they will take examinations conducted by the Public Service Commission. The Government should employ only those who secure higher marks and save the youth from the system of double examinations.

To-day there is heavy rush of admission seekers and a large number of students are deprived of admission to colleges and universities. I hope that under the new pattern of education, which will be introduced by the new University Grants Commission, admission to higher classes will be open to all those who went to seek it.

Disbanded students unions should be revived. I would like to support the demand made by Dr. Murli Manohar Joshi that students should be allowed full participation in the management of universities.

[Shri Janeswar Mishra]

I would like to urge upon the Government to provide meals in the hostels to students at cheap rates and, if needbe, it should be subsidised.

This University Grants Commission is just a while elephant. It should be wound up and a new one, comprising of sound minded and independent persons be constituted.

श्री वसंत साठे (अकोला) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर बोलते हुए सर्व प्रथम अपने पूर्ववक्त्त द्वारा विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग के कर्मचारियों पर की गई टिप्पणी के बारे में मैं खेद व्यक्त करता हूं ।

Shri Janeswar Mishra : Mr. chairman, Sir, I rise on a point of order I only said that the Ministry of Education should not bribe the chairman of the University Grants Commission and also his wife and the University Grants Commission should not bribe the hon. Minister of Education.

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, केवल स्पष्टीकरण है ।

श्री वसंत साठे : प्रतिवेदन पर बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उसके प्रतिवेदन में पहली टिप्पणी यह है कि गत वर्ष विश्वविद्यालयों और कालेजों में शांति का वातावरण रहा और छात्रगण नियमित रूप से कक्षाओं में जाते रहे थे ।

मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी शिक्षा विद् यह नहीं चाहेगा कि प्रिंसिपलों और वाइसचासलरों का घेराव किया जाये ।

विश्वविद्यालय लगभग उपद्रव का घर वन गये हैं । क्या हमारे छात्रों को यही कुछ करना है ? विश्वविद्यालयों में अनुशासन की आवश्यकता है ।

मैं प्रतिवेदन में की गई बाद की टिप्पणियों पर एक के बाद एक पर बोलना चाहूंगा और मंत्री महोदय से सुझाव देना चाहूंगा । प्रतिवेदन के प्रस्तावना अध्याय में पृष्ठ 2 पर कहा गया है कि कालेजों का प्रसार हो गया है । एक ही वर्ष में कालेजों की संख्या पूर्व संख्या 85 से बढ़ कर 123 हो गई है । इसमें कहा गया है कि 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किये गये विश्वविद्यालयों अथवा कालेजों को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी । इस सबसे हमारा तात्पर्य क्या है ? क्या हमारा तात्पर्य यह है कि नये कालेज न बनें । जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे कहां जायेंगे ?

मैं नहीं समझता कि यह स्वस्थ स्थिति है । कालेजों की स्थापना के रास्ते में सरकार को इस प्रकार रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये ।

इसी संदर्भ में प्रतिवेदन में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है । 10+2+3 शिक्षा पद्धति का क्या उद्देश्य था । इसके पीछे यह विचार था कि दसवीं कक्षा पास करने के बाद 2 वर्ष का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिये कि वह छात्रों को व्यावसायिक क्षेत्र में योगदान दे सके जिससे वे काम करने लायक नागरिक बनें । क्या आपके 2 वर्ष के पाठ्यक्रम से ऐसा हो रहा है ? प्रतिवेदन में एक टिप्पणी है कि जिसमें कहा गया है कि इस 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में वे पर्याप्त नयी पाठ्य चर्या अथवा प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं जिसका परिणाम यह निकला है कि वे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है । इसके अतिरिक्त 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद वे किसी कालेज में भी पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा विचार नहीं किया गया है । यदि परिवर्तन करना ही था तो पूरी तैयारी की जानी चाहिये थी । मैं शिक्षा मंत्री से, जिन्होंने कहा है कि 10+2+3 पाठ्यक्रम विचाराधीन है, अनुरोध करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें ।

इसके पश्चात् मैं कालेजों के विकास के ढंग पर बोलना चाहूंगा । प्रतिवेदन में पृष्ठ 3 पर कहा गया है कि आयोग को अध्यापकों को वेतन के भुगतान के बारे में कदाचार की शिकायतें मिली हैं और आयोग को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्या ही दयनीय स्थिति है ? यदि अध्यापकों को वेतन नहीं मिलेगा तो वे भूखे पेट कैसे पढ़ायेंगे । मंत्री महोदय इस बारे में विचार करें । चूंकि 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है इसलिये सरकार कालेजों पर नियन्त्रण रख सकती है ।

एक अन्य विषय अनुसंधान सुविधाओं के बारे में है । आज भारत का प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान है । यह हमारे लिये गर्व की बात है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि अनुसंधान पर भी ध्यान दिया जाये ।

शिक्षा को समुदाय-प्रधान, क्षेत्र प्रधान और ग्राम्य-प्रधान बनाने के लिये अनुसंधान पर बल दिया जाना चाहिए और इसके लिये पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिय ताकि हमारे युवक कुछ सीमा तक योग्य बन सकें ।

जहां तक छात्र के कल्याण का सम्बन्ध है, यदि सरकार चाहती कि ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाये तो उसे उनके लिये उचित छात्रावास सुविधाएं प्रदान करनी होंगी अन्यथा समाज के निर्धन लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जायेंगे । हो सके तो उन्हें छात्रावास में सरकार द्वारा दी गई सहायता की दरों पर भोजन दिया जाना चाहिये ।

छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये परन्तू वह प्रतिनिधित्व मजदूर-संघों के प्रतिनिधित्व जैसा नहीं होना चाहिये ।

परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि "आयोग ने इस क्षत्र में प्रयोग के लिये 18 विश्वविद्यालयों का चयन किया है ।" अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस पहलू पर विशेष बल दें ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह विश्वविद्यालय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करें ताकि समूचे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम और शिक्षा का स्तर हो । छात्रों की शिक्षा का सम्बन्ध रोज़गार से नहीं है इसलिए उन्हें रोजगार नहीं मिलता । उनमें निराशा है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं ।

मारुति कम्पनियों के मामले में जांच आयोग के रुप में न्याय मूर्ति डी० एस० माथूर के त्याग-पत्र के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* RESIGNATION OF JUSTICE D. S. MATHUR AS THE COMMISSION OF INQUIRY INTO THE MARUTI AFFAIRS.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ।

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 372 के अधीन जब मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाता है तो सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है । हमने इस

[श्री के० लकप्पा]

मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है और अध्यक्ष महोदय इस मामले पर विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या गृह मंत्री के लिये ऐसा मिथ्या वक्तव्य देना और उत्तरदायित्व से बचना उचित है ?

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष ने इस मामले पर अनुमति दे दी है।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I would like to request you that when the hon. Minister has made his statement, kindly alow discussion so that all the Members colud participate.

Mr. Chairman : Those who have given in writing for putting questions will be allowed:

श्री वयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस मामले पर राज्य सभा में बहस हो चूकी है। अब गृह मंत्री वतव्य दे रहे हैं ..... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं। मंत्री महोदय।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : कुछ सदस्यों द्वारा मारुति कंपनियों के मामले में जांच आयोग के रूप में न्यायमूर्ति डी० एस० माथुर के त्याग पत्र के बारे में कही गई कुछ बातों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को गृह मंत्रालय द्वारा रोक लिया गया था अथवा सरकार ने किसी प्रकार से आयोग पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी।

हाल में एक प्रकाशन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जग मोहन लाल सिन्हा के एक साथी की इस बात का परीक्षा उल्लेख किया गया था कि निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय में उनकी पदोन्नति कर दी जायगी। क्योंकि इस पर विश्वास करने का कारण था कि यह बात न्यायमूर्ति माथुर के लिए कही गई थी अतः न्यायमूर्ति सिन्हा से लोक हित में इस बात की पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया गया कि क्या ऐसी कोई बात हुई थी। न्यायमूर्ति सिन्हा ने इस बात की तथा अनुभव की पुष्टि की है कि न्यायमूर्ति माथुर जिस ढ़ग से उनको यह सूचना दे रहे थे उसे साधारण रूप से भुलाया नही जा सकता। जब न्यायमूर्ति माथुर के ध्यान में यह लाया गया, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वे न्यायधीश सिंहा से मिले थे और उच्चतम न्यायालय में उनकी पदोन्नति के बारे में कुछ अफवाहों के बारे में उनसे बातचीत की थी, किन्तु उन्होंने यह मना किया कि उन्होंने यह बात किसी ऐसे ढंग से कही थी जिस पर आपत्ति की जा सके। न्यायमूर्ति माथुर ने अपने त्यागपत्र में, जो घटना हुई, उस पर अपना विचार व्यक्त किया है। इस घटना के बारे में जनता में जो संदेह आवश्यक रूप से उत्पन्न होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति माथुर का त्यागपत्र उचित है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, उच्चतम न्यायालय के एक सेवारत न्यायधीश न्यायमूर्ति ए० सी० गुप्त को उन्ही विचारार्थ विषय पर इस जांच आयोग का कार्य सौंपा जा रहा है सरकार को समानरूप से माननीय सदस्यों की तरह चिन्ता है कि मारुति ग्रुप के मामलों से सम्बन्धित सच्चाई जांच में पूरी तरह आनी चाहिए।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे कहना चाहूंगा कि यद्यपि मैंने वे तीनों पत्र जिनका मेरे वक्तव्य में उल्लेख किया गया हैं, सभा पटल पर रखना नहीं चाहिए तथापि राज्य सभा में विपक्ष के सदस्यों के आग्रह पर मैंने तीनों पत्रों की एक-एक प्रति राज्य सभा के पटल पर रखी थी। मैं लोक सभा में भी वैसा ही कर रहा हूं।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai): Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister of Home Affairs as to what was the intention of the meeting of Shri Mathur with Shri Jagmohan Lal Sinha?

Shri Charan Singh : The meeting was about the election petition that Shri Raj Narain had filed against Shrimati Indira Gandhi.

श्री वसन्त साठे : "टाइम्स आफ इंण्डिया" में प्रकाशित समाचार में कहा गया हैं कि गृह मंत्रालय मारुति कम्पनियों के कार्यों से सम्बद्ध फाइलें आयोग को देने से आना-कानी कर रहा था। अतः कथित त्याग-पत्र इस आधार पर था कि सरकार आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही थी।

श्री चरण सिंह : क्या माननीय सदस्य मुझे यह बतायेंगे कि क्या न्यायमूर्ति माथुर का कोई वक्तव्य या पत्र है जिसका श्री साठे उल्लेख कर रहे हैं अथवा केवल समाचार पत्रों में छपे उस समाचार का उल्लेख कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। श्री साठे ने समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर कुछ टिप्पणियां की हैं। मंत्री महोदय के लिये यह बताना कठिन हो जायेगा कि क्या यह तथ्य हैं या नहीं। राज्य सभा के सभा पटल पर रखे गये पत्र मिलने के बाद ही, प्रश्न किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री समर गुह ने जो कुछ कहा है मैं उसी को दोहराता हूं।

सभापति महोदय : जब मंत्री महोदय वक्तव्य दें तो उन्हें पूरी तैयारी करके यहां आना चाहिये।

श्री वसन्त साठे : मैं अपने तर्क को समाचार पत्र के समाचार पर आधारित करता हुं जिसमें स्पष्ट कहा गया हैं कि श्री माथुर आयोग के कार्यकरण को अपूर्ण प्रचार देने के पक्ष में नहीं थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री साठे बोलना जारी रख।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : On a point of order, Sir. The hon.Member has quoted the same statement, which has already been contradicted by the Minister. He should give some other documentary proof.

Mr. Chairman : There is no point of order. Please sit down.

श्री वसन्त साठे : माननीय गृह मंत्री का कहना है कि वह न्यायपालिका को देश में सर्वोच्च सम्मान दिलाना चाहते हैं। परन्तु उन्होंने इलाहाबाद उच्च नयालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश के बारे में यह कह कर कि उन्होंने तथ्यों की जांच किये बिना गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है, अपने कथन के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि जब न्यायमूर्ति माथुर से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि वह न्यायाधीश सिन्हा से मिले थे और उच्चतम न्यायालय में उनकी नियुक्ति सम्बन्धी अफवाहों से उन्हें अवगत कराया था। इस कथन के बाद यह कहना कि इस घटना से जनता के मन में कुछ सन्देह हो सकता है, उन पर आक्षेप करना है। मैं

श्री वसन्त साठे

जानना चाहता हूं कि उनका त्यागपत्र स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं? यदि माननीय मंत्री अपने वक्तव्य पर ध्यान दें तो न्यायाधीश माथुर के व्यवहार के बारे में कुछ कहना न्यायपालिका के सम्मान के अनुकूल नहीं है।

श्री चरण सिंह : श्री साठे का कथन एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित है। उस समाचार में कोई तथ्य नहीं है तथा न ही संवाददाता ने यह कहा है कि उन्होंने श्री माथुर अथवा किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति से बातचीत की है। यह उनकी कल्पना की ही उड़ान है।

माननीय सदस्य ने एक बात यह कही है कि मैंने श्री माथुर पर आक्षेप किये हैं। इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। वास्तव में मैं वही शब्द फिर दोहरा सकता हूं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है :—

> "न्यायमूर्ति माथुर ने अपने त्याग पत्र में अपनी बात कही है। इस घटना के बारे में जनता में आवश्यक रूप से पैदा होने वाले सन्देहों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश माथुर का त्यागपत्र सही समझा गया।"

अब जनता श्री माथुर और श्री सिन्हा के कथन की तुलना करेगी बुद्धिजीवियों तथा समाचार-पत्र पढ़ने वालों के मन में यह सन्देह हो जायेगा कि कौन सा कथन सही है। यह स्थिति पैदा हो सकती थी जो कि सरकार के लिए एक संकोचपूर्ण स्थिति होती। अतः उनसे बात-चीत के दौरान मैंने यह सुझाव दिया था कि मेरी स्थिति संकोचपूर्ण हो सकती है। परन्तु उन्होंने मेरा संकेत नहीं समझा। फिर मैंने न्यायाधीश सिन्हा को श्री कुलदीप नैयर द्वारा लिखित पुस्तक "दि जजमेंट" में दी हुई बातों का हवाला देते हुए एक पत्र लिखा था।

उस पत्र के उत्तर में न्यायाधीश सिन्हा ने एक लम्बा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 23 मई, 1975 को न्यायाधीश माथुर के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा दिया है। फिर मैंने श्री सिन्हा का वह पत्र श्री माथुर को भेजा था तथा श्री माथुर ने अपने उत्तर में अपना त्यागपत्र भेज दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह अच्छी बात है कि गृह मंत्री ने न्यायाधीश माथुर की सत्यनिष्ठा की न्यायाधीश सिन्हा से पुष्टि कराने का कष्ट किया। परन्तु मैं अपने ढंग से उनसे इस बारे में पुष्टि कराना चाहता हूं।****

श्री वी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : वह किस आधार पर ये सब आक्षेप लगा रहे हैं? . . .

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने उन्हें 20 मिनट तक बोलने का समय दिया है।****

श्री वसन्त साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : जब आप ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, तो मैंने आपकी बात सुनी थी। इसी तरह मैंने उनको भी मौका दिया है।

****अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

****Expunged as ordered by chair.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : नियम 353 में कहा गया है :—

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिस से कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके;

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता।"

अब आपकी अनुमति लिये बिना तथा आपको बताये बिना श्रीमती माथुर और श्री मती सिन्हा के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। नियम 380 के अधीन. . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं ?

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु.साहब, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका व्यवहार उचित नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप जो चाहें कहिए, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) My humble submission is that the Chair should not lose temper.

Mr. Chairman : I have to maintain the decorum and dignity of the House. The hon Member who is raising a point of order had not finished his speech. He should not be interrupted like this.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री वसन्त साठे : आप बाद में कह सकते हैं।

जब ऐसी टिप्पणियां की जायें, तो नियम 380 में उल्लिखित है :—

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानि करने वाले या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं, तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।"

**

सभापति महोदय : मैं श्री साठे के व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं। नियम 353 बिलकुल स्पष्ट है। उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उनको कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by Chiar

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : सभापति महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु ने गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछा है। यह बताना गृह मंत्री का कार्य है कि उनका कहना सही है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : श्री साठे ने यह बात उठाई है कि अनुमति ली गई थी अथवा नहीं। उन्होंने नियम 353 के अधीन अध्यक्ष को नहीं लिखा था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगाने से पहले उन्हें पत्र लिखना चाहिए था। उन्होंने अध्यक्ष को तथा मंत्री को भी पत्र लिखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिखा। इसलिए मैं अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Raj Narain : Mr. Chairman Sir, Can you quote May's Parliamentary Practice tha an hon-Member is required to seek permission in for making a reference, while asking a question?

Mr. Chairman : Mr. Raj Narain, he has got the right to seek clarification about what ever has been said by the Minister. But he has gone beyond that.

श्री ज्योतिर्मयबसु : मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से गृह मंत्री से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सच है कि क्या गृह मंत्री ने उस न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा की पुष्टि कराने के लिए, जिसे इतना महत्वपूर्णकार्य सौंपा गया है, न्यायाधीश जे० एल० एम० सिन्हा को लिखा था। क्या श्री सिन्हा ने दिनांक 9–7–77 के अपने पत्र में लिखा है कि 23 मई, 1975 को 10–30 म०प० के बाद श्रीमती माथुर श्री एम० एल० सिन्हा के घर आई थीं। क्या श्री सिन्हा ने अपने पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि निर्णय की घोषणा से 20 दिन पहले 23 मई, 1·75 को श्रीमती माथुर श्री सिन्हा के घर आई थीं**

एक माननीय सदस्य : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी जानकारी यह है कि श्रीमती माथुर श्री सिन्हा के घर आई थीं। मंत्री महोदय इसकी पुष्टि अथवा खण्डन कर सकते हैं**

श्री वयालार रवि : मैं जानना चाहता हूं कि यह सारी घटना किस प्रकार घटी और श्री माथुर ने त्याग-पत्र क्यों दिया? न्याय मंत्री ने श्री सिन्हा से बातचीत की और गृह मंत्री ने श्री माथुर से वार्तालाप किया और पत्र भी लिखे। मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री ने श्री माथुर को इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया। मैं इस बारे में गृह मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस संसद् के सदस्य और देशवासी सभी यह जानने के इच्छुक हैं।

श्री चरण सिंह : मैंने श्री माथुर को बताया था कि दिल्ली में और इस सभा के सदस्यों में एक अफवाह फैल रही है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि एक जाने-माने पत्रकार ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें यह कथन है। कुछ लोग इस कथन पर विश्वास कर सकते हैं। मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा। कुछ मित्रों ने इस पुस्तक के कुछ वाक्यों के बारे में मुझे बताया। इसलिये मैंने श्री माथुर को बताया कि इस पुस्तक में कही गई बातें सच हों या गलत लेकिन इनसे उन्हें और सरकार को भी परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे जांच करेंगे। मैंने बातचीत के दौरान भी उनसे इन

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by chair.

सब बातों का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने मेरा इशारा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यह सब निराधार है। यदि यह प्रश्न इस सभा में उठाया गया तो वह अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे और तब हम अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि वह उस पत्र को सभा में पढ़कर सुनायें।

फिर मैंने न्यायमूर्ति सिन्हा को पत्र लिखा। न्यायमूर्ति सिन्हा ने जवाब में मुझे एक लम्बा पत्र लिखा जो इस समय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है। श्री माथुर को मैंने जो पत्र लिखा था उसके कुछ अंश मैंने उन्हें बताये जो सही थे। तत्पश्चात्, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ है। पहले तो आयोग की नियुक्ति काफी देरी से हुई। फिर न्यायमूर्ति खन्ना को इसके लिये नियुक्त किया गया। अब श्री माथुर ने त्याग-पत्र दे दिया है। अब चूंकि एक और न्यायाधीश इस मामले की जांच करेंगे इसलिये इसमें और भी देर लगेगी।

दूसरे, मंत्री महोदय ने पुस्तक में छपी रिपोर्ट के आधार पर एक बात कही परन्तु अब दो दिन बाद 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस सम्बन्ध में समाचार छपा तो उन्होंने एकदम दूसरी बात कही। उन्होंने पुस्तक में छपी रिपोर्ट का पहले ही खण्डन क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने समाचार पत्र में छपे समाचार का उसी दिन खण्डन क्यों नहीं किया?

Shri Charan Singh : The news appeared in the press only yesterday and we repudiated it in Rajya Sabha yesterday itself.

श्री के० लकप्पा : जब न्यायमूर्ति माथुर को नियुक्त किया गया तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय मारुति के मामलों सम्बन्धी फाइल को उन्हें नहीं देना चाहता और इस प्रकार आयोग स्वतंत्रता-पूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इस वक्तव्य के पीछे, जो समाचार-पत्रों में छपा है, क्या रहस्य है? आयोग के कार्य में यह हस्तक्षेप क्यों किया गया? श्री माथुर ने कौन से दस्तावेज मांगे थे?

श्री चरण सिंह : न्यायमूर्ति माथुर ने ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जो उन्हें नहीं दिये गये। जो ऐसा कहते हैं वे गलतबयानी कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : A conspiracy is being hatched to malign the Home Minister and the Janta Party Government, ever since he announced his decision to conduct enquiries into the Maruti affairs and the emergency excesses. Will the Hon'ble Home Minister conduct an enquiry to find out as to who are the persons hatching this sort of conspiracy and expose them?

Shri Charan Singh : At the moment, I can say that the Government will look into it.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Ever since the Hon'ble Home Minister announced the appointment of Commissions, an impression is being created that this Government is very soft. Will he assume the House that no leniency will be shown towards the persons found guilty and take action to dispel the said impression from the minds of the people.

Shri Charan Singh : The principles of national justice demand that the other party should be given opportunity of defence. As such, we shall not put anybody behind the bars withoutr prosecuting him and giving him opportunity to explain his position, be he the greatest traitor. The due process of law do take time and we must have patience.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : May I know whether the Home Ministry has come into the possession of all the papers pertaining to Maruti affairs? A rumour has been setr afloat that many important papers had been burnt at the residence of the former Prime Ministe. Will the Hon'ble Minister throw light on this rumour?

Shri Charan Singh : I have not made any enquiry into this matter. I have also not received any report from the police to this effect. I do not know the extent of truth in this hearsay. C.B.I. had, of course searched the premises of Maruti factory. They must have seized certain documents.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION *Re.* REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1975-76—*contd.*

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): University Grants Commission should be restructured with a view to including eminent educationists and scholars in it. There are complaints of favouritism against the present Chairman of University Grants Commission. He should be replaced.

Government must ensure that only educationists and eminent scholars are appointed Vice-Chancellors of Universities. Retired judges and bureaucrats should not be appointed as Vice-Chancellors.

As regards engineering education, the present system needs modification. We have thousands of unemployed engineers in our country at present. The engineering courses should be so arranged that no person remains unemployed after he has received a specialised education.

The number of scholarships should be increased so as to enable the poor but meritorius students to continue their higher education.

Government must constitute a National Education Commission to regulate the appointment of teachers in all our universities. Examination for the appointment of teachers in our colleges and universities should be conducted at national level through that Commission only. If this system is introduced, it will go a long way in getting able and competent men appointed to our colleges and universities.

We must provide more facilities and amenities to our teaching staff. Their salaries should be increased. At present competent persons are not attracted to this profession because a teacher does not command social status and he is poorly paid. In order to see that able and competent persons are attracted to this profession, their service conditions should be improved.

The present examination system needs to be changed. The system of annual examination should be replaced by the method of monthly tests so that the students have to be regular in their studies and can possess a thorough knowledge of the subjects under study.

The Gajendragadker Commission has recommended students participation in the governance of the Universities and colleges. Government should see that this recommendation is implemented in spirit and in letter. Students must get representation in all the bodies of the university like senate, syndicate, academic council and executive council etc.

More and more colleges should be established in rural areas so that, students belonging to villages may not find any difficulty in pursuing higher education.

There have been many instances of corruption and irregularities in Banaras Hindu University at the time of Dr. K.L. Shrimali. Government must institute a probe into all those affairs and those who are found guilty should be brought to book.

Government must provide adequate hostel accommodation in Gorakhpur University. Besides, research fellowships must be started in that University.

Indian Council of Agricultural Research is under Agriculture Ministry. There is much mismanagement there and as a result thereof the research officers and staff are aggrieved and discountented. I will urge upon the Hon'ble Minister that this Council should be brought under the Ministry of education and its affairs should be looked into and improved.

Shri Sheo Narain (Basti) : The present education system of our country needs overhauling. The present discrimination between Harijan and non-Harijan must be removed. Education must be made free for all. Our education Minister should pay special attention towards the manifesto of Janta Party.

There are serious charges against the present chairman of University Grants Commission. He should be replaced with any Harijan Chairman.

Government must establish rural universities in quite and peaceful surroundings of the rural areas on the lines of Nalanda University. Efforts should be made to establish Universities for women.

The functioning of Delhi University is far from satisfactory. The present Vice-Chancellor who is responsible for mis-management must be replaced.

There is an educational institute at Tirupati which is in private hands. It needs assistance. Government must come forward and extend necessary assistance to this institution.

It is matter of great regret that people in India support English and oppose Hindi. I wonder why Hindi is opposed inspite of the fact that it is an official language of India.

***श्रीमती विभ घोष गोस्वामी** (नवद्वीप) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रतिवेदन में केवल पांच वर्षीय योजना में अपनाई गई नीति को ही दोहराया गया है और यह बताया गया है कि क्या कुछ किया गया है और उस नीति के अनुसार क्या कुछ किया जाना है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा गया है कि आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को नियमित रूप से बढ़ावा देने पर जोर देता रहा है ताकि वर्तमान संस्थानों को सुगठित करके स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। यह कल्पना कर ली गई है कि देश में शिक्षा का पर्याप्त तथा आदर्श स्तर तक प्रचार हो चुका है। अब आयोग शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की ओर ध्यान देगा। विचार यह है कि कम संख्या में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न यह है कि क्या हम उच्चतर शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में एकरूप नीति अपना रहे हैं। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा। कुल 4058 कालेजों में से केवल 407 कालेजों में बेहतर और सुधरी हुई शिक्षा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अर्थात् कुल 10 प्रतिशत कालेजों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सामाजिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय से सरकार का अभिप्राय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लगभग 50 छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं आदि देना और पिछड़े क्षेत्रों में कुछ संस्थान खोलना है। सरकार का सामाजिक न्याय यहीं तक सीमित है और वह समझती है कि उसका कर्तव्य पूरा हो गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में कमी हो रही है। परन्तु आयोग द्वारा चलाए गए समेकित कार्यक्रम से पहले ही यह संख्या कम होने लगी थी। मन्त्रालय के प्रतिवेदन में इसका कारण 'सामाजिक-आर्थिक कारण' बताया गया है। आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह कमी गैर-औपचारिक शिक्षा आदि के कारण हुई है। हमारे विचार से यह कमी लोगों की वास्तविक आय में लगातार कमी के फलस्वरूप हुई है। इसके फलस्वरूप शिक्षा व्यय में कमी हुई है और अब कम संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। दूसरे, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 40 लाख से ऊपर होने के कारण डिग्रियों का मूल्य कम हो गया है। इसलिए अब कम संख्या में छात्र स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए आते हैं। तीसरे, शिक्षा पर सरकारी आवंटन और अनुदान में वास्तविक अर्थों में कमी हुई है। इस कारण भी प्रति छात्र आवंटन कम हो गया है और कम छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो रही है।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summerised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्रीमती विभाघोष गोस्वामी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इंजीनियरी, चिकित्सा और विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत थोड़ी कमी आई है। यदि हम पिछले प्रतिवेदन देखें तो पता चलेगा कि यह कमी हर वर्ष आती है। केवल विधि और वाणिज्य क्षेत्र में निश्चय ही वृद्धि हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपने देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या हमें उत्पादन करने वाले कुशल व्यक्ति चाहिए या नौकरी करने वाले कुशल व्यक्ति चाहिए। हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या सेवाएं ? वर्तमान प्रतिवेदन में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही इस समस्या का समाधान बताया गया है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि हमारे 17 प्रतिशत से अधिक इंजीनियर विदेशों में रह रहे हैं। आई०आई०टी के अच्छे विद्यार्थी—बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में शिक्षा को समेकित करने का तात्पर्य यही हो सकता है कि हम अमीर व्यक्तियों के लिए ही शिक्षा की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और उधर गरीबों के लिए शिक्षा सुविधाओं में कमी हो रही है। उपयोगी संस्थाओं की आड़ लेकर शिक्षा को सीमित किया जा रहा है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि 75 प्रतिशत से भी अधिक कालेज गैर-सरकारी हैं। अधिकांश ऐसे कालेज अपने आप को उपयोगी संस्थान नहीं बना सकेंगे और इस प्रकार सरकारी सहायता से वंचित रह जाएंगे। मेरी मांग यह है कि सरकार को इन सभी कालेजों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और सरकार को इन कालेजों की जिम्मेदारी अपने उपर लेनी चाहिए।

इस देश में 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा में भी संकट है और आर्थिक और सामाजिक विषमताएं इस संकट से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा प्रदान करने के मामले में गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। शिक्षा के मामले में गरीबों से भेदभाव दूर किया जाना चाहिए। हमें सभी श्रेणियों के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की समान सुविधाएं देनी चाहिएं।

सरकार को चाहिए कि वह प्रशिक्षण प्राप्त सभी विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराए या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तभी हमारी शिक्षा की वर्तमान प्रणाली अर्थपूर्ण जीवन की वास्तविकताओं के अनुरूप हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि जनता सरकार तथा वर्तमान शिक्षा मन्त्री शिक्षा को प्रजातांत्रिक ढंग से चलाएंगे और उच्चतर शिक्षा को नई दिशा देंगे।

Choudhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : There has been a good deal of hotch-potch in the field of education during the last thirty years. The higher secondary education system has been forcibly introduced at the cost of crores of rupees, but now it is said that this system has failed and a new system of 10+2+3 is going to be introduced. This new system includes vocational education, but unless we have competent teachers and adequate resources, this system would also fail.

When students belonging to weaker sections of society come up for higher education, it is said that there is an explosion of students and higher education should be stopped. In our present educational system, we are opening new universities but we are imposing restrictions on the opening of new colleges.

There is no justification for starting three separate universities in Punjab when they have the same syllabus.

Our examination system needs a lot of improvement. Today those of examinees who use unfair means manage to pass through the examination whereas the honest students are put to great disadvantage.

Steps should be taken to establish proper teacher student relationship as was in vogue in an ancient India. Efforts should be made to create an atmosphere in which teachers were given due regard by the students.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि वर्ष 1975–76 के दौरान विश्वविद्यालयों में अपेक्षाकृत शांति रही। इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालयों के विकास के बारे में कुछ दुरगामी उपाय किए थे। काफी समय से विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और शिक्षा के सभी स्तरों में कमी आई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए कोठारी आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं, जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विभिन्न कालजों और संस्थानों को दी गई राशी का दुरुपयोग किया गया है। कुछ संस्थानों का कार्य ठीक नहीं चल रहा। ये सब बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है।

कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदनी आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए उच्चशक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति ने कहा था कि आयोग का मुख्य कार्य धन का वितरण ही है और यह शैक्षिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं ले रहा। जहां तक शक्षणिक शिक्षा का प्रश्न है, उसके लिए स्वायत्तशासी वातावरण होना चाहिए। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया था कि आयोग द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग हुआ है। शैक्षणिक शिक्षा और छात्रों के ज्ञान के विकास और समृद्धि के लिए दी गई राशि का उपयोग आलीशान इमारतें बनाने में किया गया। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के निदेशक ने भारी राशि का दुर्विनियोग किया है :

श्री पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है।

डा० हेंनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : इस प्रकार की चर्चा संगत है। मन्त्री महोदय बंगलौर गए थे और माननीय सदस्य भी बंगलौर के एक संस्थान के बारे में कह रहे हैं।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : चर्चा केवल प्रतिवेदन तक ही सीमित रहनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री लकप्पा चर्चा की सीमा से बाहर की बात कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रो० मावलंकर से कोई झगड़ा नहीं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके बाद लोक सभा गुरुवार, 21 जुलाई, 1977/30 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे मं पू तक के लिए स्थागित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday July 21, 1977/ Asadha 30, 1899 (Saka).

GMGIPND—Line—2050—15—18-11-77—000.